लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Parliament Library 18-8-92

[खंड 15 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 46, बुधवार, 17 मई, 1972/27, वैशाख 1894 (शक)

No. 46, Wednesday, May 17, 1972/ Vaisakha 27, 1894 (Saka)

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1—20
861	पश्चिम बंगाल के लिये केन्द्रीय गृह मंत्रालय का विशेष सैल	Special Cell of Union Home Ministry for West Bengal	—1
862	मालवान, महाराष्ट्र के डाकखाने की इमारत तथा पोस्ट मास्टर के क्वार्टर	Post Office Building with Post Master's quarters at Malvan in Maharashtra	—5
863	समाचार पत्रों की पृष्ठ संख्या सीमित किये जाने के कारण समाचार पत्रों और पत्रकारों को पेश आ रही कठिनाइयाँ	Difficulties faced by Newspapers and Journalists due to limiting the pages of Newspapers	—6
864	मैसूर महाराष्ट्र सीमा विवाद	Mysore Maharashtra Boundary Dispute	—8
865	अशोक होटल में जवाहरात की डकैती के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच	C.B.I. Inquiry into Ashoka Hotel Jewellery Robbery	—12
866	भारतीय स्वाधीनता का रजत जयंती समारोह	Celebration of 25th Anniversary of India's Independence	—13
869	मैथाइल मद्यसार की बिक्री तथा वितरण पर प्रभावकारी सतर्कता	Effective Vigilance on sale and distribution of Methyl Alcohol	—18
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	
ता० प्र० संख्या S.Q.No.			
67	घटिया किस्म के तांबा अयस्क का निकाला जाना	Exploitation of Low Grade Copper Ore	—20

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
868	सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी के कमजोर केन्द्र	Weak A.I.R. Stations on Frontiers	—20
870	उड़ीसा की संस्कृति पर वृत्त चित्र	Documentary Films on Culture of Orissa	—21
871	सेवा निवृत्त अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाया जाना या उनकी पुनः नियुक्ति	Grant of Extension for Re-Employment of Superannuated Officers	—23
872	आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये सैयद बदरूद्दुजा और डा० गुलाम याजदानी के विरुद्ध जांच	Investigations against Syed Badru-dduja and Dr. Ghulam Yazdani detained under MIS Act	—23
873	मद्रास में टेलीविजन केन्द्र	T.V. Station in Madras	—24
874	कागज उद्योग पर आंशिक नियंत्रण	Partial control on paper Industry	—24
875	समाचार पत्रों के परिचालन के झूठे आंकड़ों की जाँच	Inquiry into Fake Circulation Figures of Newspapers	—24
876	आकाशवाणी पर जन-गण-मन बन्दे मातरम् तथा सत्यमेय जयते के रिकार्डों का बजाया जाना	Playing of Records of Janagana-mana Bande Matram and Satya meva Jayathe over AIR	—25
877	'मार्च आफ दि नेशन' पत्र में 'दि नेशनल एन्थम सोल्ड फार ए सोंग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार	"The National Anthem sold for a Song', Story published in March of the Nation	—25
878	नई दिल्ली में कृषि उत्पादों का अवैध वायदा व्यापार	Illegal Forward Trading in Farm Commodities in New Delhi	—26
879	राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पाकिस्तानी जासूसों का जाल	Pak. Spy in Western Districts of Rajasthan	—26
880	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में गबन	Misappropriation of Funds in Khadi Gramadyog Bhavan New Delhi	—27
अता०प्र०संख्या U.S.Q.Nos.			
6394	जमशेदपुर स्थित टाटानगर फाउण्ड्री कम्पनी लिमिटेड, का अधिग्रहण	Taking over of Tata Nagar Foundary Company Limited Jamshedpur	—27
6395	अपोलो स्कूटर का निर्माण	Manufacture of Apolo Scooter in Public Sector	—28
6396	बिहार और पश्चिम बंगाल में बेरोजगार स्नातकों को रोजगार देना	Scheme to Provide Employement to Unemployed Graduates in Bihar and West Bengal	—29

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No,	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6397	सिधी और सरगुजा में दोषयुक्त प्रेषण लाइनें	Faulty transmission lines in Sidhi and Sarguja	—29
6398	लाइसेंसों के लिए पंजाब से प्राप्त अनिर्णीत आवेदन पत्र	Pending applications from Punjab for licences	—29
6399	केन्द्रीय सरकार उत्पादन केन्द्र कर्मचारी संघ, केरल से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation from Central Government Production Centre Employees Association, Kerala	—30
6400	केरल में केन्द्रीय सरकार के उत्पादन केन्द्रों में उत्पादन	Production in Central Government Production Centres, Kerala	—80
6401	गुजरांवाला टाउनशाप, दिल्ली में डाक तार सुविधाएं	P & T Facilities in Gujranwala Township, Delhi	—30
6402	रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में कम्प्यूटर और स्टेटिस्टीकल सहायक के पदों को स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Computers and Statistical Assistants in the Office of Registrar General	—31
6403	तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र का पुनः चालू होना	Recommissioning of Tarapore Atomic Power Station	—32
6404	कारों की खरीद के लिए जमा धनराशि और कारों के लिये प्रतीक्षा सूची	Deposit money for purchase of cars and waiting list for cars	—32
6405	ब्रिटेन में लोक सेवा आयोग प्रशासन के तीन मास के अध्ययन पाठ्यक्रम के लिये प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारी	Officers deputed to attend 3. month study course on Administration of public Services in U.K.	—33
6406	हैदराबाद विजयवाड़ा और विशाखापटनम् आकाशवाणी केन्द्रों में काम कर रहे प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव तथा एनाउन्सर	Progaamme Executives, Transmission Executives and Announcers at Hyderabad, Vijayavada and Visakhapanam, AIR Stations	—33
6407	कुड्डापा आकाशवाणी केन्द्र में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव और एनाउन्सर	Programme Executives. Transmission Executives and Announcers in Cuddapah A.I.R. S a ion	—34
6408	भारत में ब्रिटिश पारपत्र धारी	British Passport holders in India	—35
6409	मंत्री द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	TA/DA claimed by Minister	—35
6411	भारतीय वृत्त चित्र "नाइन मन्थ्स टू फ्रीडम" को केन्स फिल्म मेले में भेजना	Documentary 'Nine Months to Freedom' for Cannes Film Festival	—35
6413	रेडियो आइसोटोप्स का निर्यात	Export of Radio Isotopes	—35

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6414	अणु शक्ति योजना के लिये फ्रांस से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from France for Atomic Energy Scheme	—37
6415	सतर्कता आयोग द्वारा डिपार्टमेंट आफ पर्सनल गृह मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सलाह देना	Advice by Vigilance Commission for Initiation of Proceedings against Department of Personnel officers in the Ministry of Home Affairs	—37
6416	नेताजी जाँच द्वारा गवाही का रिकार्ड	Record of Evidence by Netaji Enquary Commission	—37
6417	विभागीय सामग्री की सप्लाई के लिये महाडाकपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये सीधे ठेके	PMG U.P's Direct Contracts for supply of Departmental items	—38
6418	दूर संचार योजना	Telecommunication Plan	—38
6419	उपग्रह संचार सेवा की स्थापना में विलम्ब	Delay in Establishement of Satellite Communications Service	—39
6420	चण्डीगढ़ में "स्टार नाइट प्रोग्राम" व्यक्तियों के एक ग्रुप द्वारा धोखाधड़ी	"Star Night" Programme in Chandigarh, A Fraud played by Group of Persons	—39
6421	चौथी पंच वर्षीय योजना में बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States for Setting up Large Scale Industries in Fourth Plan	—40
6422	स्वतन्त्रता सेनानियों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Freedom Fighters	—41
6423	चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Aid to U. P. during Fourth Plan	—41
6424	भारत में विदेशी कम्पनियाँ	Foreign Companies in India	—42
6425	'दोराहा नाइट' कार्यक्रम के लिये चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा दी गई सहायता	Help rendered by the Administration of Chandigarh for 'Do Raha Nite' Programme	—43
6426	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा को आवंटित धनराशि का उपयोग न करना	Non-utilisation of Funds, to Tripura under 4th Plan	—44
6427	तिलक नगर पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली के विरुद्ध आयोजित प्रदर्शन	Demonstration organised against Tilak Nagar Police Station, New Delhi	—44

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6429	कृषि में प्रयुक्त होने वाले खाद, बीज आदि और कृषि पर आधारित उद्योगों का मानकीकरण	Standardisation in Agricultural Inputs and Agro Industires	—45
6430	उपभोक्ता वस्तुओं के पैकिंग का मानकीकरण	Standardisation of Packaging Consumer Items	—45
6431	प्रार्थना पत्र के लिये शुल्क	Charges for Application Forms	—46
6432	देश में सोडियम डाइक्रोमेट संयंत्र	Sodium Dichromate Plants in the Country	—46
6433	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल तथा ईस्टर्न फ्रन्टियर राइफल्स सैनिकों की संख्या	Strength of C.R.P., B.S.F. and E.F.R. in West Bengal	—47
6434	आत्म समर्पण करने वाले डाकुओं को तथाकथित संरक्षण	Protection to Surrendering Dacoits	—48
6435	स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये पेंशन योजना	Pension Scheme for Freedom Fighters.	—48
6436	आसनसोल स्थित 'सेन रेले' कारखाने में तालाबन्दी समाप्त करना	Lifting of Lockout in Sen Raleigh Factory, Asansol	—48
6437	भारतीय दल द्वारा पश्चिमी जर्मनी के कृत्रिम अंग उत्पादन केन्द्रों का दौरा	Visit by Indian Team to Artificial Limb Production Centres in West Germany	—49
6438	स्कूटरों की अलाटमेंट के लिये विभिन्न वर्गों के लिये निर्धारित कोटा	Quota Fixed for Various Categories for Allotment of Scooters	—49
6439	मध्य प्रदेश में लघु तथा मध्य उद्योगों में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Small and Medium Industries in M.P.	—50
6440	त्रिपुरा के लिए 1972-73 की वार्षिक योजना	Annual Plan for Tripura for 1972-73	—50
6441	भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों और उत्तराधिकारियों को टेलीफोन कनेक्शन देने के मामले में प्राथमिकता	Preference to wives and heirs of soldiers killed in Indo Pak. War in respect of telephone connection	—51
6442	विदेशों में भारतीय तकनीशियन	Indian Technicians Abroad	—51
6443	मध्य प्रदेश के रीवा और सिद्धी जिलों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना	Setting up of Industrial Estates in Rewa and Sidhi (M.P.)	—53

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6444	भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में बैठने वाले प्रत्याशियों की आयु सीमा को बढ़ाना	Raising of age limit for candidates appearing in IAS Examination	—53
6445	भारत द्वारा राकेट अनुसन्धान। कार्यक्रम की प्रगति	Progress made in Rocket Research Programme by India	—54
6446	पटना, भागलपुर और राँची में कम शक्तिशाली ट्रांसमीटर	Weak Transmitters of Patna, Bhagalpur and Ranchi	—54
6447	धन की कमी के कारण राज्यों की विकास परियोजनाओं का कार्य बन्द होना	Development projects held up in States for want of funds	—54
6448	केरल के परिवहन मंत्री के बेटे की दिल्ली में रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु	Death of Son of Kerala Transport Minister in Delhi under mysterious circumstances	—55
6449	मैसूर महाराष्ट्र सीमा विवाद	Mysore Maharashtra Boundary Disputes	—55
6450	सहायक उद्योगों में मानकीकरण	Standardisation in Ancillary Industries	—56
6451	कटक, जयपुर और सम्बलपुर के आकाशवाणी केन्द्रों की प्रसारण क्षमता में सुधार	Improvement in Transmitting Power of AIR Stations at Cuttack, Jayapur and Sambalpur	—57
6452	कुरुक्षेत्र पत्रिका की भाषायें	Languages of Publication of Kurukshetra	—57
6453	एक नये प्रेस आयोग के गठन का सुझाव	Suggestion for Setting up of a New Press Commission	—58
6454	उद्योगों में उत्पादन	Production in Industries	—58
6455	प्रशासनिक और पुलिस प्रशिक्षण कालेजों के प्रशिक्षणार्थियों को नई राष्ट्रीय नीति से परिचित कराना	Trainees in administrative and Police Training Colleges to be Conversant with New National Policy	—58
6456	लघु उद्योगों तथा खादी ग्राम उद्योग के लिये बाजार	Market for Small Scale Industries and khadi and Village Industries	—59
6457	आत्मरक्षा तथा खेलकूद के प्रयोजनों के लिये गोला बारूद	Ammunition for self Defence and sports purposes	— 60
6458	मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारी	Personal staff of Ministers	— 61
6459	राज्यों में ट्रैक्टर वर्कशापों की स्थापना	Setting up of Tractor Workshops in States	—61
6460	इंजीनियरिंग उद्योग को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Materials to Engineering Industry	— 62

अता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6461	तस्करी और जासूसी गतिविधियों में लगे पंजाब सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यक्ति	Punjab Frontier men indulging in smuggling and spying activities	—62
6462	सीतामढ़ी टेलीफोन केन्द्र, बिहार	Sitamarhi Telephone Exchange Bihar	—63
6463	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड के महा प्रबन्धक के विरुद्ध ज्ञापन	Memorandum against the General Manager of Central Government Employees Consumer Cooperative Society, Limited	—63
6464	ट्रैक्टरों की सस्ते मूल्यों पर सप्लाई	Supply of Tractors at Low Prices	—64
6465	भूगत जल खोज कार्य	Ground Water Exploration work	—64
6466	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में मकान किराये भत्ते की दर	Rate of House Rent Allowances in NIDC	—64
6467	पूना फिल्म इंस्टीट्यूट, पूना, में प्रशिक्षण प्राप्त टेलीविजन में काम करने वाले कर्मचारियों को विदेश भेजना	Film Institute, Poona, Trained person working in T. V. sent abroad	—65
6468	टेलीविजन के प्रशिक्षण के लिए विदेशों की छात्रवृत्तियाँ	Foreign Scholarships for training in T.V.	—65
6469	बम्बई टेलीविजन केन्द्र के कर्मचारियों के लिये मकान	Residential Accommodation for Bombay T.V. Centre Employees	—65
6470	फिल्म डिवीजन और टेलीविजन केन्द्र में कैमरामैनों के वेतन-मान	Pay Scales of Cameramen in Films Division and T.V. Centre	—66
6471	विदेशों में भारतीय राष्ट्रिकों को भारत में उद्योगों की स्थापना करने के लिये विशेष सुविधायें देना	Special Facilities to Indian Nationals from Abroad for setting up of Industries	—66
6472	प्रादेशिक विषमता और आर्थिक असंतुलन को दूर करना	Removal of Regional Disparities and economic Imbalances	—66
6473	टेलीफंकेन इंडिया लिमिटेड द्वारा रेडियो रिसीवरों और रिकार्ड प्लेयरों का निर्माण	Manufacture of Radio Receivers and Record Players by Telefunken Indian Ltd.	—69
6474	आकाशवाणी की विदेश सेवा शाखा का पुनर्गठन	Reorganisation of External Service of AIR	—70
6475	आकाशवाणी द्वारा शैक्षिक प्रसारण	A.I.R. Educational Broadcast	—70
6476	भारत में विदेशी (मिशनरी)	Foreign Missionaries in India	—70

अता. प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6477	प्राथमिकता सूची में उद्योगों को शामिल करना	Inclusion of Industries in Priority List	—71
6478	मध्य प्रदेश में पाकिस्तानी रजाकारों की गतिविधियां	Pak Rızakars' Activities in Madhya Pradesh	—71
6479	देवी अहिल्याबाई होल्कर के बारे में स्मृति टिकट	Commemorative Stamp in respect of Devi Ahilyabai Holkar	—71
6480	मई, 1971 से फरवरी, 1972 तक देश में हुए साम्प्रदायिक दंगे	Communal Roits in the country from May, 1971 to February, 1972	—72
6481	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि० द्वारा टेलीप्रिंटर मशीन का निर्यात	Export of Teleprinter Machine by Hindustan Teleprinters Ltd.	—72
6482	बिहार में लघु उद्योगों के लिए धनराशि का उपयोग	Utilisation of Funds for Small Scale Industries in Bihar	—73
6483	डाल्टगंज और गढ़वा (बिहार) में बुक की गई टेलीफोन कालें	Telephone Calls booked at Daltonganj and Garhwa (Bihar)	—73
6484	चौथी योजना में लघु उद्योगों के लिये बिहार को आवटित राशि	Funds allotted to Small Scale industries in Bihar during Fourth Plan	—73
6486	देश में अयस्कों की खोज करने और उनका विकास करने के लिये समेकित कार्यक्रम	Integrated Programme for prospecting and developing Areas in the country	—74
6487	सेन्सर बोर्ड का नया ढाँचा	New Set of Censor Board	—74
6488	हिन्दी दैनिक अवन्तिका	Hindi Daily Avantika	—74
6489	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में रिक्त पद	Vacancies in Central Bureau of Translation	—75
6490	10 प्रतिशत पूंजीगत राजसहायता के लिये राज्यों से आवेदन पत्र	Application for 10 per cent capital Subsidy from State	—75
6491	चित्तूर विजयवाड़ा और चित्तूर विशाखापत्तनम ट्रंक टेलीफोन लाइनें	Trunk Telephone Lines Chittoor-Vijayawada and Chittoor-Visakapatnam	—77
6492	नौसेना, औद्योगिक और बड़े पैमाने पर मिट्टी हटाने के कार्यों के लिये परमाणु ऊर्जा का विकास	Development of Nuclear Energy for Naval, Industrial and Heavy Earth Moving Operations	—77
6493	डा० अम्बेडकर के जन्म दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करना	Declaration of Dr. Ambedkar, Birthday as Public Holidays	—78
6594	परियोजना सर्किल के महाप्रबन्धक का कलकत्ता स्थित मुख्यालय	General Manager, Project Circle with Headquarters in Culcutta	—78

अता.प्र. संख्या U.S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6495	अपने मकानों वाले अधिकारियों का डाक तार विभाग के क्वार्टरों के हकदार होना	Flegibility for P & T Governments Quarters of Officers owning Houses	—79
6496	देश में गैर कानूनी बम विस्फोट	Illigal Bomb Explosions in the country	—79
6497	डाकू बनने का मुख्य कारण पुलिस ज्यादतियां	Police Excesses Main Cause for becoming Dacoits	—80
6498	ट्रांजिस्टर युक्त टेलीविजन सैटों का उत्पादन	Manufacture of Transistorised T.V. Sets	—80
6499	वर्ष 1972 और 1973 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों और टेलीफोन केन्द्रों की संख्या	Post Offices and Telephone Exchanges to be opened during 1972 and 1973	—80
6500	औद्योगिक नीति का पुनरावलोकन	Revision of Industrial Policy	—80
6501	त्रिपुरा राज्य को आवंटित किये गये प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी	Class I and Class II Officers allotted to Tripura	—81
6502	संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित सिविल सेवा के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी	Civil Service Class II Officers allotted to Union Territories	—82
6503	1967 के पश्चात समाचारपत्रों के पृथक संस्करण	Separate editions of Newspapers since 1967	—82
6504	चण्डीगढ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता बन्द करने देने सम्बन्धी सरकारी निर्णय के विरोध में बारी बारी से भूख हड़ताल	Relay fast by Central Government Employees in Chandigarh against Government's Decision to discontinue payment of CCA	—83
6505	विशेष-विशेष पक्षियों, पशुओं आदि के डाक टिकट	Postal Stamps on special birds animals etc.	—83
6507	मंत्रियों, उपमंत्रियों और सचिवों को निःशुल्क टेलीफोन कनैक्शन देना	Free of charge Telephone connections to Ministers, Deputy Ministers and Secretaries.	—84
6508	थुम्बा स्थित अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र के एक अधिकारी के मकान पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा जाना	Raid by CBI on the House of an Officer of Space Research Centre in Thumba	—84
6509	दिल्ली प्रशासन में फालतू कर्मचाचारियों की सेवाओं को समाप्त करना	Termination of services of surplus employees in Delhi Administration	—85

अता.प्र. संख्या U.S. Q.	विषय	Subjeet	पृष्ठ Pages
6510	उत्तर प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये धन के नियतन में वृद्धि करने की मांग	Demand for increase in allocation of funds for development of Industrially Backward Regions of U.P.	—85
6511	उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करने की योजना	Scheme for Industrial Development of Backward Areas of U.P.	—85
6512	आकाशवाणी के समाचार रिपोर्टर और संसदीय रिपोर्टर	News Reporters and Paraliamentary Reporters of AIR	—86
6513	आकाशवाणी के कलाकारों के संशोधित वेतनमान	Air Artistes' revised Pay Scales	—86
6514	आकाशवाणी से समाचार भारती द्वारा भेजे गये समाचार बुलेटिनों को प्रसारित किया जाना	Samachar Bharati News Bulletins Covered by AIR	—86
6515	क्षेत्रीय तथा अन्तर्राज्यीय असंतुलन	Regional and Inter State Imbalances	—87
6516	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल अधिनियम का कथित रूप से शक्ति बाह्य ठहराया जाना	Central Reserve Police Force Act Stated to be held Ultra Vires	—87
6517	सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारी	S.C. & S.T. Employees in Central Electronics and Engineering Research Instiute, Pilani	—88
6518	आकाशवाणी केन्द्र, गोरखपुर	A.I.R, Gorakhpur	—89
6519	केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित कर्मचारियों की बिदेशी पत्नियां	Foreign Wives of Gazetted Officers in Central Government	—89
6520	आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए सहायता अनुदान	Grant in Aid for Development of Backward Districts of Andhra Pradesh	—89
6521	समाचार पत्रों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण	Diffusion of Ownership of Newspapers	—90
6522	आकाशवाणी से तमिलनाडु सम्बन्धी प्रसारणों के लिये अधिक समय देना	More Time for Broadcast on Tamil Nadu over AIR	—91
6523	मदुरै रेडियो स्टेशन	Radio Station at Madurai	—91
6524	राज्यों के बारे में समाचार चित्र तैयार करना	Preparation of Newsreels about States	—91

अता.प्र. संख्या US.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6525	देश में और पश्चिम बंगाल में उद्योगों में पूंजी निदेश	Capital Investment in Industries in the Country and West Bengal	—92
6526	डनलप इण्डिया लिमिटेड का विस्तार	Expansion of Dunlop India Limited	—92
6527	मालपुरम जिले में पाकिस्तानी राष्ट्रकों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak Nationals in Malpuram District	—92
6528	दिल्ली में अवैध शराब (हूच) की बिक्री बन्द करने के लिए कार्यवाही	Action to stop Hooch Sale in Delhi	—93
6529	दिल्ली में मोटर गाड़ियों को चुराने के कारण व्यक्तियों की कथित गिरफ्तारी	Alleged Arrest of persons for Lifting of vehiclas in Delhi	—93
6530	दम दम हवाई अड्डे पर जाली पारपत्रों के साथ व्यक्तियों की गिरफ्तारी	Arrest of persons with forged Passports at Dum Dum Airport	—93
6531	जलपाईगुड़ी (पश्चिमी बंगाल) के निकट बालापाड़ा में एक खाई से चीनी राकेट प्रक्षेपणास्त्रों का कथित बरामद होना	Alleged recovery of Chinese Rocket Missiles from a ditch in Balapara near Jalpaiguri (West Bengal)	—94
6532	दिल्ली में दिसम्बर, 1971 में ब्लेक आउट नियमों का उलंघन	Violation of black out rules in Delhi in December, 1971	—94
6533	आत्म समर्पण करने वाले डाकुओं से विदेशी शस्त्रास्त्रों सहित बरामद किये गये शस्त्रास्त्र	Recovery of arms including foreign make from surrendering dacoits	—94
6534	केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम और कानन देवन पर्बत (भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करना	Inclusion of Kerala Land reforms (Amendment) Act and Kanan Devan Hills (Resumption of Lands) Act in the Ninth Schedule of constitution	—95
6535	केरल सरकार द्वारा राज्य से बेरोजगारी मिटाने के लिये केन्द्रीय सहायता की मांग	Central assistance sought by Government of Kerala for removing unemployment in the State	—95
6536	पुरासल पेपर मिल्स लिमिटेड (केरल) का विस्तार	Expansion of Purasul paper Mills Limited (Kerala)	—96
6537	केरल के पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों के लिये सहायता अनुदान के लिए आवेदन पत्र	Applications for grant in aid for industries in backward areas of Kerala	—96

अता. प्र. संख्या US. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6538	केरल में डाक तार विभाग के कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए धनराशि का नियतन	Funds allotted for P & T Employees quarters in Kerala	—97
6539	सेना के भूतपूर्व अधिकारियों की नागरिक सुरक्षा और होम गार्डस निदेशालय में भर्ती	Recruitment of Ex-army officials in Directorate of Civil Defence and Home Guards	—97
6540	दिल्ली के नागरिक सुरक्षा संगठन में स्टाफ कार का उपयोग	Use of staff car in Civil Defence Organisation of Delhi	—97
6541	परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in Deptt. of Atomic Energy	—98
6542	प्रकाशन विभाग की तेलुगु में पुस्तिकायें और सूचना पत्रक	Publications Division's Booklets and Leaflets in Telugu	—98
6543	हैदराबाद में फिल्म सेंसर बोर्ड की शाखा	Branch of Film Censor Board in Hyderabad	—99
6544	श्री टी० प्रकाशन पन्थुलु की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative stamp in memory of Shri T. Prakasam Panthulu	—99
6545	योजना आयोग द्वारा गोदावरी बाँध और वम्सा धारा परियोजनाओं को स्वीकृति	Clearance of Godavari Barrage and Vamsadhara Projects by Planning Commission	—99
6546	हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा नमक का उत्पादन	Production of salt in Hindustan Salt Ltd.	—100
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Adjournment Motion (Query)	—101
	ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में (प्रक्रिया)	Re. Calling Attention Notice (Procedure)	—101
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	—103
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions	—105
	चौदहवां प्रतिवेदन	Fourteenth Report	—105
	अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	Committee on Subordinate Legislation	—105
	तीसरा प्रतिवेदन	Third Report	—105
	कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Draught Conditions in some states	—105
	श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	—105

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	—107
काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को भारत द्वारा सहयोग न दिए जाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा की गई कथित टिप्पणियां	Reported remarks of the UN Secretary General re. India withholding cooperation to UN Observers in Kashmir	—107
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Harikishore Singh	—107
श्री स्वर्णसिंह	Shri Swaran Singh	—111
वित्त विधेयक, 1972	Finance Bill, 1972	—112
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh	—112
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	—113
श्रीमती ज्यौत्सना नन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda	—114
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	—115
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy	—119
श्री श्याम नन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	—119
श्री धरनीधर दास	Shri Dharnidhar Das	—120
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	—121
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	—122
श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai	—123
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	—125
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh	—126
श्री पी० के० घोष	Shri P.K. Ghosh	—127
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthamma	—127
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri	—127
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Yashwantrao Chavan	—127
खंड 2 से 28	Clause 2 to 28	

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 17 मई, 1972/27 वैशाख, 1894 (शक)
Wednesday, May 17, 1972/Vaisaka 27, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

पश्चिमी बंगाल के लिए केन्द्रीय गृह मन्त्रालय का विशेष सेल

*861. **श्री त्रिदिव चौधरी:**
डा० रानेन सेन :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन के समय भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन केन्द्रीय गृह मन्त्रालय में बनाये गये विशेष सैल को और कलकत्ता में स्थापित उसकी शाखा को विधान सभा के हाल ही के चुनावों और वहाँ नई राज्य सरकार के बन जाने के बाद भी चालू रखा जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार की सहमति से ऐसा किया जा रहा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). सैल को कायम रखा जा रहा है ताकि उन मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा सके जिनका सम्बन्ध पश्चिमी बंगाल की समस्याओं के बारे में कार्यवाही करने से केन्द्र सरकार का है।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार ने, जिनसे इस विषय में सलाह ली गई थी, प्रस्ताव का स्वागत किया है।

श्री त्रिदिव चौधरी : जहां तक मेरी जानकारी हैं और जैसा कि मैंने प्रश्न में भी कहा है कि इस 'सैल' को तथा पश्चिम बंगाल में इसकी एक शाखा को आयुक्त के रुतबे के एक वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी के नियन्त्रण में खोला गया था। यह अधिकारी इससे पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार के गृह सचिव थे। उनकी सेवा को संघ संवर्ग में लाया गया और उन्हें पश्चिम बंगाल में इस सैल का प्रमुख बनाया गया। माननीय मन्त्री के उत्तर को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि अब जबकि पश्चिम बंगाल सरकार अपने राज्य के आंतरिक मामलों को स्वयं देख रही है तो क्या इस सैल की शाखा पश्चिम बंगाल में भी बनी रहेगी ? क्या पश्चिम बंगाल में भी यह संगठन बना रहेगा और यदि नहीं तो यहां इसमें कितने कर्मचारी हैं और क्या आयुक्त के रुतबे के वही आई० ए० एस० अधिकारी अभी भी इस सैल के प्रमुख रहेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वास्तव में यह सैल दिल्ली में बहुत पहले अर्थात मार्च 1970 में गठित किया गया था और केवल सितम्बर 1971 में कलकत्ता में इसकी शाखा खोली गई थी तथा अतिरिक्त सचिव श्री वी० आर० गुप्त को नियुक्त किया गया था। अत: यह सैल दिल्ली से कार्य करता रहा है और कलकत्ता में इसकी एक शाखा थी। इस सैल का गठन यही था। अब यह सैल उसी रूप में चल रहा है अर्थात सैल दिल्ली में है और इसकी एक शाखा कलकत्ता में।

श्री त्रिदिव चौधरी : क्या पश्चिम बंगाल में संवैधानिक सरकार के स्थित होते हुए इस सैल को बनाये रखने के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं की जांच कर ली गई थी और क्या संविधान के अन्तर्गत राज्यों को दी गई स्वायत्तता का इससे उल्लंघन नहीं होता है ? यह बात दूसरी है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है अथवा नहीं। क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के सैल का गठन करने और राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम है ? यह पश्चिम बंगाल और केन्द्र में एक ही दल की सरकारों की बात नहीं है। आज सारे देश में केन्द्र-राज्यों के आपसी संबंधों के बारे में जो मतभेद है उसके संदर्भ में इस बात के संवैधानिक और कानूनी पहलू स्वभावतया अनेक भ्रांतियों को उत्पन्न करते हैं। क्या इस मामले के इस पहलू पर भी पूरी तरह विचार किया गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह प्रश्न इस भ्रांति पर आधारित है कि इस सैल के कृत्य राज्य सरकार के प्रभाव क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं माननीय सदस्य जानते हैं कि बहुत बार जब हम सदन में पश्चिम बंगाल से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करते हैं तो विभिन्न राजनैतिक दलों के अनेक सदस्य केन्द्र सरकार से कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के कानून और व्यवस्था तथा विकासात्मक पहलुओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सैल इसी बात के लिए प्रशासनिक प्रबन्ध है। राज्य के प्रभाव क्षेत्र का उल्लंघन करने का कोई प्रश्न नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है राज्य सरकार ने इस सैल को बनाये रखने का स्वागत किया है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : इस बात को देखते हुए जहां तक हमें मालूम है अन्य राज्यों के लिए ऐसे सैल नहीं है और न ही उनकी स्थापना आवश्यक समझी जाती है तो पश्चिम बंगाल में यह विशिष्ट प्रबन्ध क्यों किया गया है जबकि हमारे संविधान के सिद्धांतों के अनुसार यह विचार केन्द्र राज्य संबंधों के प्रतिकूल है तथा इसकी स्थापना यह आशंका उत्पन्न करती है कि प्रशासन के अनुसंधान और विश्लेषण विभागों को इस प्रकार के संगठन के अन्तर्गत लिया जा सकता है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह प्रश्न भी शायद इस धारणा पर आधारित है कि अन्य राज्यों अथवा देश के अन्य भागों के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं है यह पूर्णतया ठीक नहीं है। काफी समय तक काश्मीर के मामलों के लिए अलग से एक सचिव नियुक्त था। अभी भी गृह मंत्रालय में काश्मीर प्रभाग है। उसके अतिरिक्त काश्मीर की समस्याओं के निपटान के लिए मंत्रियों की एक अनौपचारिक समिति है। पूर्वोत्तर प्रदेश के लिए एक पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना का प्रस्ताव है। वास्तव में अब हम पूर्वोत्तर भारत की समस्याओं के लिए गृह मंत्रालय में एक सैल स्थापित करने की संभावना की जांच कर रहे हैं। मेरे विचार के अनुसार इतने बड़े देश में, जहां कुछ राज्यों अथवा प्रदेशों में विशेष समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इस प्रकार का कोई संगठन होना चाहिये जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार उस क्षेत्र का समस्याओं के प्रति विशेष ध्यान दे सके और केन्द्र में एक समन्वय निकाय के रूप में कार्य कर सके, जो कि उस क्षेत्र अथवा राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए विभिन्न मंत्रालयों से सम्पर्क बना सके। इसके अतिरिक्त यदि सम्भव हो तो एक सैल स्थापित किया जाए जो राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के मध्य समन्वय का कार्य करे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि यह राज्यों की स्वायत्तता पर कुठाराघात है। यह तो केवल राज्यों की सहायता के लिए है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैंने तो प्रशासन के विशेष निन्दनीय एककों के सम्बन्ध में प्रश्न किया था। मैंने तो नाम भी बताया था। क्या पश्चिमी बंगाल को भी काश्मीर के समान समझा जाता है जो कि ऐतिहासिक कारणों से एक समस्याजनक राज्य है ? क्या यह सरकार का मत है कि पश्चिमी बंगाल के साथ काश्मीर जैसा व्यवहार किया जायेगा ? काश्मीर को तो बहुत ही विशेष कारणों से संविधान के अन्तर्गत विशेष स्थान दिया गया है। यह तो बहुत असमान्य है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह मेरे वक्तव्य की असाधारण गलत बयानी है।

श्री समर गुह : यह तो वास्तव में विस्मयकारी बात है। जैसा कि श्री मुखर्जी ने कहा काश्मीर को तो संविधान के अंतर्गत विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं और हाल ही में पूर्वोत्तर प्रदेश को कुछ संविधानिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इन दो राज्यों अथवा राज्य समूहों को छोड़कर क्या किसी अन्य राज्य के बारे में केन्द्रीय सैल है और यदि हां तो काश्मीर और नेफा के अतिरिक्त उन अन्य राज्यों के नाम क्या हैं ? मैं सरकार से पश्चिम बंगाल के लिए विशेष सैल के गठन में प्रशिक्षित व्यक्तियों के सम्बन्ध में एवं विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों का प्रतिनिधत्व करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में तथा उन विशेष समस्याओं का, जिनकी ओर पश्चिमी बंगाल के लिए स्थापित विशेष सैल ध्यान देना चाहता है, ब्यौरा जानना चाहता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : किसी अन्य क्षेत्र के लिए कोई अन्य सैल नहीं है और इसका कारण यह है कि उनकी आवश्यकता नहीं समझी गई। यह तो स्थिति, परिस्थितियों तथा उन समस्याओं की प्रकृति पर निर्भर करता है जिन्हें हल किया जाना है। उदाहरण के लिए उन्होंने सैल द्वारा किये गये कार्यों के बारे में पूछा है। यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि भूमि सुधारों के संबंध में हमने इस कार्य के लिए अतिरिक्त सचिव के पद का एक अधिकारी पश्चिम बंगाल भेजा। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण, जो कि कलकत्ता के विकास के लिए है का गठन करते समय हमारे रास्ते में कठिनाइयां आईं। उन्हें हल करने और प्राधिकरण के गठन में इस सैल ने हमारी सहायता की। जब पश्चिम बंगाल के संकट ग्रस्त उद्योगों को पुनः चालू करने की बात

आई तो इस सैल ने इस दिशा में विशेष ध्यान दिया और औद्योगिक विकास मंत्रालय से सम्पर्क बनाया ।

श्री त्रिदिव चौधरी : उस समय वहाँ पर कोई लोक प्रिय सरकार नहीं थी, अब पश्चिम बंगाल में संवैधानिक रूप से गठित सरकार है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एक विख्यात अधिवक्ता के अधीन गठित संवैधानिक सरकार से आशा की जाती है कि वह संविधान का आदर करेगी और किसी भी विषय के कानूनी पहलुओं को देखेगी । वह भी इससे सहमत हैं ।

श्री समर गुह : मैंने सैल के गठन तथा विभिन्न मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों के बारे में पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले उत्तर से कभी भी संतुष्ट नहीं होते । दूसरी बार उठना आपकी आदत है । यह वास्तव में बुरी बात है । उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच नहीं है कि इस सैल की स्थापना केवल राजनैतिक कारणों से की गई थी और इसका संबंध अनुसन्धान और विश्लेषण विभाग से है जो सीधे प्रधान मंत्री के अधीन हैं ? क्या में जान सकता हूं कि चुनावों के पश्चात, पश्चिम बंगाल की स्थिति में सुधार हो जाने के बारे में दिये गये अनेक वक्तव्यों के पश्चात और सरकार के उनके अपने व्यक्ति के हाथ में होने के बावजूद इस सैल को क्यों बनाए रखा जा रहा है ? पश्चिम बंगाल की राजनैतिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजने के अतिरिक्त इस सैल का कोई कार्य नहीं है ।

श्री कृष्ण चन्द पंत : अपने स्थान पर खड़े हुए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस प्रश्न का उत्तर प्रधान मंत्री को देना चाहिए । यह प्रश्न गृह मंत्री से पूछा गया था और प्रधान मंत्री गृह मंत्री हैं ।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर श्री पंत देते रहे हैं। वह उत्तर दे सकते है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री पंत गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं । प्रश्न गृह मंत्री से पूछा गया है । जब गृह मंत्री सदन में उपस्थिति हैं, वह स्वयं उत्तर क्यों न दें ? आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पंत उत्तर दे सकते हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : श्री दीनेन भट्टाचार्य के वक्तव्य में जो शंकाए है वह निर्मूल हैं। वह निराधार हैं । अनुसन्धान और विश्लेषण विभाग और इस सैल के बीच कोई सम्बन्ध नहीं हैं, इस सैल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की भी कोई बात नहीं है । उनको यह पता है कि सरकार अन्य अभिकरणों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकती है । सरकार का आसूचना विभाग है और इस कार्य के लिए इस सैल की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि वह कहते हैं कि यह राजनैतिक है तो मैं इससे सहमत हूं परन्तु इस रूप में कि पश्चिम बंगाल के लोगों के कल्याण के लिए हमारी राजनीति का ही यह भाग है ।

मालवान, महाराष्ट्र के डाकखाने की इमारत तथा पोस्टमास्टर के क्वार्टर

***862. श्री अण्णासाहिब गोटखिन्डे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालवान (महाराष्ट्र) में 2.81 लाख रुपयों की लागत से जुलाई, 1968 में बन कर तैयार हुई डाकखाने की इमारत तथा पोस्टमास्टर के क्वार्टर जून, 1971 तक खाली पड़े रहे;

(ख) क्या कुछ अन्य विभागीय इमारतों को भी उपयोग में लाने में इसी प्रकार की देरी किये जाने का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, कुछ अन्य मामलों में भी इसी तरह की देर हुई है।

(ग) मलवाण डाकघर की इमारत के लिए बिजली के पम्प की व्यवस्था करने और बिजली का कनेक्शन हासिल करने में देरी की वजह है (i) इस जगह से इसे उपयोग में लाने में विलम्ब हुआ। यह व्यवस्था समय पर न हो सकने की वजह का दूरदराज स्थित होना; (ii) सहायक इंजीनियर (विद्युत) का अधिकार-क्षेत्र बहुत बड़ा होना (iii) टेंडरों की सूचना की समुचित प्रतिक्रिया न होना और (iv) स्थानीय बिजली बोर्ड द्वारा पम्प के लिए पावर कनेक्शन मंजूर करने में विलम्ब।

ऊपर भाग (ख) में जिन कुछ अन्य मामलों का जिक्र किया गया है, उनमें देर का मुख्य कारण इमारत के निर्माण संबंधी अलग अलग काम एक से अधिक एजेंसियों को देना था। चूंकि 1968 तक सिविल विंग में सिर्फ एक ही बिजली डिवीजन था जो कि देश के छोटे से हिस्से के बिजली संबंधी कार्यों की देख-रेख कर रहा था, इसलिये इस दिशा में कुछ नहीं किया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप देश के अन्य भागों में बिजली के सभी काम और यहां तक कि सिविल विंग के विद्युत मंडल के क्षेत्र के भीतर पड़ने वाली छोटी इमारतों के एक लाख रुपये तक के बिजली के काम सर्कल/जिले मंडल इँजीनियर, तार के जरिये करा रहे थे। 1968 से सिविल विंग की बिजली शाखा का विस्तार करने के बाद धीरे धीरे स्थिति बदली है। पिछले महीने ऐसे आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी इमारत के प्रोजेक्ट/निर्माण के सिविल और बिजली संबंधी कामों की योजना बनाने और क्रियान्वित करने का काम एक ही एजेंसी को सौंपा जाए। आशा है कि इन आदेशों पर अमल करने से इमारत बन जाने के बाद उन्हें उपयोग में लाने में पहले जो समय लगता था, वह कम हो जाएगा।

श्री अण्णा साहिब गोटखिडे : मंत्री महोदय का उत्तर उतना ही लम्बा है जितना इमारत को उपयोग में लाने में विलम्ब हुआ है और यह उत्तर संतोषजनक मालूम नहीं पड़ता है। इमारत लगभग तीन वर्ष तक खाली पड़ी रही थी और अब कारण यह बताया गया है कि ऐसा पानी के सप्लाई करने वाले पम्पों की कमी के कारण से हुआ है। पम्प के सेट्स 20 महीने के विलंब के पश्चात लगाये गये थे। इसका कारण कार्य करने के लिए ठेकेदारों को रखने में असमर्थता बताया गया है। टेंडरों को काफी विलम्ब के पश्चात मांगा गया था। पम्पों की आवश्यकता को पहले ही क्यों नहीं जाना गया था ? विभिन्न संबंधित विभागों के मध्य समन्वय न होने के क्या कारण हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मै प्रश्नकर्ता से सहमत हूं। मेरा केवल कहना यह है कि इस इमारत का प्रश्न तब उठाया गया है जब सब कार्य समाप्त हो गया है।

श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे : पम्पों को लगाने के उपरान्त भी पावर कनेक्शन के लिए आवेदन काफी विलम्ब से किया गया था, मैं जान सकता हूं कि पम्प को लगाने के उपरान्त कितने समय पश्चात अपेक्षित पावर कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया था ? क्या ऐसा दो वर्ष पश्चात नहीं किया गया था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जैसा कि मैं ने अपने उत्तर में बताया है कि इसमें विलम्ब का कारण वे विभिन्न अधिकारी हैं जो इस विषय से संबंधित थे। हमने हाल ही में यह आदेश दिये हैं कि इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृति अब कभी न हो।

Difficulties Faced by Newspapers and Journalists Due to Limmitting the Pages of Newspapers

+
*863. **Shri Jagannath Mishra :**
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the difficul'ies likely to be faced by newspapers and journalist as a result of the decision taken by Government to limit the number o f pages of newspapers; and

(b) if so, the scheme of Government to solve these difficulties ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख) : कुछ समाचार-पत्रों तथा पत्रकारों द्वारा इस सम्बन्ध में व्यक्त किए गए विचारों से सरकार अवगत है। प्रत्यक्षतया इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि 10 पृष्ठों की सीमा निर्धारण से समाचार-पत्रों की अर्थ व्यवस्था तथा विकास पर असह्य बोझ पड़ेगा। तथापि सरकार अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने और यदि कोई प्रत्युपाय आवश्यक हो तो उसपर विचार करने से पूर्व हाल ही में नियुक्त तथ्य अन्वेषक समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना चाहेगी।

Shri Jagannath Mishra : May I know whether the Government's decision to restrict the number of pages of newspapers will result in decline of their sale and retrenchment of employees ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि इनकी बिक्री कम हो जायेगी। छटनी होने की आशंका करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

Shri Jagannath Mishra : May I know whether it is not a fact that same newspapers have filed a case in court against this decision of the Government ? If so, the reaction of Government thereto ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : उच्चतम न्यायालय ने लोकशीलता के बारे में सीमित प्रश्न पर रोक आदेश दिया है तथा क्या वे समाचार पत्रों के लिए आबंटित अखबारी कागज का उपयोग अपने समाचार पत्रों के पृष्ठ बढ़ाने अथवा इसकी प्रसार संख्या बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।

Shri Bibhuti Mishra : You have restricted the number of pages but have you given any directive regarding allotment of space for advertisements, news and other matters so that the newspapers give satisfaction to all and that the space for news is not reduced and advertisemenf is not stopped ? Have you given any directive in this respect ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इस समय सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि इतना प्रतिशत अखबारी कागज समाचारों के लिए होगा और इतना प्रतिशत विज्ञापनों को, परन्तु प्रेस आयोग की यह सिफारिश थी कि 40 प्रतिशत स्थान विज्ञापनों को दिया जाना चाहिए और 60 प्रतिशत स्थान समाचारों को दिया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस तथ्य को देखते हुए कि हाल ही में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कम से कम तीन बड़े दैनिक समाचार पत्रों को इस बात की अनुमति दी थी कि वे अपने समाचार पत्रों के पृष्ठों की संख्या 10 से अधिक बढ़ा सकते हैं और यह बात अन्य मामलों में भी लागू हो सकती है तो क्या सरकार पृष्ठों की संख्या सीमित करने के इस तरीके के अतिरिक्त अखबारी कागज बचाने के किसी वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी . पहली बात तो यह है कि वह रोक आदेश के अन्तर्गत वस्तुतः सरकार उनको अधिक अखबारी कागज देने के लिये बाध्य नहीं है, चाहे वे पृष्ठों की संख्या बढ़ाते हैं अथवा इसकी प्रसार संख्या बढ़ाते है, ऐसा उन्हें आवंटित अखबारी कागज से करना होगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया रोक आदेश केवल अस्थायी है, अन्तिम सुनवाई 19 जुलाई को होगी और उसके बाद यदि कोई कार्यवाही आवश्यक है तो वह की जायेगी।

मंत्री महोदय ने पूछा था कि क्या सरकार कोई अन्य कार्यवाही करने पर विचार कर रही है तो इसका उत्तर हां में है। सरकार वैकल्पित कार्यवाही पर भी विचार कर रही है

श्री अनन्तराव पाटिल : मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या कुछ समाचारपत्र उपभोक्ताओं की सेवा के नाम पर 10 पृष्ठ की प्रतिबन्धित संख्या के अतिरिक्त सफेद अखबारी कागज का प्रत्येक टेबोलायड आकार के अनुपूरक पृष्ठ निकालने में कर रहे हैं, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि तथ्यों का पता लगाने वाली समिति कब तक अपना प्रतिवेदन देगी तथा उस पर कब कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जहाँ तक पहले प्रश्न का संबन्ध है, सरकार इस बात को जानती है। अखबारी कागज का आवंटन करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जायेगा और यदि कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता हुई तो वह की जायेगी, तथ्यों का पता लगाने वाली समिति छः महीने तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी।

श्री जी० विश्वनाथन : पृष्ठों को संख्या सीमित करने का अर्थ समाचार पत्रों पर दवाव डालना है, यदि वस्तुतः सरकार अखवारी कागज की बचत करना चाहती है तो क्या सरकार मूल्य पृष्ठ सारिणी के पुराने सिद्धान्त को लागू करगी ?

श्रीमती नन्दनी सत्पथी : यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि 10 पृष्ठों तक संख्या पर रोक लगाने का अर्थ समाचार पत्रों पर दवाब डालना है, दूसरी ओर मैंने इस सभा में बार-बार कहा है कि इसका उद्देश्य बहुत सीमित है अर्थात दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बचत करना, ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसका उद्देश्य समाचार पत्रों पर दवाब डालना है, जहां तक अन्य प्रश्न का सम्बन्ध है, सरकार मूल्य के प्रश्न पर भी विचार कर रही है।

श्री सुरेन्द्र मंहती उठ खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : जब वे प्रश्न का उत्तर दे रही होती है तब आप प्रश्न करते हैं, आपको यह तरीका छोड़ देना चाहिए। मैंने देखा है कि जब भी वे प्रश्न का उत्तर देती हैं तब आप खड़े हो जाते हो, फिर भी में आपको अनुमति देता हूँ।

श्री सुरेन्द्र महंती : क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि तथ्यों का पता लगाने वाली समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या है !

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इससे नहीं उठता है, यह संगत प्रश्न नहीं है क्योंकि उन्होंने तथ्यों का पता लगाने वाली समिति का केवल उल्लेख किया है।

मैसूर महाराष्ट्र सीमा विवाद

***864. श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर महाराष्ट्र सीमा विवाद के निबटाये जाने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों राज्य प्रधान मंत्री के निर्णय को मानने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो अन्तिम फैसला कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कोई निर्णय नहीं किया गया है किन्तु सरकार का विचार कोई सम्मत हल निकालने के इरादे से नई पहल करने का है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी० एम० मेहता : कुछ अन्तर्राज्यीय विवाद बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि प्रस्तावित कार्यवाही का स्वरूप क्या होगा। क्या कोई आयोग अथवा समिति स्थापित की जाएगी अथवा कोई मध्यस्थ नियुक्त किया जायगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इस समय दोनों मुख्य मंत्रियों से विचार विमर्श करने तथा इस सम्बन्ध में दोनों में समझौता कराने का प्रयत्न करने का प्रस्ताव है। यह विवाद कई वर्षों से चलता आ रहा है अतः हम मुख्य मंत्रियों से परामर्श करके उनमें कोई समझौता कराना चाहते हैं। इस बारे में मैंने दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की है तथा उनसे पूछा है कि क्या वे इस विवाद को सुलझाना चाहते हैं।

श्री पी० एम० मेहता : क्या मैसूर और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों ने प्रधान मंत्री के औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से इस आशय का कोई प्रस्ताव भेजा है कि समस्या के समाधान के लिए हम दोनों मिलकर एक सम्मत सूत्र प्रस्तुत करेंगे तथा क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : नहीं।

श्री प्रभुदास पटेल : विभिन्न राज्यों में सीमा सम्बन्धी विवाद हमारे राष्ट्रीय जीवन के बहुत गम्भीर प्रश्न है। इस विवाद को यथाशीघ्र हल कर दिया जाना चाहिये था। अतः यथाशीघ्र समझौता कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत हूं कि यह मामले बहुत महत्वपूर्ण है तथा इनका शीघ्र निपटारा किया जाना उचित है । इस समस्या का समाधान खोजने के लिए ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए गए हैं जिनमें दोनों राज्यों के बीच कोई कटुता न रहे तथा जो दोनों राज्यों की तथा देश की जनता के हितों के अनुकूल हों । इसी दृष्टिकोण से कई प्रयत्न किये गये हैं तथा जैसा कि मैंने निवेदन किया है इस विवाद को हल करने के लिए अच्छे से अच्छा रास्ता निकालने के लिए मैं पुनः मुख्य मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा हूं ।

Shri Jagannath Rao Joshi : The hon. Minister has stated that in consultation with the Chief Minister of both the states he in trying to find out the area of agreement between them. This step has already been taken. This matter was looked into by the four-men committee, two member from Maharashtra and two from Mysore Mahajan Report has also been received. Does the hon. Minister hope that he would get some area of agreement between them even now? Recently it was learnt that both the Chief Minister had agreed to be the entire matter to be setteled by the Prime Min ister. But the Chief Minister of Mysore, Shri Urs contradicted that report. This matter is pending since 1957. May I know whether central government with thumping majority would take certain concrete steps to solve all there dispute ?

Shri K. C. Pant: This Report was placed on the Table of the house probably in December, 1970. After that Mysore state was place under governor's rule, Governor's Rule has been lifted recently and the new government have come there. We have started discussion with them. This is the only way to solve the dispute the step which does not produce any result can not be said to be a concrete step.

श्री के० लकप्पा : मैसूर राज्य की जनता की इच्छा को पूरा करने के लिए कि मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा किया जाए महाजन आयोग नियुक्त किया गया था । इस आयोग ने अपना फैसला दे दिया है जिसे अन्तिम फैसला माना जाना चाहिए क्योंकि दोनों राज्यों ने इसे मंजूर कर लिया है । अब सरकार ने केवल उस निर्णय को पूरी तरह से लागू करना है जो महाजन ने आयोग में दिया है तथा मैसूर राज्य की जनता की यही मांग है ।

क्या मंत्री महोदय बताएगें कि भारत सरकार स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन देगी कि महाजन आयोग के प्रतिवेदन की सभी सिफारिशों को लागू किया जाएगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह प्रश्न इस कल्पना पर आधारित है कि महाराष्ट्र सरकार ने महाजन अयोग के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है । उनका यह अनुमान सच नहीं है ।

श्री के० लकप्पा : मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूँ ..

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में आश्वासन नहीं उत्तर दिये जाते हैं ।

श्री के० लकप्पा : महाजन आयोग का निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाना था क्योंकि आयोग की नियुक्ति महाराष्ट्र सरकार की अनुमति से की गई थी । अतः इसका निर्णय अन्तिम निर्णय था क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि महाजन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया है ।

श्री के० लकप्पा : उन्होंने इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है कि महाजन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी जो उत्तर दिया है उसके अतिरिक्त मैं उनको कोई अश्वासन देने को विवश नहीं कर सकता।

श्री के० लकप्पा : उन्होंने मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। मेरा यही निवेदन है।

श्री धामनकर : क्या मैसूर और महाराष्ट्र इस बात पर सहमत हैं कि इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रधान मंत्री को मध्यस्थ बनाया जाए ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इन बैठकों में मैंने उनसे यह प्रस्ताव किया था कि वे यह बताएं कि इस समस्या को किस प्रकार सुलझाने का प्रयत्न करे जिससे इनका कोई समाधान निकल सके। इसके अतिरिक्त कुछ बातचीत नहीं हो सकी।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच नहीं है प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने महाराष्ट्र के क्रांतिकारी स्वर्गीय सेनापति बपत को यह पत्र लिखा था...

अध्यक्ष महोदय : यहां इसका क्या सम्बन्ध है ?

प्रो० मधु दण्डवते : इसका सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी ने कोई पत्र लिखा...

प्रो० मधु दन्डवते : महोदय ! कृपया मेरा प्रश्न तो सुनिए। प्रश्न सुने बिना उसकी संगत का निर्णय न करें...

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है।

प्रो० मधु दन्डवते : यदि यह प्रश्न असंगत हुआ तो मैं उसे वापस ले लूंगा... (**व्यवधान**) क्या यह सच नहीं है कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्वर्गीय सेनापति बपत को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि सीमा विवादों को सुलझाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता की भाषा और उनकी आकांक्षाओं को आधार माना जा सकता है ?

इसलिये मेरा प्रश्न पहले भाग से ही सम्बद्ध प्रश्न है...

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे उनके पहले प्रश्न को ही अवैध घोषित करने दीजिये फिर दूसरे का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे अपना प्रश्न पूरा करने दीजिये। अतः मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रश्न को दोनों मुख्य मंत्रियों पर जो कि स्पष्ट रूप से घोषित कर चुके है कि वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते छोड़ने की बजाय और इसे राजनैतिक दृष्टिकोण से हल करने की अपेक्षा क्या यह उचित नहीं होगा कि सरकार कतिपय लोकप्रिय अथवा अलोकप्रिय सिद्धान्त बनाये और उन्हें इन दोनों राज्यों पर लागू करके कहे कि बस अब इसका अन्तिम रूप से निर्णय हो चुका है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मंत्री उत्तर देने को प्रायः उठ ही रही हैं।

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह इस पर निर्भर करता है कि आप इस प्रश्न की अनुमति देते हैं अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मंत्री मेरे प्रश्न के उत्तर देने को उठ ही रही थीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इतने अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूँ। माननीय सदस्यगण अधिक प्रश्न पूछ कर इस समस्या को हल नहीं कर सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर देने को उठ रही थीं। कम से कम आपको प्रधान मंत्री की स्वतन्त्रता पर तो प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये।

डा० वी० के० आर० वरदराज राव : एक पहले प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकार ने महाजन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का महाजन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में क्या दृष्टिकोण है, क्या वह इसे ऐसा आयोग समझती है जिसकी सिफारिशें दोनों राज्यों को मान्य होंगी। क्या वह इसे एक प्रचार समझती है ? केन्द्र सरकार महाजन आयोग के प्रतिवेदन को वस्तुतः क्या संज्ञा देना चाहती है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ऐसे सभी आयोगों के प्रतिवेदन को अन्तिम निर्णय नहीं माना जाता क्योंकि किसी क्षेत्र की सीमा के निर्धारण के बारे में अन्तिम निर्णय संसद करती है। अपने प्रस्ताव तैयार करते समय सरकार ऐसी सिफारिशों को विचार में रखती है और ये प्रस्ताव संसद के सामने पेश किये जाते हैं स्वाभाविक ही है कि आयोग के सदस्य व्यक्तियों के प्रतिष्ठा को देखते हुए भी उनकी सिफारिशों को यथेष्ठ महत्व दिया जाता है।

श्री ए० के० कोत्राशेट्टी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि मैसूर और महाराष्ट्र के विवाद को हल करने के लिए नये सिरे से उपाय किये जायेंगे। क्या मैसूर और केरल के विवाद को हल करने के लिये भी नये सिरे से प्रयास किये जायेंगे क्योंकि यह बात उनके उत्तर से स्पष्ट नहीं है। महाजन आयोग को मैसूर, महाराष्ट्र तथा केरल के विवादों को हल करने के लिए नियुक्त किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री ए० के० कोत्राशेट्टी : उन्होंने केवल दो राज्यों तथा मैसूर और महाराष्ट्र का ही उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केरल और मैसूर के मध्य विवाद का भी हल करने हेतु नये सिरे से कोई कार्यवाही की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न केवल मैसूर तथा महाराष्ट्र के बारे में है।

श्री ए० के० कोत्राशेट्टी : उत्तर महाजन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में है और यह प्रतिवेदन तीनों राज्यों से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्तः केरल के सम्बन्ध में प्रश्न वस्तुतः मुख्यप्रश्न से उत्पन्न नहीं होता परन्तु फिर भी मैं इन विशिष्टताओं की आड़ नहीं लूंगा। मैंने केरल के मुख्य मंत्री से कोई बात-चीत नहीं की।

श्री एन० शिवप्पा : महाजन आयोग के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रख दिया गया है। जब यह मामला सभा के समक्ष विचाराधीन है, और जबकि इस प्रकार का विशिष्ट प्रश्न उठ चुका है तब क्या एक केन्द्रीय मंत्री का समस्या के केवल एक पक्ष के बारे में दृष्टिकोण इस समस्या

का हल निकाल सकता है ? क्या सरकार काफी समय से अनिर्णीत पड़े इस प्रश्न को हल करने के लिए कोई विकल्प निकालना चाहती है और यदि हां, तो इन दो अथवा तीनों मुख्य मंत्रियों के समक्ष क्या विकल्प रखना चाहती है ? क्या सरकार महाजन आयोग के समूचे निष्कर्ष को बिल्कुल ही रद्द कर देना चाहती है अथवा क्या इस समस्या के समाधान के लिए तीनों राज्यों के मुख्य-मंत्रियों या लोगों के सामने कोई विकल्प रखना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दो बार दिया जा चुका है । वह इसी प्रश्न को विभिन्न रूप में पूछ रहे हैं ।

श्री एन० शिवप्पा : मेरा प्रश्न बहुत ही साधारण है ।

अध्यक्ष महोदय : सम्भव है यह बहुत ही साधारण हो, परन्तु इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री वसन्त साठे : इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए तथा इस विचार से कि महाजन आयोग का प्रतिवेदन संसद के सामने है, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने तथा इसे हल करने के लिए इन तीनों राज्यों से असम्बन्धित संसदसदस्यों की एक समिति नियुक्त करने का विचार करेगी जो कि प्रधान मंत्री को अपनी सिफारिशें पेश करे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है ।

अशोक होटल में जवाहरात की डकैती के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

***865. श्री ईश्वर चौधरी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अशोक होटल में हुई जवाहरात की डकैती के मामले की जांच में कोई प्रगति की है; और

(ख) यदि हां तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिन्होंने देश के बाहर विभिन्न प्रकार की पूछताछ करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता ली है । सात व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और लगभग एक लाख रुपये की सम्पत्ति बरामद की गई है । मामले में जांच-पड़ताल जारी है ।

Shri Ishwar Chaudhary : This Ashoka Hotel conspirecy of the so called American dancer Miss Gloria and of Dr. Elian has joined international importance. Uptil now it has been stated in the report that seven persons have been arrested and that further investigation is in progress. I therefore, want to know from the hon. Minister the names of the countries where the investigations are going on. How many persons have so for been arrested. What are their names and also how much time would be taken in completing the investigations.

श्री एफ०एच० मोहसिन : सात व्यक्तियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है । उनके नाम हैं: डा० गिलियन क्लेयर लिबोरल, @चार्लेस गुर्मुख सोबराज, पियरे बाउचर, इरान @मैनुफल,

अजय रसकलाल मोदी, श्रीमती चन्तल सोबराज, चार्लस सोबराज की पत्नी, मश्कत पिडली तथा कुमारी ग्लोरिया ।

एक माननीय सदस्य : उनकी राष्ट्रीयता क्या है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : चार फ्रान्सीसी हैं, दो ईरानी और एक भारतीय है ।

एक माननीय सदस्य : उनके पते क्या है ?

Shri Ishwar Chaudhary : It has become quite clear that Ashoka Hotel is a big den for international smuggling and these incidents have happened in connivance with authorities there. I want to know whether it is a fact that Dr. Elian and his accomplices has fled away enroute to Pakistan the route through which they had come here ? Also whether the government propose to make investigations against those offiicers of the Ashoka Hotel whose names have come up in this context and also what steps do the Government propose to take to check the recurrence of there incidents ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : इस संबंध में अभी जांच की जा रही है । दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरों मामले की छान-बीन कर रहे हैं । ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं ।

Shri Ishwar Chaudhry : This internationally notoreous geng is acting in connivance with the officers in the Ashoka Hotal, therefore, may I know what steps are being taken to stop such incidents in future.

It is clear from the names mentioned above that some are Indians and some are foreigners.

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह बात तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि निःसंदेह इस विशेष मामले में विदेशी नागरिकों का हाथ है । हमारे देश में तथा विदेशों में इसकी जांच की जा रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है कि अशोक होटल में भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न घटने पायें ।

Mr. Speaker : He may again ask if the employees of Ashoka Hotel are not involved in it ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : हमें इस बात की कोई जानकारी नही है परन्तु इस मामले की जाँच करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय : यह जांच कितने वर्षों से चल रही है और इसे पूरा होने में कितना ससय लगेगा ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह मामला 1 नवम्बर 1971 को पंजीकृत किया गया था । चूंकि पुलिस द्वारा इस मामले की जाँच की जानी थी और वह भी विदेशों में, अतः उसमें समय लगना स्वाभाविक ही है ।अगले महीने अतः जून 1975 में आरोप-पत्र दायर किया जायेगा ।

भारतीय स्वाधीनता का रजत जयन्ती समारोह

***866. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की स्वाधीनता के रजत जयन्ती समारोह के लिए क्या-क्या कार्यक्रम तैयार किये गये हैं;

(ख) क्या इस कार्य के लिए कोई समिति गठित की गई है और यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या है;

(ग) क्या इस अवसर पर स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जायेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हमारी स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती समारोह के लिए अब तक प्राप्त सुझावों का एक सारांश सभा-पटल पर रखा जाता है। ये सुझाव विचाराधीन हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान, वित्त मंत्री श्री वाई० वी० चव्हान की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक दल गठित किया गया। इसके सदस्य हैं-डा० करन सिंह, मंत्री, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय, श्री कृष्ण चन्द्र पन्त, गृह मंत्रालय में मंत्री, श्री इन्द्र कुमार गुजराल, राज्य मंत्री, निर्माण और आवास मंत्रालय, प्रो० नुरूल हसन, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री. श्रीमती नन्दिनी सत्पथी, राज्य मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मँत्रालय, श्री वेद ब्रत बरुया, उपमंत्री, समवाय कार्य विभाग, और श्री ए० सी० जार्ज, उप मंत्री, विदेश व्यापार मंत्रालय।

(ग) और (घ) : जी हां श्रीमान। यह विचाराधीन विषयों में से एक है।

विवरण

सरकार द्वारा रजत जयन्ती समारोह के कार्यक्रमों का सारांश

1. विषय वस्तु : समारोहों का मूल विषय 14 अगस्त, 1947 को स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री द्वारा घोषित आदर्शों की उपलब्धियों के लिए पुनः समर्पण, उन शहीदों को उपयुक्त ढंग से श्रृद्धाँजली देना जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया, शताब्दी के पिछले 25 वर्षों की उपलब्धियों का पुनरीक्षण, लोगों ने जिन समस्याओं का सामना किया और इस प्रक्रिया में उनको प्राप्त आत्मविश्वास, साधारण लोगों विशेषतः पिछड़े तथा गरीब वर्गों के लोगों के लिए स्थायी मूल्य का विकासात्मक तथा कल्याण कार्य और विभिन्न उत्पादक कार्यों में आत्मनिर्भरता व स्वावलम्बन पर बल होंगे।

2. कार्यक्रमों की श्रेणियां : कार्यक्रम 14 अगस्त, की मध्य रात्रि से शुरू होगा और हर महीने इस प्रयोजन के लिये लगभग एक सप्ताह नियत करके एक वर्ष तक जारी रहेगा। विभिन्न पक्षों के अन्तर्गत कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है अर्थात: (i) आदर्शों तथा प्रचार का प्रक्षेपण (ii) समारोह कार्य (iii) विकासात्मक तथा कल्याणकार्य (iv) स्वतन्त्रता सेनानियों के स्मारक व यादगार (v) शैक्षणिक तथा युवा कार्य तथा खेल कूद (vi) सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पर्व (vii) संग्रहालय तथा प्रदर्शनियां और (vii) विदेशों में समारोह।

3. ऐजेंसियाँ : केन्द्रीय सरकार में गृह मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा, प्रतिरक्षा, विदेश व्यापार, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, सूचना तथा प्रसारण, संसदीय कार्य विभाग, विज्ञान तथा तकनीकी, समाज कल्याण तथा पर्यटन मंत्रालय विभिन्न कार्यों के कार्यभारी हैं। उन सब में

कार्य वितरण कर दिया गया है। गृह मंत्रालय समन्वय कार्य कर रहा है। प्रधान मंत्री द्वारा राज्य सरकारों को पत्र लिखे गये हैं और उनको विस्तृत ब्यौरे देते हुए समाहित दस्तावेज प्रेषित किया है। सरकार के अतिरिक्त अकादमी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान आदि जैसे निकाय भी शामिल होंगे। राज्य सरकारें केन्द्र द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रमों में से कुछ को लेने के अतिरिक्त स्वयं अपने कार्यक्रम तैयार करेंगी।

4. **महत्वपूर्ण विषयों की सूची (समारोह-सम्बन्धी)** : संसद के केन्द्रीय कक्ष में पुनः समर्पण उत्सव मनाना। राजधानी से पंचायत स्तर तक महत्वपूर्ण भवनों को प्रकाशित करना। कुछ नई विशेषता के साथ लाल किले में समारोह जैसे लाल किले में अभिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रभात फेरी। नई दिल्ली में आमंत्रित स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को ताम्रपत वितरित करने के लिए विशेष समारोह। अन्य के लिये राज्य और जिला मुख्यालयों में समान समारोहों का आयोजन। फ्लैग मार्च तथा सामूहिक बैंण्ड।

विकास तथा कल्याणकारी गतिविधियां : जलप्रस्थाणुओं की रचना वर्ष के दौरान उन्नत आवास तथा ग्रामीण मार्गों और चुने हुए गांवों में नालियों का निर्माण करना, वातावरण के सुधार के लिए सफाई अभियान चलाना, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए योजनाओं को कार्यान्वित करना, औद्योगिक संयन्त्रों द्वारा अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना और उसकी प्राप्ति पर विशेष समारोह आयोजित करना।

समारक : स्कूलों में, दिल्ली में स्वतन्त्रता सेनानियों तथा शहीदों के स्मरणोत्सव में विशेष रजत जयन्ती स्मारक, जल प्रस्थाणु, सामूहिक आवास योजना तथा वर्ष के दौरान पूरे हुए अन्य निर्माण कार्य संविधान की प्रस्थावना से समाँविस्ट पाटियाँ। मानकित पटियां, स्वतन्त्रता संग्राम की कहानियां और स्थानीय स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम प्रतिष्ठापन करना। विशेष डाक टिकट तथा सिक्के निकालना।

आदर्श और प्रचार का प्रक्षेपण : नई दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में भारत भवनों का निर्माण करना जिसमें आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओं में पुस्तकें साथ ही तस्वीरें, फोटोग्राफ, रिकार्ड इत्यादि हो। जो प्रत्येक क्षेत्र की सभ्यता पर प्रकाश डालते हों। इस परियोजना के साथ पुस्तकालय एवं थेटर कम्पलेक्स जुड़े हों जैसा कि शिक्षा मंत्रालय ने पहले सोचा था। संविधान की प्रस्तावना तथा मूल अधिकारियों से सम्बन्धित भाग से समाविष्ट चर्मपत्र (अथवा हाथ के कागज) का वितरण और बिक्री करना।

संविधान की कहानी की एक छोटी पुस्तक प्रकाशित करना। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की पुस्तक माला को जिसमें भारत के विभिन्न मार्गों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है पूरा करना। अन्य प्रकाशन उदाहरणार्थ विभिन्न विधायी निकायों के स्वतन्त्रता संग्राम पर पुस्तक, पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत की उन्नति पर एक पुस्तक।

शिक्षा एवं युवा गतिविधियां : दिल्ली तथा राज्यों के मुख्यालयों में 14 नवम्बर से युवक समारोह प्रारम्भ करना, छात्रों तथा युवक क्लबों द्वारा समूहों में राष्ट्रीय गीत गाना, अपने देश को जानों' परियोजना के साथ ही अपने जिले या सब-डिवीजन इत्यादि को जानो-एक परियोजना का शिक्षा मंत्रालय के मार्ग दर्शन में स्कूलों में प्रयत्न करना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खेल

प्रतियोगिता आयोजित करना, विशेष आहार पोषण कार्यक्रम और युवक केन्द्र। नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकारों के संरक्षण और संसदीय प्रजातंत्र के सफलतापूर्वक कार्य का प्रचार करना।

सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा त्यौहार : नाममात्र प्रवेश शुल्क पर संगीत समारोह, नृत्य तथा नाटक प्रदर्शन, कवि सम्मेलन इत्यादि करना और विशेष क्षेत्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना, विदेशी कला प्रदर्शन मंडलियों का भारत आना, कलाकारों की प्रतियोगिता, चुने हुए शिल्पियों को स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पर अपने ढंग से कलाकृतियां तैयार करने के लिए प्रोत्साहन देना, विभिन्न राज्यों और नगरों में पुरस्कार जीतने वाली फिल्मों, वृत चित्रों इत्यादि का भारतीय फिल्म समारोह आयोजित करना, गायन तथा नाटक और ड्रामा डिवीजन द्वारा साउन्ड तथा लाइट कार्यक्रम।

संग्रहालय तथा प्रदर्शनी : भारतीय कांग्रेस तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक प्रदर्शनी का आयोजन नरना, एक तकनीकी संग्रहालय जो प्राथमिक रूप से एशिया के मेले के केन्द्रीय कक्ष में हो, प्रारम्भ करना, पूसा में एक कृषि विज्ञान संग्रहालय स्थापित करना, प्राकृतिक इतिहास के लिए एक संग्रहालय स्थापित करना, चित्रों और ऐतिहासिक महत्व की कहानियां और वृताकार दृष्यपटल की भी एक राष्ट्रीय दीर्घा बनाना, जवाहरलाल संग्रहालय द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पर एक प्रदर्शनी आयोजित करना, रेलों में एक चलती फिरती प्रदर्शनी जो भारत के विभिन्न स्थानों में जाये जैसा कि गांधी शताब्दी में किया था।

विदेशों में समारोह : भारत की प्रगति पर संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में विशेष कला प्रकाशन निकालना भारत के पच्चीस वर्ष की प्रगति पर फिल्म बनाना, विदेशियों द्वारा टी० वी० फिल्मों के बनाने की स्वीकृति देना, 15 अगस्त के आस-पास 'भारत सप्ताह' मनाना, भारत में विदेशी मध्यस्थों का आना, अफ्रीका एशिया सांस्कृतिक सम्मेलनों का आयोजन, विदेशों में प्रदर्शनियां।

5. रजत जयन्ती क्रियाकलापों का कलैण्डर : चूंकि रजत जयन्ती समारोहों से सम्बन्धित क्रियाकलाप 15 अगस्त, 1972 से 14 अगस्त, 1973 तक वर्ष भर चलते हैं अतः केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए घटनाओं के अपने कलैण्डर तैयार करना आवश्यक होगा। अनेकों गतिविधियों में भाग लेने वाली संस्थाएं अपने कलैण्डर तैयार कर सकती है। 15 तारीख के आस-पास हर महीने लगभग एक सप्ताह रजत जयन्ती गतिविधियों तथा समारोहों के लिए नियत किया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन सभी उच्च-शक्ति-सम्पन्न मन्त्रियों को इस समिति के सदस्य बनाये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि जब इस अवसर के सभी कार्यक्रम निर्धारित करने का दायित्व इसी समिति का है, तो फिर क्या इस समिति में मन्त्रियों और सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ गैर-सरकारी और जन साधारण के, सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्ध प्रमुख व्यक्तियों को भी इस समिति में सम्मिलित करने पर विचार किया जा रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्रीमान् जी हमारा पहले उद्देश्य इस प्रकार की योजनाओं और सुझावों पर विचार करना था। प्रधानमन्त्री ने मुख्यमन्त्रियों को इस सम्बन्ध में लिखा था। इस समिति के अतिरिक्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी ओर से भी एक समिति का गठन किया है, परन्तु वह तो दल की बात है। उस समिति के अतिरिक्त भी अनेक दलों का गठन किया गया है, उदाहरणार्थ कला तथा उद्योग दल, शिक्षा और युवक गतिविधियां तथा खेल-कूद दल, कलाओं का प्रदर्शन करने वाला दल, कल्याणकारी दल, जन सम्पर्क दल और इसके साथ-साथ जैसे ही आवश्यक होगा, अन्य दलों का गठन भी कर लिया जायेगा जिनमे सरकारी और गैर-सरकारी सभी लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन सुझावों को अन्तिम रूप देने के बाद प्रधान मन्त्री का विचार संसद के सभी विरोधी दलों के साथ इसके बारे में चर्चा करने का भी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभा पटल पर जो विवरण रखा गया है उसे देखने पर पता चलता है कि स्वतन्त्रता सेनानियों को विशेष रूप से सम्मानित करने के लिए उनको दिल्ली आमंत्रितक करने का प्रस्ताव भी है। मैं यह जानना चाहता हूँ ऐसे सेनानियों का चयन करने के लिए सरकार या समिति द्वारा क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाये गये हैं क्योंकि स्वतन्त्रता सेनानी तो कई हजार हैं और वह सभी दिल्ली नहीं बुलाए जा सकते ? मेरा यह प्रश्न पूर्णतया संगत है कि उन लोगों का चयन किस प्रकार किया जायेगा ? क्या दिल्ली में विशेष रूप से सम्मानित करने के लिए स्वतन्त्रता सेनानियो को उनकी आयु या उनकी वरीयता या कारावास मे बिताये गये वर्षों आदि के आधार पर दिल्ली बुलाया जायेगा ? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि 1947 में स्वतन्त्रता का उदय ऐसी भयानक परिस्थितियों में हुआ जिनके फलस्वरूप हमें विभाजन देखना पड़ा और सर्वत्र भीषव साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे, तो क्या राष्ट्रीय शपथ के इस अवसर पर सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करेगी जिससे धर्मनिरपेक्षता को बनाये रखने के लिए तथा राष्ट्रीय जीवन से सभी प्रकार की सांम्प्रदायिकता का उन्मूलन करने के लिए, स्पष्ट शब्दों में राष्ट्र को पुनः समर्पित किया जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : 15 अगस्त को दिल्ली आने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों के चयन के बारे में इस समय मोटे तौर पर हमारा विचार यह है कि प्रत्येक जिले में से एक स्वतन्त्रता सेनानी चुना जायेगा परन्तु जहां उनकी संख्या अधिक है वहाँ उनका अधिक संख्या में प्रनिनिधित्व होगा, हमने विभिन्न राज्यों में स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या मोटे तौर पर निश्चित कर दी है। इसके पश्चात हम स्वतन्त्रता सेनानियों को चयन करने तथा उनके भेजने का कार्य राज्यों पर छोड़ देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो हम राज्यों के साथ विचार विमर्श करके मापदंड निर्धारित कर सकते हैं। हमने अभी तक मापदंड निर्धारित नहीं किया है।

जहां तक साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए स्वयं अर्पित करने का प्रश्न है, इस समारोह का पहला उद्देश्य उन आदर्शों की प्राप्ति के लिए स्वय को अर्पण करना होगा जिनकी घोषणा स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री द्वारा 14 अगस्त 1947 को की गई थी और साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए स्वयं को अर्पण करना निश्चय ही एक आदर्श है,

श्री पी० वेंकटासुब्वया : क्या सरकार का विचार स्वतन्त्रता सेनानियों की श्रेणी में आजाद हिंद फौज के वीरों और ऐसे उन लोगों को भी शामिल करने का है जिन्होंने राष्ट्रपिता द्वारा हिंसात्मक ढंग से संघर्ष चलाने से पूर्व क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रश्न के बारे में इस सभा में हमने काफी चर्चा की थी और मैंने उन विभिन्न मापदंडों के बारे में कहा था, जिनके आधार पर स्वतन्त्रता सेनानियों का चयन किया जायेगा। यदि आजाद हिंद फौज के सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति इस मापदंड पर उतरते हैं तो निश्चय ही उन पर विचार किया जायेगा।

Shri Pratap Singh Negi : May I know from the Hon Minister whether those garhwali soldiers would also be invited in there celebration who refused to open fire on the unarmed people in 1930 ?

Shri K. C. Pant : As I have said that if they come within the criteria, they will be considered

श्री जी० विश्वनाथन : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि एक समिति का गठन किया गया है और ऐसा लगता है कि समिति के सदस्य केवल केन्द्रीय सरकार के मन्त्री हैं, मैं सरकार से जान सकता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि 25वीं वर्ष गाँठ का राष्ट्रीय महत्व है और क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि 25वीं वर्ष गांठ में अन्य राजनीतिक दलों को भी शामिल किया जाये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : निश्चय ही उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए, यह राष्ट्रीय समारोह है जो जनता का समारोह है इसमें केवल मन्त्रियों को शामिल किये जाने की बात नहीं है, मन्त्रियों को इसमें इसलिए शामिल होना है क्योंकि इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी है और योजना को बनाकर उसे अन्तिम रूप दिया जाना है। जैसा कि मैंने कहा है कि उस अवसर पर विपक्षी नेताओं से विचार विमर्श किया जायेगा, प्रधान मन्त्री ने पहले ही मुख्य मन्त्रियों को इस विषय पर लिखा है, यह यही तक नहीं होगा, पूरे अर्थों में जनता का समारोह होगा।

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : हम कई प्रश्नों पर चर्चा नहीं कर सके हैं क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पर इतने अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछे गये हैं, आखिर हमें भी कुछ प्रगति करनी है।

श्री एस० ए० शमीम : मैंने पिछले 10 दिनों से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है। क्या सरकार समारोहों में बादशाह खान को आमन्त्रित करने पर विचार करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह एक अच्छा सुझाव है।

मैथाईल मद्यसार की बिक्री यथा वितरण पर प्रभावकारी सतर्कता

***869. श्री : निहार लास्कर** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैथाइल मद्यसार तथा अन्य खतरनाक नशीले पदार्थों की बिक्री और वितरण के बारे में मद्यनिषेध कानून को कठोरतापूर्वक लागू करने तथा प्रभावकारी सतर्कता बरतने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई स्थाई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) मद्य निषेध राज्य का विषय है और इसलिए केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से इसको कठोरता से लागू करने से नहीं है।

जहां तक मैथिल एल्कोहल और अन्य मादक द्रव्यों की बिक्री तथा वितरण का संबंध है, यह एक ऐसा मामला है जिसका संबंध राज्य सरकारों से है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री निहार लास्कर : मैं यह नहीं समझता हूँ कि मन्त्री महोदय कैसे कहते हैं कि इस विषय पर उनका कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि कुछ ही महीने पूर्व दिल्ली में अवैध शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन से इन तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है और क्या इन मादक पदार्थों की बिक्री पर उन्होंने कोई रोक लगाई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : यह प्रश्न बड़े चतुराई पूर्ण ढंग से पूछा गया है और इसलिए इसका उत्तर नहीं में है। यह सुविदित है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार मद्यनिषेध नीति तथा आबकारी कानून आदि के मामले में विद्यमान कमियों को दूर करने हेतु कार्यवाही करने में प्रत्यक्ष रूचि ले रही है पहले भी सभा में इस पर चर्चा हो चुकी है। मैंने उन विभिन्न कार्यवाहियों के बारे में बता दिया है जिन्हें कार्यरूप दिया गया है। दिल्ली प्रशासन ने इसके पश्चात और भी कार्यवाही की है। महानगर परिषद के नेताओं, कार्यकारी पार्षद आदि व्यक्तियो के साथ आबकारी नीति का प्रश्न उठाया जा रहा है। यह ऐसा नियम है जिनका संबंध मुख्तया उनके साथ है।

श्री निहार लास्कर : जहां तक मद्यनिषेध का संबंध है, क्योंकि विभिन्न राज्यों ने विभिन्न कदम उठाये हैं, मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार मद्यनिषेध के प्रश्न पर पुर्नविचार कर रही है अथवा नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द पंत : दिल्ली में हाल ही में विषैली शराब से हुई लोगों की मौतों पर देश में, दिल्ली में तथा इस सभा में चर्चा हुई थी, इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने मद्यनिषेध को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यवाही की है, इन में राज्यों के साथ की गई यह पेशकश है कि मद्यनिषेध लागू करने के कारण आबकारी आय में होने वाली हानि का उन्हें 50 प्रतिशत तक क्षति पूर्ति के रूप में दिया जायेगा। उन्होंने राज्यों को यह परामर्श दिया है कि वे स्थानीय तौर पर कार्यवाही करने के सिद्धांत को स्वीकार करें तथा यदि किसी क्षेत्र में दो तिहाई मतदान यह मांग करते हैं कि उस क्षेत्र में शराब की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए तो उनकी इस माँग को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को शराब की बिक्री हेतु विज्ञापनों पर रोक लगाने का भी सुझाव दिया हैं केन्द्रीय सरकार ने मद्यनिषेध का प्रचार करने के लिए अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद को 1 लाख रुपयों का सहायता अनुदान दिया है। मद्यनिषेध राज्य की नीति का निदेशक सिद्धांत है और ये कार्यवाहियां उसी अनुसरण में की गई हैं।

श्री के० एस० चावड़ा : मेरा अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न के भाग (क) के बारे में हैं। जब

तक संपूर्ण देश में पूर्ण मद्यनिषेध नहीं हो जाता है तब तक आप मद्यनिषेध का कठोरता से पालन नहीं करा सकते हैं। मैं जान सकता हूं कि 1956 में लोकसभा द्वारा पारित संकल्प के अनुसार संपूर्ण देश में सरकार पूर्ण मद्यनिषेध लागू कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुख्य उत्तर में पहले ही यह कहा चुका है कि यह मुख्य रूप से यह राज्यों का विषय हैं, निश्चत ही गुजरात में पूर्ण मद्यनिषेध हैं······

श्री के० एस० चावड़ा : इस सभा ने 1956 में देश में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने वाला एक संकल्प पारित किया था।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैंने कहा है गुजरात में पूर्ण मद्यनिषेध है परन्तु अन्य राज्यों ने इसका अच्छा उदाहरण नहीं अपनाया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Writtan Answers to Questions

घटिया किस्म के तांबा अयस्क का निकाला जाना

***867. श्री आर० वी० बड़े** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने बताया है कि देश में घटिया किस्म के तांबा अयस्क के निकालने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा आयोग ऐसी परिस्थितियों का अध्ययन कर रहा है जिनके अन्तर्गत भूमि के नीचे किये गए शान्तिमय नाभिकीय विस्फोट पर्यावरणीय खतरों को उत्पन्न किये बिना भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हो सकते है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी के कम शक्ति वाले केन्द्र

***868. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों के साथ लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी के रिले केन्द्र बहुत शक्तिशाली नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अमृतसर जैसे नगरों और उससे लगे अन्य क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी लोग सीमा पार के क्षेत्रों का कार्यक्रम सुनते हैं;

(ख) क्या श्रीनगर रेडियो स्टेशन भी बहुत कम शक्ति वाला है और उसे देश के अन्य भागों में नहीं सुना जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इन सामरिक महत्व के क्षेत्रों में शक्तिशाली ट्रांसमीटर न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) सीमावर्ती क्षेत्रों के वर्तमान रेडियो केन्द्र अपने अपने क्षेत्रों में पर्याप्त सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। अमृतसर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में आकाशवाणी के जलन्धर केन्द्र के कार्यक्रम अच्छी तरह सुने जाते हैं। जिन सीमावर्ती क्षेत्रों में ये केन्द्र नहीं हैं वहाँ कई नए केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं। यह केन्द्र मुख्य रूप से जम्मू तथा कशमीर राज्य में सेवा उपलब्ध करने के लिए है और वह यह पर्याप्त रूप से कर रहा है। तथापि, सेवा में सुधार करने के उद्देश्य से इस केन्द्र की शक्ति में और वृद्धि की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा की संस्कृति पर वृत्त चित्र

***870. श्री डी० के० पंडा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मंत्रालय ने, टेलीविजन पर और सिनामाओं में दिखाये जाने के लिए, उड़ीसा की कला और संस्कृति तथा राज्य के जनजातीय जीवन और पर्यटकों के आकर्षण के बारे में कोई रंगीन-ब्लैक-व्हाइट वत्त चित्र तैयार किया है अथवा तैयार कर रहा है। और

(ख) यदि हां, तो उन फिल्मों की संख्या कितनी है तथा उनकी मुख्य बाते क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) (क) : जी हां, ।

(ख) : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

उड़ीसा पर निम्नलिखित 7 सादी फिल्में बनाई गई हैं :—

1. कोणार्क
2. बुद्धिष्ट हैरिटेज आफ उड़ीसा
3. उड़ीसा—दि लैंड एंड दि पीपल
4. कुल बद्ध (एस) उड़ीसन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स
5. फूड फार थौट
6. दि हाउस दैट आनन्द बिल्ट
7. राउरकेला

1. **कोणार्क** : सूर्य भगवान के इस मन्दिर को उड़ीसा के राज्य नरसिंहा राव देव द्वारा बनवाया गया था। इस डाकुमैंट्री में उस महान भवन कला और विचार और जिससे कोणार्क के अपरिचित मूर्तिकार प्रेरित हुए थे, का विस्तार से वर्णन है। इस फिल्म में इस मन्दिर की भीतरी तथा बाहरी दीवारों पर सुसज्जिव अनेकों मूर्तियों के मिश्रित प्रतीकवाद तथा रोमाँचित करने वाले सौन्दर्य का भी चित्रण है।

2. बुद्धिष्ट हेरिटेज आफ उड़ीसा : इस फिल्म में उड़ीसा में बुद्ध धर्म का उत्थान एवं पतन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पुराने बौद्ध विहार, जो एक समय शिक्षा के केन्द्र थे, धीरे-धीरे अवनति गर्त में पहुँचे। फिर भी उनके खण्डहर बौध कला और आध्यात्मिक जागृति के कुछ सुन्दरतम नमूनों को प्रतिबिम्बित करते है। अशोक के विचारों की गतिशीलता उसके शिला लेखों में दर्शाई गई है।

3. उडीसा—दि लैंड एण्ड दी पीपल : नये औद्योगिक युग में प्रवेश करने पर भी उड़ीसा अभी भी कई प्रकार से अपने पुरातन महत्वपूर्ण रीति-रिवाजों को जारी रखे हुए है। ये दोनों प्रवृत्तियां इस वृत्त चित्र में दिखाई गई है जो रेशमी बुनाई के विशिष्ट डिजाइन तथा बनावट, महीन तारों से रेशमी नक्काशी, शानदार मूर्ति कला तथा आदिवासी नत्यों की झांकी प्रस्तुत करती है।

4. कुल बहु (एस) उड़ीसन आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स : यह वृत्त चित्र उड़ीसा की कलाओं एवं दस्तकारी के बारे में है।

5. फूड फार थाट : इस फिल्म में 1960 में 'यूनिसेफ' की सहायता से 'विस्तृत अहारीय कार्यक्रम' के चालू होने के समय से उडीसा में अहारीय आदतों में हुई मूल क्रांति के पीछे जो कहानी है उसको बताया गया है।

इस फिल्म में ग्रमीण आबादी को एक स्वास्थ, सन्तुलित आकार मुहया करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से मुर्गी पालन, मत्स्य जनन, तथा फल एवं शाकभाजी उगाने की व्यवस्था करने में महिला समितियां तथा नवयुक्त समूहों द्वारा किए गए कार्य पर भी प्रकाश डाला गया हो।

6. दी हाउस दैट आनन्द बिल्ट : इस फिल्म में मयूरभंज जिले में मादपुर ग्राम के आनन्दकरण के एक विशिष्ट उड़िया परिवार को दिखाया गया है इस में यह भी दिखाया गया है कि इस परिवार के अन्य सदस्यों ने किस प्रकार विभिन्न धन्धों में प्रगति की।

7 राउरकेला : यह फिल्म राउरकेला के बारे में है जो उन तीन स्टील प्लांटों में से एक है जो भारत के उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु स्टील बनाने तथा भारत की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी क्षेत्र में लगाए गए हैं। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार उड़ीसा का राउरकेला ग्राम एक नगर, जिसमें एक विशाल फौलादी कारखाना है, के रूप में उभरा है। इसमें फौलाद बनाने की नई प्रक्रिया जो यहां अपनाई गई है और जिसे एल० डी० प्रक्रिया कहते है, विस्तार से बयान की गई है।

उड़ीसा पर निम्नलिखित फिल्में निर्माणाधीन है :—

1. उड़ीसा फिलीग्री हेण्डीक्राफ्ट : यह रंगीन डाकुमेंट्री चांदी की नक्काशी पर है और इसमें इसका शानदार भूतकाल तथा समकालीन जीवन में इसका स्थान दिखाया जायेगा।

2. कोणार्क : यह कोणार्क, जो उड़ीसा में एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थान है, पर एक नई रंगीन फिल्म है।

खरीदी गई फिल्में : फिल्म प्रभाग ने उड़ीसी नृत्य पर एक फिल्म खरीदी है। यह शास्त्रीय नृत्य सदियों पूर्व उड़ीसा में शुरू हुआ था। अब यह सारे देश में लोकप्रिय है।

अन्य वे फिल्में जिनमें उड़ीसा आंशिक रूप से फिल्माया गया है।

1 अवर ओरिजनल इनहैबीटैंट्स : इस फिल्म में भारत की आदिवासी जनसंख्या की विविधता तथा उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पद्धति, वेशभूषा, आभूषण, नृत्य तथा संगीत का वर्णन है। इस फिल्म में उड़ीसा के आदिवासियों को भी शामिल किया गया है।

2. गिलिम्पसिज आफ ईस्टर्न इंडिया : इस फिल्म में पूर्वी भारत के कुछ भागों का आकर्षक यात्रा वर्णन है। यह फिल्म कलकत्ता शहर-जहाँ कई शताब्दियों से व्यस्त जीवन चला आ रहा है और जहां परम्पराओं और प्रगति का सह— अस्तित्व है— से प्रारम्भ होती है।

इसके बाद यह फिल्म हमको उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध स्थानों, भुवनेश्वर और कोणार्क के सुन्दर मन्दिरों तथा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिर की ओर ले जाती है। इसके बाद यह हमें पर्वतीय स्थानों की रानी दार्जिलिंग ले जाती है।

3 गिलिम्पसिज आफ इण्डिया : (केन्द्रीय प्रदेश) नामक फिल्म में उड़ीसा के कुछ भाग, इसका भूगोल, इसके निवासी, इसके युगों पुराने नगर तथा वर्तमान उद्योग दिखाए गए हैं।

4 स्टील फोर प्रोग्रेस : इस संक्षिप्त फिल्म में यह विस्तार से बताया गया है कि विदेशी विशेषज्ञों तथा तकनीशियनों की सहायता से राउरकेला तथा भिलाई में फौलाद के नये प्लांट किस प्रकार स्थापित किए गए।

सेवानिवृत्त अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाया जाना या उनकी पुनः नियुक्ति

***871. श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा निवृत्त अधिकारियों के सेवाकाल को बढ़ाने या उनकी पुनः नियुक्ति के सम्बन्ध में सामान्य नीति क्या है; और

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनका वर्ष 1970-71 और 1971-1972 में सेवा काल बढ़ाया गया अथवा जिन्हें पुनः नियुक्त किया गया ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा-काल में वृद्धि/पुनः नियुक्ति केवल असाधारण परिस्थितियों में और लोक हित में की जाती हैं।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

Investigations Against Syed Badrudduja and Dr. Ghulam Yazdani Datained Under M.I.S. Act

***872. Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home affairs** be pleased to state :

(a) whether the investigations being conducted against Syed Badrudduja and Dr. Ghulam Yazdani detained under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 have since been cempleted; and

(b) If not, the action so far taken by Government to complete the investigations and to prosecute them ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs and in the Department Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) & (b). According to information furnished by the Government of West Bengal, investigations in the case are still in progress. The State Government has also stated that investigations are being pursued vigorously.

मद्रास में टेलीविजन केन्द्र

*873. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के प्रस्ताविक टेलीविजन केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रमों को अधिक से अधिक कितनी दूरी तक देखा जा सकेगा; और

(ख) क्या टेलीविजन केन्द्र को तट से पर्याप्त दूरी पर बनाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र में इसका लाभ उठाया जा सके ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) (क) तथा (ख) : मद्रास टेलीविजन केन्द्र शहरी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है जो समुद्र तट से अधिक दूर नहीं है। तथापि, ऐटेना पद्धति का डिजायन विकिरणों को समुद्र की ओर रोकने तथा उसको अन्तः स्थल की दिशा में बढ़ाने के लिए बनाया गया है। सैद्धान्तिक गणना के अनुसार इस अवस्था में इस केन्द्र के सिगनल अधिकतम विकिरण की दिशा में लगभग 100 कि०मी० क्षेत्र कवर करेंगे। ठीक-ठीक दूरी का पता ट्रांसमिटर तथा एन्टेना पद्धति के लगने तथा फील्ड शक्ति सर्वेक्षण किए जाने के बाद ही लगेगा।

कागज उद्योग पर आंशिक नियंत्रण

*874. **श्री एम० एम० शिवस्वामी :**
श्री एम० राजंगम :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कागज उद्योग पर आंशिक नियंत्रण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे सरकारी आवश्यकताओं के लिये इसके उत्पादन का विशिष्ट अंश स्वीकृत दर पर प्राप्त हो सके; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) इस सम्बन्ध में सम्भारण मन्त्रालय सम्बन्धित लोक लेखा समिति की अड़तीसवीं रिपोर्ट में, जिसकी प्रतियां पहले ही सभा पटल पर रखी जा चुकी है, एक सिफारिश की गई है।

(ख) लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

समाचार पत्रों के परिचालन के झूठे आंकड़ों की जांच

***875. श्री वेक रिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ समाचार पत्र, जिनको कम ग्राहक-संख्या के हिसाब मे अखबारी कागज का आवंटन किया गया है, जनता पर प्रभाव डालने तथा सरकार एवं सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों से विज्ञापन की ऊंची दरें लेने के लिए अपनी ग्राहक संख्या कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों की जांच कराने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) (क) तथा (ख) : जी, नहीं । समाचार-पत्रों द्वारा बताई गई खपत संख्या की समय-समय पर समाचार-पत्रों के रजिस्टार की सर्कुलेशन टीमों द्वारा जांच की जाती है और समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकार की गई संख्या विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को उपलब्ध की जाती है ताकि वह विज्ञापनों के लिए दी जाने वाली दरों को निर्धारित कर सके । सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा निर्धारित विज्ञापन दरों को अपनाते हैं ।

आकाशवाणी पर 'जनःगण-मन' 'वन्दे मातरम' तथा 'सत्यमेव जयते' के रिकार्डों का बजाया जाना

***876. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी पर प्रतिदिन 'जन-गण-मन' 'वन्देमातरम' और 'सत्यमेव जयते' तीनों रिकार्ड बजाने की प्रथा है,

(ख) यदि हाँ, तो अन्तिम 'गान' को कब बजाना शुरू किया गया था और क्या पहले दो गानों को जो रुतबा मिला हुआ है वह रुतबा इसको भी दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस गाने को बजाने का उद्देश्य क्या है और सरकार इस का बजाना कब तक जारी रखना चाहती है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) तथा (ख) : 'जन-गण-मन' तथा 'वन्दे मातरम्' आकाशवाणी के सभी रिकार्ड केन्द्रों से पिछले महीने तक प्रसारित किया जा रहे थे । पिछले महीने 'जन-गण-मन' को बन्द कर दिया गया था । 'सत्यमेव जयते' का रिकार्ड आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से 13 दिसम्बर, 1971 से प्रतिदिन प्रसारित किया जा रहा है । इसको अन्य दोनों गीतों की भाँति अखिल भारतीय स्तर पर प्रसारित नहीं किया गया है ।

(ग) गीत तथा जो शिक्षा यह देता है उसको लोकप्रिय बनाने के लिए ।

'मार्च आफ द नेशन' पत्र में 'दि नेशनल एन्थम सोल्ड फार ए सांग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

***877. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अप्रैल, 1972 के 'मार्च आफ दि नेशन' के 'दि नेशनल एन्थम सोल्ड फार ए सांग' शीर्षक के अन्तर्गत प्रथम पृष्ठ पर छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क). जी, हां।

(ख) लेख में छपा यह कथन कि आकाशवाणी ने कापीराइट कठिनाइयों के कारण राष्ट्रीय गान का प्रसारण बन्द कर दिया है, सर्वथा निराधार है। देर रात दैनिक ट्रांसमिशन के बन्द होने पर राष्ट्रीय गान का प्रसारण जो 1963 में प्रारम्भ किया गया था, इसलिए बन्द किया गया, क्यों कि सरकार ने यह महसूस किया कि उस समय श्रोतागण या तो आराम कर रहे होते हैं या सोने की तैयारी में होते हैं और वे राष्ट्रीय गान को उपयुक्त आदर देने की स्थिति में । हींन होते

नई दिल्ली में कृषि उत्पादों का अवैध वायदा व्यापार

***878. श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पुलिस ने नई दिल्ली में कृषि उत्पादों के लाखों रुपयों के अवैध वायदा व्यापार का पता लगाया है, और

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में मामले के क्या तथ्य हैं तथा इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनल हक चौधरी) : (क) और (ख) चना, सरसों, मूंगफली का तेल, गुड़ इत्यादि जैसी बहुत सी वस्तुओं में अवैध वायदे सौदे तथा दिल्ली में वायदा बाजार (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपद्रव्यों के उल्लंघन में वस्तुओं का सट्टा करने की खबर मिलने पर दिल्ली पुलिस के प्राधिकारियों ने, वायदा बाजार आयोग के अधिकारियों की सहायता से, 28 अप्रैल, 1972 को छः संदिग्ध पार्टियों के गृहों पर छापा मारा। उन छापों में उन्होंने 2,131 दस्तावेज जब्त किये हैं, जिसके बारे में अभिकथित है कि कई लाख रुपयों के अवैधानिक वायदा सौदों से संबन्धित प्रविष्टियां हैं। पुलिस इस मामले की अभी जांच कर रही है।

राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पाकिस्तानी जासूसों का जाल

***879. श्री नवल किशोर शर्मा** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के पश्चिमी जिलों में उच्च शिक्षा प्राप्त पाकिस्तानी जासूसों का जाल बिछा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गिरोह को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व इन जासूसों की सहायता कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ तो जासूसों को गिरफ्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ). राजस्थान के पश्चिमी जिलों में उच्च शिक्षा प्राप्त पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह के सक्रिय होने के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जासूसों में अन्तर्गस्त सभी ज्ञात अथवा संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के दण्डात्मक तथा निरोधात्मक उपबन्धों के अनुसार उचित कार्यवाही की जा रही है। भारत-पाकिस्तान युद्ध समाप्त होने के बाद राज्य में पाकिस्तानी जासूस होने के संदेह में सात व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। उनके मामलों की जांच पड़ताल हो रही है।

खादी ग्रामद्योग भवन, नई दिल्ली में गबन

***880. श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल 1972 के अन्तिम सप्ताह में खादी ग्रामोद्योग भवन रीगल बिल्डिंग, नई दिल्ली में 25 000 रुपये से अधिक का गबन हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो मामले के संक्षेप में तथ्य क्या है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हल चौधरी) : (क) और (ख). खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सूचित किया है कि 1. 5. 72. को एक तिजोरी जिसमें 21,111.60 रुपये थे खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली के लेखा अनुभाग से गायब पायी गयी। पिछली खिड़की खुली पाई गई। तथा इसके बाहर की जाली टूटी हुई थी। पुलिस को तुरन्त इसकी रिपोर्ट लिखाई गई जो मामले की जांच कर रही है। तुरन्त विभागीय जांच करने का भी आदेश दे दिया गया है।

जमशेदपुर स्थित टाटानगर फाउन्ड्री कम्पनी लिमिटेड का अधिग्रहण

6394. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार जमशेदपुर स्थित टाटानगर फाउंड्री कम्पनी लिमिटेड जो बहुत समय से बन्द पड़ी है और जिस के परिणामस्वरूप हजारों श्रमिक वेकार हो गये हैं, का प्रबन्ध अपने नियन्त्रण में लेने का है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जी, नहीं।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एकक को हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है इसे 26. 3. 1968 को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुसरण में बन्द किया गया है।

अपोलो स्कूटर का निर्माण

6395. **श्री चन्द्र शखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपोलो स्कूटर का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में प्रजा सह-उद्योग भरतपुर लिमिटेड नाम की एक कम्पनी स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके निदेशकों के नाम क्या हैं तथा इसमें कितनी पूंजी लगाई गई है और इस एकक का निर्माण कार्यक्रम क्या है;

(ग) क्या यह कम्पनी जनता से विज्ञापनों के द्वारा प्रति व्यक्ति 255 रु० की मांग कर रही है ताकि 40,000 शेयरधारियों को इस का सदस्य बनाया जा सके और प्रत्येक शेयरधारी को 3250.00 रुपये के मूल्य पर 1973 में निर्मित स्कूटर देने का वचन दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह स्कूटर की बिक्री संबंधी विनियमों का उल्लंघन है और क्या इसके लिए सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ): सरकारी क्षेत्र में अपोलो स्कूटरों को बनाने के लिए कोई कम्पनी स्थापित नहीं की है। फिर भी, सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा मे० प्रजा सहकारी उद्योग भरतपुर लि० नामक एक कम्पनी बनाई गई है और वे 250 रु० प्रतिव्यक्ति जमानत के रूप में और 5 रु० प्रति व्यक्ति सदस्यता शुल्क के रूप में लेकर के सदस्य/शेयर होल्डर बना रहे हैं। यह भी बात सरकार की जानकारी में आई है कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन यह कम्पनी एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत की गई है ? भारत सरकार ने इस समिति को स्कूटरों का निर्माण करने तथा वितरण करने की कोई स्वीकृति नहीं दी है। समिति के पंजीकृत नियमों में दिये गये निदेशक मण्डल के सदस्यों के नाम नीचे दिये गये हैं :—

1. श्री हरीश सी० कुमार	—अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक
2. श्री एस० भाटिया	—उपाध्यक्ष
3. श्री लोकनाथ	—कोषाध्यक्ष
4. श्री एस० के० आनन्द	—मंत्री
5. श्री रतन सिंह जैन	—निदेशक
6. श्री जगदीश	—निदेशक

समिति की विवरण पत्रिका में मूल्य का कोई उल्लेख नही किया गया है, किन्तु प्रेस वर्गीकृत विज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि सड़क पर आने पर स्कूटर का मूल्य कर समेत 3,250 रु० होगा।

स्कूटर (वितरण तथा बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1960 के अधीन उल्लंघन का प्रश्न तभी उठेगा जबकि पार्टी भारी संख्या में स्कूटरों का उत्पादन शुरू करती है और उसे या तो अपने सदस्यों/शेयरहोल्डरों अथवा जनता को वितरित करती अथवा बेचती है। इस बीच सरकार इस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं जिससे कि कानून के अधीन उचित कार्यवाही की जा सके।

बिहार और पश्चिम बंगाल में बेरोजगार स्नातकों को रोजगार देना

6396. कुमारी कमला कुमारी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार स्नातकों को अपने राज्य में रोजगार देने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य सन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिधी और सरगुजा में दोषयुक्त प्रेषण लाइनें

6397. श्री रण बहादुर सिह : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून के मौसम में सिंधी और सरगुजा मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालयों को सामान्यत: टेलीफोन और तार संबंधी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। सर्किटों की दक्षता 70 से 80 प्रतिशत तक है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लाइसेंसों के लिए पंजाब से प्राप्त अनिर्णीत आवेदन पत्र

6398. श्री भान सिह भोरा : क्या औद्योगिक विकास मंत्री लाइसेंसों के लिए पंजाब से प्राप्त अनिर्णीत आवेदन पत्रों के बारे में 27 जुलाई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 1399 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग-पतियों के अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : लोक सभा में 27 जुलाई 1971 को, पंजाब में नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 1399 के उत्तर में उल्लिखित 33 अनिर्णीत आवेदनों में से 12 आवेदन अब निपटा दिये गये हैं। शेष 21 आवेदन पत्र अभी विचाराधीन हैं। 1. 7. 71 से 31. 12. 71 की अवधि में 8 और आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें से 2 निपटा दिए गये हैं तथा 6 विचाराधीन हैं। औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों पर विचार करते समय प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से जांच करने की आवश्यकता पड़ती है। किसी विशेष आवेदन का निपटारा करने में अनेक कारणों से काफी देर हो जाया करती है। कभी-कभी आवेदनों में प्रथम चरण में पूरी जानकारी नहीं दी हुई होती है और अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी, सरकार इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि अनिर्णीत आवेदनों का जल्दी से निपटारा किया जाए। हर संभव प्रयत्न कर रही है।

केन्द्रीय सरकार उत्पादन केन्द्र कर्मचारी संघ, केरल से प्राप्त अभ्यावेदन

6399. **श्री वयालार रवि** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार उत्पादन केन्द्र कर्मचारी संघ, केरल की ओर से उनकी सेवा की शर्तों और उत्पादन केन्द्रों के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका सार क्या है और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार उत्पादन केन्द्र कर्मचारी संघ के मंत्री ने अभ्यावेदन दिया था कि अन्वेषकों की कुल रिक्तियों का कम से कम 50 प्रतिशत वरीष्ठता के आधार पर तथा नियुक्ति के लिए नियमित साक्षात्कार लिए बिना 10 वर्ष या इससे अधिक की सेवा वाले "मिस्त्रियों" के लिए आवंटित किया जायें।

अन्वेषकों के पदों के लिए विद्यमान भर्ती नियमों में पदोन्नति द्वारा पदों पर नियुक्ति करने की व्यवस्था नहीं है। यदि मिस्त्री योग्य है, तो उनको अन्य प्रत्याशियों के साथ प्रतियोगिता करने अनुमति दी जाती है।

केरल में केन्द्रीय सरकान के उत्पादर केन्द्रों में उत्पादन

6400. **श्री वयालार रवि** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केरल में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न उत्पादन केन्द्रों में कुल कितना उत्पादन हुआ और उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) क्या यह केन्द्र इस समय लाभ पर चल रहे है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि में कितना लाभ हुआ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों के कार्य में सुधार करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

गुजरांवाला टाउनशिप, दिल्ली में डाक-तार सुविधाएं

6401. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवनिर्मित गुजरांवाला टाउनशिप कालोनी (माडल टाउन के सामने) में डाक तार सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं,

(ख) क्या इस कालोनी में कोई लैटर बक्स भी नहीं है तथा डाक और मनीआर्डर आदि बांटने की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस कालोनी में ए० टी० मिल्ज डाकघर, माडल टाउन डाकघर और किंग्जवे कैम्प डाकघर से डाक-तार सुविधाएं मिल रही हैं। ये डाकघर यहां से क्रमशः लगभग एक किलोमिटर, आधा किलोमीटर और $1\frac{1}{2}$ किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन तीनों डाकघरों में पी० सी० ओ० की सुविधाएं भी हैं। किंग्जवे कैम्प डाकघर में मोर्स और टेलीप्रिंटर सर्किट के जरिये तार सुविधा भी उपलब्ध है, जब कि अन्य दो डाकघरों में तार सुविधा फोनोकोम आधार पर है।

(ख) खास गुजरांवाला कालोनी में कोई लेटर-बक्स नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल इस कालोनी के लोग इसके सामने करनाल रोड पर लगे लेटर-बक्स का उपयोग करते हैं। इस कालोनी में ए० टी० मिल्ज डाकघर से दिन में तीन बार डाक बांटी जा रही है।

(ग) इस कालोनी में किसी वाजिब जगह पर एक लेटर-बक्स लगाया जा रहा है। कालोनी में अभी मकान बनने शुरू ही हुए हैं, लेकिन डाकघर खोलने के लिए सुझाव मंगाए गए हैं जिससे कि यहां डाकघर खोलने के औचित्य पर विचार किया जा सके।

रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में कम्प्यूटर और स्टेटिस्टीकल सहायक के पदों को स्थायी बनाया जाना

6402. श्री के. सूर्यनारायण : क्या **गृह मंत्री** रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में स्टेटिस्टीकल सहायक के पदों को स्थायी बनाये जाने के बारे में 26 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4092 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में कम्प्यूटर और स्टेटिस्टीकल सहायक को, स्थायी बनाए जाने पर विचार किये जाने से पहले कितने वर्ष की सेवा पूरी करनी होती हैं;

(ख) इस समय स्टेटिस्टीकल सहायक के पद पर कार्य कर रहे ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है, जिन्होंने अपने मूल विभाग में अपने स्थायी पदों से त्यागपत्र दे दिया है और जो कम्प्यूटर के पद पर 5 से 6 वर्ष से भी अधिक से अधिक अवधि तक काम कर चुके हैं; और

(ग) उन्हें कम्प्यूटर के पद पर कब तक स्थायी बनाए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (**श्री एफ एच० मोहसिन**) : (क) दो साल की परिवीक्षाधीन अवधि सफलता पूर्वक समाप्त होने के पश्चात् एक कम्प्यूटर और स्टेटिस्टीकल सहायक, अपनी सापेक्ष वरीयता, उपयुक्तता तथा सम्बन्धित ग्रेड में स्थायी पदों की उपलब्धता के अनुसार पुष्टिकरण के विचार के लिये पात्र होंगे।

(ख) और (ग) आठ अधिकारियों ने, जो इस समय स्टेटिस्टीकल सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने कम्प्यूटर के ग्रेड मे 5-6 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी की थी, अपने मूल विभागों में अपनी स्थायी पदों से त्याग पत्र दे दिये थे। उनमें से कुछ ने 1964-67 में तथा अन्य ने 1971 में अपने मूल विभाग से त्याग पत्र दे दिये थे। उनमें से चार अधिकारियों के मामलों पर पुष्टिकरण के लिये 1972 में विचार किया जायगा। कम्प्यूटरों के ग्रेड में स्थायी पदों की पर्याप्त

संख्या के अभाव में इस अवस्था में अन्य के पुष्टिकरण की सम्भावना की अवधि का संकेत नहीं दिया जा सकता है ।

तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र का पुनः चालू होना

6403 श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र इस बीच पुनः चालू हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या खराबियां थी;

(ग) क्या पाई गई खराबियों को हमारे इन्जीनियरों और वैज्ञानिकों ने बिना विदेशी तकनीशियनों की सहायता के ठीक किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन खराबियों को दूर करने में उनका क्या योगदान रहा है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तारापुर परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को 27 अप्रैल 1972 को पुनः चालू किया गया था ।

(ख) जब पहले यूनिट के रिएक्टर को पुन. ईंधन भरने के लिए खोला गया तो उसको गाइड ट्यूब होल्डिंग डाउन व्यवस्था में कुछ दोष पाये गये । 89 गाइड-ट्यूबों में से 2 ट्यूबे रिऐक्टर दाब पात्र की सतह से लगे बंधनों से खुलकर अपने स्थान से हट गई थी ।

(ग) तथा (घ) पानी में 75 फुट की गहराई पर रेडियो सक्रियता वाले संसीमित क्षेत्रों में दूर से संचालित काम करना मरम्मत में शामिल था । इसके लिए विशिष्ट यंत्र बनाने की भी आवश्यकता थी । रिएक्टर की निर्माता अमरीका की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी के साथ कुछ समस्याओं पर सलाह करने के अलावा शेष सभी सुधार पूरी तरह से हमारे वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों द्वारा किये गये ।

कारों की खरीद के लिए जमा धन राशि और करों के लिए प्रतीक्षा सूची

6404 श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नवम्बर, 1971 से जमाराशि को 2000 रुपये से बढ़ा कर 4000 रुपये कर दिया है जो कि कार खरीदने वाले को डाकघर में जमा करानी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ।

(ग) इस वृद्धि से पूर्व कारों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति थे और 31 मार्च, 1972 के प्रतीक्षा सूची में कार खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ; और

(घ) इस वृद्धि के समय और 31 मार्च, 1972 को डाकघरों में कितनी धनराशि जमा राशि में वृद्धि करने से कार खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में कमी हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) निर्माताओं के पास भारी संख्या में पिछड़े पड़े हुए आर्डरों को देखते हुए ऐसा अनुभव हुआ कि इससे सरकार देश में यात्री कारों की ठोस मांग का बेहतर निर्धारण कर सकेगी ।

(ग) और (घ) : निर्माताओं द्वारा लंबित आर्डरों के सम्बन्ध में माहवारी सूचना संकलित की जाती है । चूंकि आर्डर नवम्बर के तीसरे सप्ताह से लागू हुआ है, अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है । सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ब्रिटेन में लोक सभा आयोग प्रशासन के तीन मास के अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारी

6405. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्सनल डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों को ब्रिटेन में लोक सेवा प्रशासन का तीन मास का अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है और यदि हां, तो उन के नाम, पदनाम और उन्हें चुनने के आधार क्या हैं;

(ख) इस अध्ययन कार्यक्रम को किसने आरम्भ किया था;

(ग) इन अधिकारियों द्वारा वहां किन किन विषयों का अध्ययन किया जायेगा; और

(घ) विदेश से वापस आने पर सरकार भारत में उन के प्रशिक्षण का किस प्रकार उपयोग करेगी ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, सरकार ने कार्मिक विभाग के दो अधिकारियों, सर्व श्री पी० वी० नायक और पी० जी० लेले को 'समुद्रपार-प्रशासनों के स्थापना अधिकारियों के पाठ्यक्रम' में भाग लेने के लिए भेजा है । कोलम्बो प्लान के मातहत इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने रखा था, और इन दोनों अधिकारियों का पार्श्व-ज्ञान उस सरकार की आवश्यकताओं के अनुरूप ही था । श्री नायक कार्मिक-विभाग में डायरेक्टर हैं और श्री लेले अवर सचिव । अधिकारियों के पार्श्व-ज्ञान और सेवा के रिकार्ड के आधार पर यह चुनाव किए गए हैं ।

(ख) इस अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कोलम्बो प्लान के मातहत ब्रिटिश सरकार के रायल इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने किया हैं ।

(ग) 12 सप्ताह के इस पाठ्यक्रम में स्थापना विषयक कार्य के विभिन्न पहलुओं पर लेक्चरों का एक क्रम रहेगा । ये अधिकारी सरकारी सेवा में प्रवेश तथा भर्ती के विभिन्न पहलुओं, सिविल सर्विस कमीशन के कर्तव्य, कर्मचारियों के नियन्त्रण तथा परिपूर्ण की व्यवहारिक समस्याओं वेतन तथा छुट्टी के ढांचे, पदोन्नति-नीति तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अध्ययन करेंगे । ये अधिकारी कर्मचारियों से समझौतावार्ता की प्रणाली, विशेषकर हिटले प्रणाली का अध्ययन भी करेंगे । अन्तिम माह में इन अधिकारियों को सेमिनारों में भाग लेना होगा ।

(घ) कार्मिक विभाग मुख्यतः कार्मिक मामलों से सम्बन्धित है, और इस प्रकार इन अधिकारियों का यह पाठ्यक्रम-प्रशिक्षण इन्हें अपने सरकारी कर्तव्य निभाने में सरकार के लिए उपयोगी होगा ।

हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापटनम आकाशवाणी केन्द्रों के काम कर रहे प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव तथा एनाउन्सर

6406. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापटनम आकाशवाणी केन्द्रों में अलग अलग तथा केन्द्रवार उन के प्रारम्भ के समय से कितने प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव और एनाउन्सर काम कर रहे थे,

(ख) अलग अलग और केन्द्रवार उपरोक्त पदों की संख्या क्या है;

(ग) बढ़े हुए कार्य के भार को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए क्या उपरोक्त कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2052/72)

(ग) तथा (घ) : वित्त मन्त्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक ने कार्य-भार के आधार पर आकाशवाणी के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या निश्चित करने के लिए कुछ सिद्धांतों की सिफारिश की है। इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय अभी लिए जाने हैं। इन केन्द्रों के कर्मचारियों की संख्या उन सिद्धान्तों के आधार पर फिर से निश्चित की जायेगी जो तय किए जायेंगे।

कुड्डापा आकाशवाणी केन्द्र में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव और एनाउन्सर

6407. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963 में कुड्डापा आकाशवाणी केन्द्र के चालू होने के समय वहां कितने प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव (राजपत्रित अधिकारी) ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव और एनाउन्सर अलग अलग नियुक्त किये गये;

(ख) क्या उक्त केन्द्र के चालू किये जाने के पश्चात प्रसारण अर्थात फिल्मी गानों के रिकार्डों, स्थानीय समाचारों के समय में लगभग दुगनी वृद्धि हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त पदों की संख्या में वृद्धि की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) :

(क) :	(1) कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव (राजपत्रित अधिकारी)	2
	(2) ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव	4
	(3) एनाउन्सर	2

(ख) समय में 3-30 घंटे से लेकर 5 घंटे तक की वृद्धि हुई है।

(ग) जी. नहीं। कुडाप्पा केन्द्र में वर्तमान कर्मचारियों की संख्या कार्यक्रम तैयार करने और प्रेषण कार्यों के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

भारत में ब्रिटिश पारपत्र धारी

6408. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1972 को भारत में कितने ब्रिटिश पारपत्र धारी रह रहे थे; और

(ख) वर्ष 1971-72 में कितने ब्रिटिश पारपत्र धारी भारत आए ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है । सूचना एकत्रित करने के पश्चात सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मंत्री द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता

6409 श्री एस० एन०मिश्र : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने अपने मंत्रित्वकाल में 28 फरवरी, 1972 तक मासवार कुल कितना यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लिया;

(ख) नई दिल्ली और इलाहाबाद में उनके कार्यालय और निवासस्थान पर लगे टेली-फोनों के सम्बन्ध में उपरोक्त अवधि में टेलीफोन और तार के कितने रुपयों के बिलों का भुगतान किया गया; और

(ग) मंत्री पद ग्रहण करने के बाद वे कितनी बार इलाहाबाद गये । तथा इस अवधि में वे कहां किस कार्य से गये ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है । मंत्रालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2053/72

भारतीय वृत्त-चित्र 'नाइन मन्थ्स टू फ्रीडम' को केन्स फिल्म मेले में भेजना

6411. श्री मेहेंन्द्र सिंह गरचा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई में होने वाले केन्स फिल्म मेले के लिए भारतीय वृत्त-चित्र 'नाइन मन्थ्स टू फ्रीडम' को नहीं लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे शामिल करने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किये है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं । इसको केन्द्र फिल्म समारोह में प्रदर्शन के लिए स्वीकृति दे दी गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेडियो आइसोटोप्स का निर्यात

6413 श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेडियों आइसोटोप्स का वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या भारत विभिन्न देशों को रेडियो ग्राइसोटोप्स का निर्यात कर रहा है और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है ;

(ग) क्या भारत में निर्मित आइसोटोप्स के बारे में कुछ अन्य देशों ने भी पूछताछ की है; ग्रौर

(घ) इससे भारत को अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वर्ष 1971 में रेडियो आइसोटोपों, सप्लाई किये गये उपकरणों तथा उनसे सम्बद्ध सेवाओं का कुल मूल्य 37.72 लाख रुपये था।

(ख) भारत ने अब तक 48 देशों को रेडियो आइसोटोप निर्यात किये हैं उनके नाम निम्न हैं :—

1. अबू छाबी
2. अफगानिस्तान
3. ग्रल्जीरिया
4. आस्ट्रेलिया
5. अर्जेंटाइना
6. आस्ट्रिया
7. बोलिनिया
8. ब्राजील
9. बर्मा
10. श्रीलंका
11. कोलम्बिया
12. चैकोस्लोवाकिया
13. डेनमार्क
14. इथोपिया
15. फ्रांस
16. याना
17. ग्रीस
18. हार्लैंड
19. हांगकांग
20. हंगरी
21. इन्डोनेशिया
22. ईरान
23. इटली
24. जापान
25. केन्या
26. कोरिया
27. कुवैत
28. लेबनान
29. मलयेशिया
30. मैक्सिको
31. मोरक्को
32. नेपाल
33. नाइजीरिया
34. पेरू
35. फिलिपीन
36. रोमानिया
37. सेनेगल
38. सिंगापुर
39. स्पेन
40. स्वीडन
41. ताइवान
42. थाइलैंड
43. टर्की
44. संयुक्त अरब गणराज्य
45. उगांडा
46. उरेग्वे
47. संयुक्त राज्य अमरीका
48. वियतनाम

(ग) जी, हाँ।

(घ) वर्ष 1971 में 5 लाख रुपये की कीमत के रेडियो आइसोटोप तथा उपकरण निर्यात किए गए। आशा है कि आगामी वर्ष में रेडियो आइसोटोपों के निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय में और वृद्धि होगी।

अणु शक्ति योजना के लिए फ्रांस से वित्तीय सहायता

6414. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस भारत को अणु शक्ति योजना के लिए 20 करोड़ 25 लाख रु० की सहायता देगा और 4 करोड़ 7 लाख रुपये का ऋण देगा; और

(ख) यदि हां, तो इसको किस प्रकार प्रयोग में लाया जायेगा ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) ऐसा अनुमान है कि कलपक्कम में लगाए जा रहें फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर के लिए 7.4 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा आवश्यक होगी। फ्रांस सरकार इस परियोजना के लिए 4.7 करोड़ रुपये का विशेष ऋण देने के लिए सहमत हो गई है। विदेशी मुद्रा की शेष आवश्यकता की पूर्ति फ्रांस सरकार से प्राप्त हुई सामान्य वार्षिक आर्थिक सहायता से की जाएगी।

सतर्कता आयोग द्वारा डिपार्टमेंट आफ पर्सोनिल गृह मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सलाह देना

6415. श्री वी० के० दाम चौधरी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट के आधार पर सतर्कता आयोग ने 26 मई, 1969 को डिपार्टमेंट आफ पर्सोनल/गृह मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कठोर सजा देने के लिए कार्यवाही करने की सलाह दी थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई हैं और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 26 मई, 1969 को कार्मिक विभाग के नियंत्रणाधीन सेवाओं के दो अधिकारियों के विरुद्ध कठोर सजा देने के लिए कार्यवाही करने की सलाह दी थी।

(ख) इन दोनों मामलों की जांच पूरी होने के बाद इन में से एक अधिकारी को 8 अकतूबर, 1971 को सरकार की नाराजगी (displeasure) सूचित कर दी गई थी। दूसरे अधिकारी का मामला संघ लोक सेवा आयोग को सलाह देने के लिए भेजा गया है।

नेताजी जांच आयोग द्वारा गवाही का रिकार्ड

6416. श्री समर गुह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी जांच आयोग ने सरकार से फारमोसा जाने की अनुमति मांगी है,

जिससे वह ताइहोंको हवाई अड्डे पर नेताजी के वायुयान की कथित दुर्घटना के स्थल का निरीक्षण कर सके और उसके संबंध में परिस्थितिक तथ्य एक कर सके; और

(ख) क्या सरकार आयोग को फारमोसा जाने की अनुमति देगी ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) . सदन में 18 मई के प्रश्नोत्तर समय की कार्यवाही की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। आयोग ने कुछ अन्य देशों के साथ साथ फारमोसा जाने की इच्छा व्यक्त की थी। फारमोसा सरकार के साथ हमारे राजनैयिक संबंध नही है। इस लिए उस सरकार से इस संबंध में औपचारिक अनुरोध नहीं किया जा सकता।

विभागीय सामग्री की सप्लाई के लिए महाडाकपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये सीधे ठेके

6417. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक उत्तर प्रदेश के महाडाकपाल ने विभागीय सामग्री की सप्लाई के कितने ठेके सीधे दिये;

(ख) यदि हां, तो सप्लाई की जाने वाली ऐसी प्रत्येक सामग्री का मूल्य क्या है,

(ग) क्या ठेके ट्रेंडर मंगा कर सब से कम दर बताने वाले व्यक्ति को दिए गए थे अथवा नहीं;

(घ) इस प्रकार की सप्लाई के लिए किन नियमों का पालन किया जाता है; और

(ङ) क्या यह पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है कि जिन लोगों को ये ठेके दिये गये वे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इस विभाग से सम्बन्धित थे।

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस संबंध में निर्धारित नियम यह है कि टेंडर मंगाए जाएं और मामले के गुण-दोष पर विचार करने के बाद ठेके दिए जाएं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूर-संचार योजना

6418. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र से सामान की सप्लाई में कमी आने के कारण दूर-संचार योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रगति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां, कुछ हद तक।

(ख) विभाग की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अन्य श्रोतों का विकास किया जा रहा है। वर्ष 1971-72 के उत्तरार्द्ध में सप्लाई की स्थिति में सुधार हो गया था जिससे चौथी योजना के लक्ष्य पूरे होने की संभावनायें बढ़ गई हैं।

उपग्रह संचार सेवा की स्थापना में विलम्ब

6419. डा० लक्ष्मीनरायण पांडेय : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह संचार सेवा की स्थापना में विलम्ब से लगभग 60 लाख रु० की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) आर्वी में उपग्रह संचार भू-केन्द्र के चालू किये जाने में 15 महीने की देरी ऐसे कारणों से हुई जिन पर सरकार का बस नहीं था, उदाहरण के लिए ऐलावेटरों की सप्लाई करने वाली फर्म का दिवाला निकलना, संयुक्त राज्य (यू० एस०) के पत्तनों मे हड़ताल होना-जिससे कुछ आयातित मदों के आयात में देरी हुई और भारत में जमशेदपुर, रांची, कलकत्ता और बम्बई के कारखानों में हड़तालें होना। अनुमान लगाया गया है कि यदि उक्त केन्द्र निर्धारित समय अक्तूबर, 1969 से कार्य करना प्रारम्भ कर देता तो, विदेश संचार सेवा को लगभग 51 लाख रु० की अतिरिक्त आय होती। उपर्युक्त कारणों और उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुये जिसके अधीन स्वदेशी जानकारी और साधनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने इंजीनियरी के इस असाधारण कार्य को अपने हाथ में लिया था, केन्द्र के चालू करने में विलम्ब से बचना संभव नहीं था।

चण्डीगढ़ में 'स्टार नाइट प्रोग्राम' : व्यक्तियों के एक ग्रुप द्वारा धोखाधड़ी

6420. श्री बी० वी० नायक :

श्री अमरनाथ विद्यालंकार :

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चण्डीगढ़ में व्यक्तियों के एक ग्रुप द्वारा सुयोजित ढंग से धोखाधड़ी की गई थी जिन्होंने चण्डीगढ़ में 'स्टार नाइट' मनाने का बहुत अधिक प्रचार किया था परन्तु वह 'नाइट' कभी नहीं मनाई गई तथा उसको मनाने की कभी योजना भी नहीं बनाई गई और इस प्रकार उन्होंने टिकटें बेचकर भारी धनराशि एकत्र कर ली थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या जिन व्यक्तियों ने यह धोखाधड़ी की थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बारे में कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) : जी हां। सर्व श्री के० आर० भास्कर और एल० आर० जार्ज भाइयों ने एक मित्र श्री रमेशचन्द्र के साथ 'दो राह नाइट' कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसके 16 अप्रैल, 1972 को क्रिकेट स्टेडियम सेक्टर 16,

चण्डीगढ़ में 'टिकट शो' के रूप में किये जाने का प्रस्ताव था। आयोजकों ने यह आश्वासन देते हुये कि इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध फिल्म कलाकार भाग ले रहे हैं, समाचार पत्रों तथा इश्तिहारों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार किया था। किन्तु फिल्म कलाकार नहीं आये और कार्यक्रम नहीं हुआ। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/468 के अन्तर्गत एक मामला दायर किया गया। तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। छानबीन जारी है।

Financial Assistance to State for Setting up Large Scale Industries in Fourth Plan

6421. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance to be given to the State Governments by the Central Government for large scale industries during the Fourth Plan (State-wise): and

(b) the names of the industries for which money has been given to U.P. Government ?

The Ministsr or State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) The central assistance to various State for State Plans for the Fourth Plan period is being given in the shape of block loans and block grants. The assistance is given for the Plan as a whole and not for any individual sector/programme/project. A statement giving the approved total Plan outlay, outlay for large and medium industries for the Fourth Plan and total central assistance to the States duting the Fourth Plan is enclosed.

(b) As the assistance is given for Plan as a whole and not for the individual sector, the question of assistance given for different industrial projects of U.P. does not arise.

Statement

Fourth Plan ontlay and Central Assistance

(Rs. crores)

	States	Approved Plan outlay for Fourth Five Year Plan (1969-74)		Central assistance to States during the Fourth Plan period.
		Total	For Large & Medium Industries	
	1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	420.50	7.50	240.00
2.	Assam	223.75	12.08	182.80
3,	Bihar	531.28	7.00	338.00
4.	Gujarat	455.00	11.02	158.00
5.	Haryana	225.00	4.00	78.50
6.	Jammu & Kashmir	158.40	3.91	145.00
7.	Karala	258.40	10.25	175.00
8.	Madhya Pradesh	393.00	5.07	262.00
9,	Maharashtra	898.12	12.00	245.50
10.	Maghalaya	38.00	1.03	37.20
11,	Mysore	350.00	9.00	173.00
12.	Nagaland	40.00	3.65	35.00
13.	Orissa	222.60	9.85	160.00
14.	Punjab	293.56	7.50	101.00

	1	2	3	4
15.	Rajasthan	02.00	2.08	220.00
16.	Tamil Nadu	519.36	14.00	202.00
17.	Uttar Pradesh	965.00	23.72	526.00
18.	West Bengal	322.50	9.27	221.00
	Total ;	6616.47	152.93	3500.(0

Financial Assistance to Freedom Fighters

6422. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government provide financial assistance to those who were imprisoned during the Freedom struggle;

(b) whether some persons were declared offenders by the British Government but they could not be arrested because they evaded arrest till the freedom movement was continued; and

(c) if so, the salient features of the policy adopted by Government in regard to such persons ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri K.C. Pant) : (a) In individual cases of hardship ad-hok financial assistance is given from the Home Minister's Discretionary Grant. The Government of India have also formulated a scheme for the grant of pension, in deserving cases, to those freedom fighters who had undergone imprisonment in the mainland jails for not less then six months and to their families, if they are themselves no longer alive. This scheme will commence from 15th August, 1972.

(b) Government have no reliable information.

(c) They are not covered by the scheme of pension. However, ad-hoc grants can be given in individual cases from the H.M.'s Discretionary Grant.

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

6423. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के विकास हेतु चौथी पंच वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में कुछ ठोस प्रस्ताव किये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता खास क्षेत्रों से संबंधित न होकर समस्त राज्य के लिए होती है।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार से 1970 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। यह सहायता मुख्यतः राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उपयोग के लिए माँगी गई थी और

उनका विवरण लोक सभा में 18. 11. 1970 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 181 के उत्तर में सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद राज्य की 1972-73 की वार्षिक योजना तैयार करते समय राज्य सरकार ने पूर्वी क्षेत्र की परियोजनाओं सहित 8 सिंचाई और बिजली परियोजनाओं तथा पूर्वी जिलों में 10 पुलों के लिए जिन पर 14 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी।

भारत में विदेशी कम्पनियां

6424. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री 24 मार्च 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1112 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विशिष्ट क्षेत्रों के नाम क्या है जिनमें संयुक्त उद्यमों की साम्य पूंजी में विदेशी कम्पनियों को अधिकांश पूंजी लगाने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या इसमे संबंधित नियमों और विनियमों में संशोधन किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में स्थापित किए गये उन संयुक्त उद्यमों के नाम क्या है जिनमें अधिकांश पूंजी विदेशी कम्पनियों की है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक संयुक्त उद्यम की कुल प्रदत्त पूंजी क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) : इस प्रकार के कोई विशिष्ट क्षेत्र नहीं है जिनमें भारत में सयुक्त उद्यमों को स्थापित करने के लिए अधिकांश विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दी जाती है। अधिकांश विदेशी पूंजी लगाने के प्रस्ताव पर गुणावगुणों के आधार पर तब विचार किया जाता हैं जबकि निम्नलिखित महत्वपूर्ण मापदण्डों में से एक या अधिक मापदण्ड के अन्तर्गत आता हो :—

(क) किसी विशिष्ट उद्योग का विकास करना राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण और आवश्यक हो;

(ख) अन्तर्ग्रस्त तकनोलाजी का क्षेत्र नया हो और जिस क्षेत्र में भारत ने बहुत कम या अपर्याप्त प्रगति की है और जहाँ पर्याप्त रूप से अतिरिक्त विकास करना आवश्यक हो;

(ग) संबंधित परियोजना ऐसे अधिकांश विदेशी विनियोजन के बिना स्थापित नहीं की जा सकती हो;

(घ) परियोजना हेतु अपेक्षित विदेशी मुद्रा की राशि इस प्रकार की हो कि जब तक विदेशी पार्टी को अधिकांश शेयर लेने की अनुमति न दी जाये दीर्घावधि वित्त के लिए कोई वैकल्पिक विधि व्यवहार्य न होने के कारण सरकार को परियोजना हेतु पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी होगी; और

(ङ.) योजना आवश्यक रूप से निर्यातोन्मुख हों।

(ग) तथा (घ) 1969 से 1971 की अवधि में संयुक्त उद्यमों का कोई भी प्रस्ताव, जिस में अधिकांश विदेशी पूंजी लगेगी, स्वीकृत नहीं किया गया था।

इस अवधि में दो मामले, एक 100 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व की सहायक शाखा के बारे में और एक विदेशी कम्पनी द्वारा भारत में शाखा स्थापित करने के लिए स्वीकृत किये गये थे। इनका ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है।

विवरण

उन मामलों की सूची जिसमें 1969, 1970 और 1971 में अधिकांश विदेशी विनियोजना स्वीकृत किया गया है।

भारतीय पार्टी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	सहयोग की शर्तें
	मैं० हनी वैल इन्क यू० एस० ए०	अमरीका की कम्पनी को अमरीका में हनीवैल के अपने प्रयोग के लिये एच० एम० टी० द्वारा बनाये गये मशीनी औजारों और अन्य इन्जीनियरी उत्पादों के निर्यात को सरल बनाने के सीमित प्रयोजन के लिए 100 प्रतिशत विदेशी सहायक शाखा स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। विदेशी अंशधारित को 3 वर्षों में 60 प्रतिशत तक तथा 5 वर्षों के अन्दर 49 प्रतिशत तक कम किया जाना है।
	मे० सीरस रोइबक औवरसीज, आई० एन० सी०, यू० एस० ए०	भारत में 5 वर्षों की अवधि के लिए शाखा स्थापित करने की अनुमति, इस शर्त पर दी गई है कि शाखा अपने कार्यकलापों को अपने मूल स्वामी के लिए क्रय करने तक सीमित रखेगी और इस देश में क्रय-विक्रय का कार्य नहीं करेगी और यह भी कि शाखा को इस देश से लाभ बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

'दोराहा नाइट' कार्यक्रम के लिए चन्डीगढ़ प्रशासन द्वारा दी गई सहायता

6425. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** . क्या गृह मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ के क्रिकेट स्टेडियम में 'दोराहा नाइट' कार्यक्रम का आयोजन करने के लिये चण्डीगढ़ प्रशासन ने आयोजकों को यथासम्भव सहायता दी थी।

(ख) यदि हां, तो आयोजकों को किस प्रकार की रियायत अथवा सहायता दी गई।

(ग) क्रिकेट स्टेडियम का कितना शुल्क जमा कराया गया तथा किस तिथि को जमा कराया गया; और

(घ) आयोजकों से कुल कितना उत्पादन शुल्क लिया गया तथा उन्होंने अग्रिम राशि तथा शुल्क किस तिथि को जमा कराया तथा आयोजकों को पुलिस द्वारा दी गई सहायता के लिये क्या शुल्क लिया गया ?

गृह मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के आयोजन में निम्नलिखित (घ) में की गई कार्रवाही के अतिरिक्त कोई सहायता नहीं दी गई थी।

(ख) आयोजकों को न तो कोई सहायता और न कोई छूट दी गई थी।

(ग) क्रिकेट स्टेडियम के प्रयोग के बारे में आयोजकों से 16-4-72 को 1,000 रुपये का वाहक धनादेश (बियरर चैक) किराये के रूप में प्राप्त हुआ था। 17-4-72 को आयोजकों ने यह धन राशि नकद जमा कर दी और वाहक धनादेश (बियरर चैक) उन्हें लौटा दिया गया था।

(घ) उत्पादन शुल्क नहीं ला सकता था। पुलिस को केवल विधि और व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से तैनात किया गया था और पुलिस की इस तैनातगी के लिए आयोजकों से कोई शुल्क नहीं लिया गया। ग्राउन्ड पर नियन्त्रण रखने के लिए रुकावटों की व्यवस्था करने तथा लगाने की लागत के रूप में 500 रुपये लिया गया था। किन्तु आयोजकों से निम्नलिखित शुल्क लिये गए थे :—

(i) 16-4-72 को मनोरंजन शुल्क के रूप में 1000 रुपये।

(ii) 16-4-72 को आयोजन स्थान पर मनोरंजन शुल्क की शेष रकम 614 रुपये।

चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा को आवंटित धनराशि का उपयोग न करना

6426. **श्री दशरथ देव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान त्रिपुरा के लिए आवंटित भारी धनराशि को खर्च नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि व्यय नहीं की गई है; और

(ग) राशि को खर्च न किए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) त्रिपुरा की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 34.66 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था जब कि इस अवधि के दौरान सम्भावित खर्चा 17.48 करोड़ रुपये का हुआ। इस प्रकार इसमें 3.68 करोड़ रुपये की कमी आई।

निर्धारित धनराशि के उपयोग न किए जाने के अनेक कारण हैं, जैसे इस्पात और सीमेंट जैसे अनिवार्य कच्चे माल की अनुपलब्धता, भूमि अधिग्रहण कार्यवाहियों को अन्तिम रूप देने में सामने आने वाली कठिनाइयां और परिवहन सम्बन्धी दिक्कतें। 1971 में बंगलादेश से भारी संख्या में विस्थापितों के आने के कारण यहां का शासन इस काम में बहुत व्यस्त रहा और इसकी वजह से भी व्यय में कमी आई।

तिलक नगर पुलिस स्टेशन. नई दिल्ली के विरूद्ध आयोजित प्रदर्शन

6427. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 अप्रैल, 1972 को तिलक नगर पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली के विरुद्ध वहाँ

के निवासियों तथा पार्षदों ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था;

(ख) क्या इसी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में पिछले 2 मास से एक लड़की लापता है और पुलिस अधिकारी अब तक उसे ढूंढने में असफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) और (ग) अशोक नगर के श्री कृष्ण इन्दर लाल की पुत्री कुमारी राज रानी 4 फरवरी, 1972 से लापता हैं । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363/366 के अन्तर्गत एक मामला एफ० आई० आर० नं० 123 दिनांक 28-2-1972 तिलक नगर पुलिस स्टेशन नई दिल्ली में दर्ज किया गया है । 18-4-1972 को एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया । एक अन्य संदिग्ध जो एक फैक्ट्री का मालिक है । जिसमें कुमारी राज रानी नौकरी करती थी, फरार था और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए आदलत से वारन्ट प्राप्त किये गये थे किन्तु वह 6-4-1972 को अदालत में हाजिर हुआ और उसने प्रत्याशी जमानत प्राप्त की । कुमारी राजरानी को तलाश करते रहने के लिए 29-2-1972 को भारत में सभी पुलिस अधीक्षकों तथा बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के पुलिस आयुक्तों को वितन्तु सन्देश भेजे गये हैं । जांच पड़ताल जारी है ।

कृषि में प्रयुक्त होने वाले खादीज, आदि और कृषि पर आधारित उद्योगों, का मानकीकरण

6429. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 अप्रैल, 1972 को आयोजित भारतीय मानक संस्थान के सम्मेलन में कृषि में प्रयुकत होने वाले खाद बीज आदि और कृषि पर आधारित उद्योगों के मानकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) आयोजन में दिये गये सुझावों को भारतीय मानकों विशिष्टियों और व्यवहार पद्धतियों के निर्धारण करने के लिए भारतीय मानक संस्था की सम्बन्धित समितियों के पास भेजने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

उपभोक्ता वस्तुओं के पैकिंग का मानकीकरण

6430. श्री राजदेव सिंह . क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान के रजत जयन्ती सम्मलन में उपभोक्ता वस्तुओं के पैकिंग के मानकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया था ताकि विदेशी बाजारों में इन वस्तुओं को स्वीकार किया जा सके तथा परिवहन के दौरान उनको यन्त्रों के द्वारा चढ़ाने तथा उतारने के समय टूट फूट न हो सके;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या देश के अन्दर के बाजारों में भी पैंकिग तरीकों का उपयोग किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय मानक संस्था द्वारा मेरीन, कारगो मूवमेंट एण्ड पैकेजिंग नामक एक अलग प्रभाग खोला गया है। उसमें विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग विशेषकर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पैकेजिंग पर विशेष ध्यान देकर समुचित मानक तैयार किये गये हैं। परिवहन में होने वाले विभिन्न प्रकार के संकटों का भी ध्यान रखा गया है।

जमाये हुए समुद्री खाद्य तथा फ्राग लैग्ज के निर्यात हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक स्थापित करने के लिए उच्च कोटि के गत्ते के डिब्बे शीघ्र ही बनाये जायेंगे। इस प्रभाग के कार्यक्रम में अन्य निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए पैकेजिंग के मानकों का विकास भी शामिल है।

(ग) जी, हां।

प्रार्थना पत्र के लिए शुल्क

6431. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बेरोजगार लोगों से जो सरकारी कार्यालयों में रोजगार के लिये प्रार्थना पत्र देने के इच्छुक होते हैं, मुद्रित अथवा साइक्लोस्टाइल्ड प्रार्थना पत्रों के फार्म सप्लाई करने केलिए शुल्क लेती है; और

(ख) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अनुसार उन्हें शुल्क देने की छूट दी जा सके ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्रित किया जा रहा है। प्राप्त होने पर, प्रश्न के भाग (क) और भाग (ख) से सम्बन्धित सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

देश में सोडियम डाइक्रोमेट संयंत्र

6432. श्री ए० के० कोत्राशेट्टी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश सोडियम डाइक्रोमेट में आत्मनिर्भर है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) हमारे देश में सोडियम डाइक्रोमेट तैयार करने वाले कितने संयंत्र हैं; और

(ग) प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

औद्योविक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सोडियम डिक्रोमेट के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि यहाँ से यह रसायन निर्यात भी होता है।

(ख) और (ग) मध्यम तथा लघु दोनों क्षेत्र के सोडियम डाम्क्रोमेट तैयार करने के एककों का विवरण निम्नलिखित है।

(1) तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में लिखित एकक

एकक का नाम	**उत्पादन/क्षमता मीट्रिक टन (वार्षिक)**
1. मैसर्स बकिंगम एण्ड करनाटिक कम्पनी लिमिटेड, मद्रास	1670
2. मैसर्स गोल्डन केमीकल्स् लिमिटेड, बम्बई	5550
3. मैसर्स पायोनियर क्रोमेट लिमिटेड, बम्बई	1680
4. मैसर्स कानपुर केमीकल वकर्स लिमिटेड, कानपुर	1340

(II) लघु क्षेत्र के एकक

एककों के नाम	**उत्पादन/क्षमता मीट्रिक टन (वार्षिक)**
1. मैसर्स नागर केमीकल वकर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कानपुर	80
2. मैसर्स इण्डिया केमीकल कारपोरेशन, कानपुर	365
3. मैसर्स दिनकर केमीकल्स, कानपुर	540
4. मैसर्स क्रोमेट्स एण्ड पिगमेन्टस्, मद्रास	200

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल तथा ईस्टर्न फ्रन्टियर राइफ़ल सैनिकों की संख्या

6433 श्री त्रिदिव चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार की केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा दल, ईस्टर्न फ्रन्टियर राइफल्स तथा अन्य ऐसी सशस्त्र पुलिस अथवा सुरक्षा बलों के सैनिकों की संख्या कितनी है और 1970-71 और 1971-72 में इन दलों के रखरखाव पर कितनी राशि व्यय हुई ; और

(ख) इन बलों के बारे में केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक नियंत्रण तथा सम्पर्क किस प्रकार का है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) :

(i)	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	—	95 कम्पनियां
(ii)	सीमा सुरक्षा बल	—	एक रिजर्व बटालियन समेत 9 बटालियनें
(iii)	पूर्वी सीरा राइफल	—	12 कम्पनियां

जहां तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का सम्बन्ध है केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के रखरखाव पर वर्ष 1970-71 के लिए कुल व्यय 3,77,94,271 रुपये और 1971-72 के लिए 5,61,245 रुपये है । सीमा सुरक्षा बल की बटालियनें और पूर्वी सीमा राइफल का (जिसका रख रखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है) व्यय सम्बन्धित प्राधिकारियों से मालूम किया जा रहा है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

(ख) गृह मंत्रालय का एक अतिरिक्त सचिव कलकत्ता में रखा गया है जो समन्वय के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से सम्पर्क रखता है । पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक तथा राज्य के अन्य अधिकारियों से बराबर सम्पर्क रखने के लिए महानिरीक्षक के पद का सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का एक एक अधिकारी कलकत्ता में तैनात किया गया है । गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली में स्थित अपने डाइरेक्टर जनरलों के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है । पूर्वी सीमा राइफल एक राज्य दल है अतः गृह मंत्रालय द्वारा उनके नियंत्रण का प्रश्न नहीं उठता ।

Protection to Surrendering Dacoits

6434. **Shri Chhatrapati Ambesh :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Home Affair** : be pleased to state the way Government propose to protect the surrendering dacoits from the persons whose family members and relatives were murdered or shot dead by them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : The dacoits who have surrendered are in Police custody and will continue to be so till the cases against them are investigated and tried by the Courts. The question of protecting them from those persons whose family members and relatives have been murdered or shot dead by them does not arise for the present. The Government of Madhya Pradesh however, have taken steps to protect the families of the dacoits from such persons.

Pension Scheme For Freedom Fighters

6435. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minster of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether the persons who died in the Kashmir war of 1947 and the Sino-India war of 1962 would also be benefited by the Pension Scheme for freedom fighters; and

(b) Since when the start of Independene struggle would be considered ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir. This pension scheme is meant for these who suffered in the struggle for the attainment of freedom for the country.

(b) No date has been specified.

Lifting of Lockout in Sen Raleigh Factory Asansol.

6436. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) Whether lock-out in the Sen-Raleigh factory Asansol, has been lifted after a period of one year; and

(b) if so, the terms on which it has been lifted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) Yes, sir.

(b) The information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House.

भारतीय दल द्वारा पश्चिमी जर्मनी के कृत्रिम अंग उत्पादन केन्द्रों का दौरा

6437 श्री सी० टी० दण्डपाणि :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के दल ने कृत्रिम अंग उत्पादन केन्द्रों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए पश्चिम जर्मनी तथा विश्व के अन्य भागों का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो दौरे का क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) यूनाइटेड किंगडम और पश्चिम जर्मनी में नकली अंग बनाने वाले विभिन्न प्रकार के अध्ययन दल ने अप्रैल, 1972 में दौरा किया तथा उत्पादकों के साथ उत्पादन मिश्रणों (प्रोडक्ट मिक्स) और विदेशी सहयोग की शर्तों से बारे में बात चीत की। अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

स्कूटरों की अलाटमेंट के लिये विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित कोटा

6438 श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि स्कूटरों की अलाटमेंट के लिये केन्द्रीय सरकार की प्रतीक्षा सूची में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के लिये कितना कोटा निर्धारित किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा रखी जा रही विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिये केन्द्रीय सरकार के कोटे से स्कूटर आवंटन, की प्रतीक्षा सूची में निर्धारित कोटा निम्न प्रकार है :—

श्रेणी	त्रिमाही कोटा	
	बजाज	लम्ब्रेटा
सूची सं० 1 (900 रु० अधिकमूल वेतन पाने वाले)	175	30
सूची सं० 2 (500 रु० से 899 तक मूल वेतन पाने वाले एक्जीक्यूटिव)	190	100
सूची नं० 3 (500 रु० 899 रु० तक मूल वेतन पाने वाले नान एक्जीक्यूटिव)	530	400

सूची सं० 4 (300 रु० से 499 रु० तक मूल वेतन पाने वाले एक्जीक्यूटिव)	380	200
सूची सं० 5 (सं० सचिव तथा उनसे बड़े अधिकारियों के निजी सहायक)	75	10
सूची सं० 6 (मैडिकल डाक्टर)	75	20
सूची सं० 7 (350 रु० से 499 रु० तक मूल वेतन पाते वाले पाने नान एक्जीक्यूटिव)	780	445

Shortage of Raw Materials in Small and Medium Industries in M. P.

6439. **Shri G. C. Dixit** : will the Minister of Industrial Development be pleased to state:

(a) whether small and medium scale industries in Madhya Pradesh are not working to their full capacity on account of paucity of raw material;

(b) whether the present system of distribution of raw material is one of reasons for decline in production: and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government to overcome the said difficulty?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) There is a general shortage of certain industrial raw material which has affected industrial Production throughout the country. Distribution bottlenecks do also affect the availability of raw material to industry and to that extent affect industrial production.

(c) To meet the immediate shortage of essential raw materials, liberal import facilities are being allowed. As compared to 1968-70, the total value of import licences for industrials increased by 35.5% and by a further 17% during the period April, 1971—February 1972 as compared to the identical period during the previous year, that is April. 1970—February, 1971. The long term measures for increasing the availability of raw materials which are in short supply like calcium carbide, caleined petroleum coke, soda ash, caustic soda, etc., include liberal licensing of fresh production capacities.

त्रिपुरा के लिए 1972-73 की वार्षिक योजना

6440. **श्री दशरथ देव** : क्या योजना मंत्री राज्यों की 1972-73 की वार्षिक योजना के बारे में 29 मार्च 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1439 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के लिए 1972-73 की वार्षिक योजना में किन प्रमुख मदों को प्राथमिकता दी जा रही है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : त्रिपुरा की 1972-73 की वार्षिक योजना में उत्पादन और रोजगार-मूलक कार्यक्रमों, जैसे बिजली, सड़कें और सड़क-परिवहन, कृषि, आदि, और सामान्य शिक्षा तथा पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाये गये कार्यक्रमों को निम्नांकित ब्यौरे के अनुसार प्राथमिकता दी गई है :—

क्षेत्र		(लाख रुपये)
		1972-73
	स्वीकृत परिव्यय	कुल योजना परिव्यय का प्रतिशत
1. बिजली	194.7	25
2. कृषि कार्यक्रम	185.8	23
3. सड़क और सड़क परिवहन	123.8	15
4. सामान्य शिक्षा	90.9	11
5. पिछड़े वर्गों का कल्याण	45.4	6

Preference to wives and Heirs of Soldiers Killed in Indo-Pak War in Respect of Telephone Connections :

6441. **Dr. Sankar Prasad :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the wives and heirs of soldiers killed during the recent Indo-Pak war are being given preference in providing telephone connections to them;

(b) if so, the number of applications received by Government so far, and the number of those which have since been examined ; and

(c) whether this facility if also ie wives and heirs of the soldiers killed in the Indo-Pak war of 1965 and ssed, so far ?

The Minisrer of Communications Shri H.N. Bahuguna : (a) Yes.

(b) Three applications were received prior to 9-5-72. and out of turn telephones were sanctioned in all the 3 cases. On 9-5-72 general instructions have been issued to Heads of Circles/Districts to provide connections on priority to such applicants within their own discretion.

(c) No such demand has come up for consideration,

विदेशों में भारतीय तकनीशियन

6442 **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कितने भारतीय तकनीशियन हैं और उनको मिलने वाली उपलब्धियों के बारे में क्या अनुमान है और भारत में उपलब्ध तदनुसार उपलब्धियों का स्तर क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने उनको यहां पर रखने और उनकी सेवाओं का लाभ उठाने की कोई योजना बनाई है और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) विदेशों में भारतीय तकनीशियनों की संख्या के बारे में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पास ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में उपलब्ध सूचना के अनुसार, जिसमें पंजीकरण स्वैच्छिक है, दिनांक 1-1-1972 तक 3,338 इन्जीनियर और 522 शिल्प वैज्ञानिक विदेशों में थे।

विदेशों में उनको प्राप्त होने वाली उपलब्धियों का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये जो उपाय किये गए हैं, उनको संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न उच्चकोटि के अनुसंधान सम्बन्धी सुअवसर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) द्वारा उपबन्ध कराये जा रहे हैं। विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को भारत वापस आने और अध्ययन में अच्छी स्थिति प्राप्त करने में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये यू.जी.सी. ने अध्यापकों के वेतनमान भी उन्नत किये हैं। यू. जी. सी. ने प्रध्यापकों को भ्रमण पर बुलाने के लिये भी यात्रा अनुदान की व्यवस्था की है।

विदेशों के उत्पादन एककों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों/शिल्प वैज्ञानिक को आकर्षित करने, वापस आने और इस देश में अपने निजी उद्योग, विशेषकर जिन क्षेत्रों को उत्पादन तकनीकी में उन्होंने कौशल प्रदान किया है, प्रारम्भ करने के लिए सी. एस. आई. आर. भी एक विस्तृत योजना की रूपरेखा तैयार कर रहा है। उसी प्रकार, कार्य और गुणों को मिलाते हुये प्राथमिकता के कार्यक्रमों में कार्य करने के लिये वैज्ञानिकों को आमंत्रित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। योजना के विवरण तैयार किये जा रहे हैं।

विवरण

वैज्ञानिकों तथा तकनीकी कर्मचारियों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) विदेशों से वापस लौटने पर सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नालौजिस्टों को अस्थायी नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने के लिए बिना रोजगार का आश्वासन दिये एक वैज्ञानिक पूल का निर्माण।

(2) अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिसंख्यक पदों का निर्माण, जिनके लिए विदेशों में कार्य तथा अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की अस्थायी नियुक्ति तुरन्त की जा सकती है।

(3) संघ लोक सेवा आयोग तथा बहुत से राज्य लोक सेवा आयोग उन भारतीय वैज्ञानिकों तथा टेक्नालौजिस्टों को जिनके विवरण राष्ट्रीय रजिस्टर में अंकित होते है, उनके द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए 'वैयक्तिक सम्पर्क' के रूप में उम्मीदवार मानने के लिये सहमत हो गये हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने भारत में पदों के लिये भारतीय वैज्ञानिकों तथा टेक्नालोजिस्टों का विदेशों में इन्टरव्यू लेने की व्यवस्थायें भी कर लीं है।

(4) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों तथा टेक्नालाजिस्टों के नाम दर्ज करने के लिये तथा उनके नामों को सभी मंत्रालयों, भारत सरकार के विधानों, राज्य सरकारों, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, लोक क्षेत्र उद्योगों तथा वृहत् प्राइवेट क्षेत्र प्रतिष्ठानों में भेजने के लिये वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के के राष्ट्रीय रजिस्टर के एक विशिष्ट अनुदान का अनुरक्षक । ऐसे कर्मचारियों के

नाम मासिक जनत कनीकी जनशक्ति बुलेटिन (सी. एस. आई. आर.) में प्रकाशित किये जाते हैं, जो कि सारे भारत में लगभग 3,000 संस्थाओं को निःशुल्क बांटी जाती है ।

(5) वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी जो विदेशों में चुने जाते है और जो सेवा करने का तीन वर्ष का लिखित प्रमाण देते हैं वे और उनके परिवार के सदस्य हवाई जहाज द्वारा भारत आने के लिये यात्रा अनुदान ले सकते हैं ।

मध्य प्रदेश के रीवा और सिद्धी जिलों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना

6443 श्री रणबहादुर सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के रीवा और सिद्धी जिलों में औद्योगिक बस्ती की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना माँगी गई है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में बैठने वाले प्रत्याशियों की आयु सीमा को बढ़ाना

6444. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में बैठने वाले प्रत्याशियों की अधिकतम आयु बढ़ाने का निर्णय इस वर्ष से लागू किया जायगा ;

(ख) क्या अभी तक लागू कम आयु सीमा के कारण बहुत से योग्य प्रत्याशी परीक्षाओं में दो से अधिक बार नहीं बैठ सकते थे ; और

(ग) क्या आयु सीमा बढ़ाने से परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों को दो से बढ़ाकर तीन बार कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) वर्ष 1961 की परीक्षाओं से, परीक्षा के किसी एक विशिष्ट वर्ग में अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को केवल दो बार बैठने दिया जाता है ।

(ग) सरकार इस पर अभी विचार कर रही है ।

भारत द्वारा राकेट अनुसंधान कार्यक्रम की प्रगति

6445 श्री राजेंद्र प्रसाद यादव : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका और रूस की तरह भारत कितने वर्षों में चांद को राकेट भेजने योग्य हो जायगा ; और

(ख) क्या इन दोनों के मुकाबले भारत इस अनुसंधान कार्यक्रम में काफी पीछे है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री. गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राष्ट्रीय महत्व के अनेक लक्ष्यों तक पहुंचने के उद्देश्य से एक भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम को योजनाबद्ध किया गया है और उसे बढ़ावा दिया गया है। दूरी तक जाने वाली अन्तरिक्ष एषणियों को चन्द्रमा पर भेजना इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है। इस कारण प्रश्न के इस पहलू पर विचार करना अभी असामयिक है।

(ख) अमरीका तथा रूस ने इस क्षेत्र में काफी पहले काम शुरु कर दिया था तथा इसमें आर्थिक दृष्टि से काफी अधिक साधन लगा दिये थे, इस कारण ये देश भारत से (तथा विश्व के अन्य सभी देशों से) अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत आगे है।

पटना, भागलपुर और रांची में कम शक्तिशाली ट्राँसमीटर

6446. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना, भागलपुर और राँची में लगाये गये ट्रांसमीटर घटिया, तकनीकी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण और बहुत कम शक्तिशाली हैं और उन्हें सारे राज्य में सुना भी नहीं जा सकता;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्षमता कितनी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधार करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। पटना और भागलपुर में मीडियम वेव ट्रांसमिटर है। रांची में एक अल्पशक्ति वाला शार्टवेव ट्राँसमिटर और एक अल्प शक्ति वाला मीडियम वेव ट्राँसमिटर है। ये ट्रांसमिटर सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं और विहार राज्य के 83 प्रतिशत क्षेत्र तथा 88 प्रतिशत जन संख्या को प्रथम श्रेणी की सेवा उपलब्ध कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रांची का शार्ट वेव ट्रांसमिटर सम्पूर्ण बिहार राज्य को शार्ट वेव सेवा उपलब्ध करता है।

(ग) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Development Projects Held up in States for Want of Funds

6447 Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) Whether the development projects of various States are held up for want o funds; and

(b) if so, the measures proposed to be taken to make the States economically ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Within

the resaurces available, adequate provision is made for projects included in the Fourth Five Year plans of States and the annual phasing of outlay thereon is made in such a way that adequate resources are made available for their completion according to schedule. However, sometimes the pace of implementation is sought to be accelerated by some States and this creates difficulties in view of the paucity of resources. In certain cases. these resource difficulties are accentuated by increases in expenditure on non-approved projects outside the State Plans.

(b) To enable the States which had gaps in non-plan resources to mobilise additional resources to the maximum extent possible during the Fourth Plan period and to ensure the utilisation thereof for financing the Fourth Five Year plans of these States, the Central Government agreed to provide special accommodation to such States to cover these non-Plan deficits in their resources. Suitable arrangements are made to maintain and even increase the tempo of development in each State from year to year. Wherever necessary, Special accommodation has been made available for keeping a certain minimum level of Fourth Plan outlay to ensure reasonable rate of development.

केरल के परिवहन मंत्री के बेटे की दिल्ली में रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु

6448. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मार्डन स्कूल, नई दिल्ली के एक नवयुवक विद्यार्थी श्री नारायणन की, जो केरल के परिवहन मंत्री का बेटा था, हाल ही में राजधानी में रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दुःखाँत घटना के तथ्यों का पता लगाने के लिये और दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन : (क) जी हां। श्री नारायणन की मृत्यु अब रहस्यमय नहीं रह गई है। पुलिस की तफतीश से सभी सम्बन्धित तथ्य सामने आ गये हैं जिससे प्रकट होता है कि वह बीमार हो गया था और बाद में एक गोली खाने से जो उसने नई दिल्ली हनुमान लेन के पीछे एक व्यक्ति से खरीदी थी, उसकी मृत्यु हो गई। शव-परीक्षा सूचना के अनुसार श्री नारायणन की मृत्यु "मा : फीन जहर के द्वारा मूर्च्छा" के कारण हुई थी।

(ख) नई दिल्ली संसद मार्ग पुलिस थाने में एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 710 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-क/328/109 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। पांच व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। जांच चल रही है।

मैसूर महाराष्ट्र सीमा विवाद

6449. श्री निहार लास्कर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर और महाराष्ट्र सीमा विवाद को हल करने के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) महाजन आयोग द्वारा काफी समय पूर्वक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद भी उक्त समस्या को हल करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या महाजन आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) 18 दिसम्बर, 1970 को सदन में दिये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जैसा कि उसमें बताया गया था, सरकार की इच्छा इस विवाद को मैत्रीभाव से और यदि सम्भव हुआ, मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत द्वारा हल करने की थी। किन्तु ऐसी कोई बात-चीत नहीं हो सकी क्योंकि मैसूर में अब तक राष्ट्रपति शासन रहा अब इस मामले में नई पहल करने का विचार है।

(ग) रिपोर्ट 18 दिसम्बर, 1970 को सदन के पटल पर रख दी गई थी।

सहायक उद्योगों मे मानकीकरण

6450 श्री निहार लास्कर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहायक उद्योगों में मानकी करण की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि बड़ी संख्या में मूल एकक उनके उत्पादों को स्वीकार करें;

(ख) क्या उद्योगों में विदेशी सहयोग मानकीकरण के प्रति उत्साह के अभाव का एक कारण है; और

(ग) यदि हां, तो सहायक उद्योगों को भारतीय मानक स्वीकार करने को कहने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) चूंकि विदेशी सहयोग विश्व के विभिन्न देशों से किया जाता है इस लिए एक ही प्रकार की वस्तुओं के मानकों में भेद होने की सम्भावना है। इस सम्भाव्यता का सामना करने के लिए भारतीय मानक संस्था ने बड़ी संख्या में राष्ट्रीय मानकों को विकसित किया है। अब बहुत से उद्योगों ने इनको अधिस्वीकृत कर लिया है, जिसमें सहायक उद्योग भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार के अभिस्वीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गये हैं :—

(क) विभिन्न राज्यों में कई क्रिया चयन सम्मेलन किए गये हैं और राज्यों के प्राधिकारियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वे अपने क्रय कार्यक्रमों के लिए निर्धारित भारतीय मानकों को अपनायेंगे।

(2) अनेक राज्य सरकारों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार तमिलनाडू, राजस्थान और उड़ीसा ने भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रभावित वस्तुओं को मूल्य में अधिमान प्रदान किया है।

(3) भारतीय मानकों का अधिक से अधिक अभिस्वीकरण करने के लिए निर्माताओं, उपभोक्ताओं, तकनीकवियों आदि का ध्यान केन्द्रित करने के लिए समय समय पर उद्योग वार सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

(4) भारतीय मानक संस्थान एक देश व्यापी प्रभावीकरण चिन्हांकन योजना चलाता है, जिसके अनुसार निर्माण केन्द्र द्वारा तैयार किये गये और उनकी देख रेख में निरीक्षण तथा परीक्षण की योजना के आधार पर अन्तः प्रक्रिया किस्म नियंत्रण प्रणाली का सुनिश्चय सख्ती से करते हैं। और भारतीय मानक विशिष्टीकरण के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ऐसे

निर्माताओं को आई० एस० आई० प्रमाणीकरण चिन्ह जिसका नाम मानक चिन्ह भी है, अपने उत्पादों में प्रयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान किये जाते हैं।

(5) सभी राष्ट्रीयकृत बैंक निर्माताओं को ऋण सुविधाएं प्रदान करने से पहले पंप सैट, डीजल इंजन आदि जैसी वस्तुओं के लिये आई० एस० आई० चिन्ह का प्रयोग करने का आग्रह करते हैं।

(6) संसद के कुछ अधिनियमों अर्थात सी कस्टम एक्ट, 1878, टी एक्स, 1953 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, निर्यात (किस्म नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 और खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1954 में निर्यात की जानी वाली वस्तुओं और उपभोक्ता के संरक्षण का सुनिश्चय करने के लिए विशेष रूप से आई० एस० आई० मानकों को निर्धारित किया है।

कटक, जैपुर और सम्बलपुर के आकाशवाणी केन्द्रों की प्रसारण क्षमता में सुधार

6451. श्री डी० के० पंडा : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कटक, जैपुर और सम्बलपुर केन्द्रों के ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस योजना पर कितना खर्च होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) कटक और जैपुर के वर्तमान ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने सम्बन्धी योजनायें मंजूर कर दी गई है। स्थान उपलब्ध हैं। उपकरण के लिए आर्डर दे दिये गये हैं। उम्मीद है ये योजनायें वर्ष 1973-74 तक मुकम्मल हो जायेगी।

चौथी योजना में सम्बलपुर के ट्रांसमीटर की शक्ति में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, स्थायी स्टूडियो स्थापित किये जा रहे हैं, जिनकी वर्ष 1973-74 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है।

(ख) कटक और जैयपुर के ट्रांसमीटरों की शक्ति में वृद्धि करने की योजनाओं पर क्रमशः 30 लाख रुपये और 5 लाख 32 हजार रुपये तथा सम्बलपुर में स्टूडियो स्थापित करने पर लगभग 19 लाख 76 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान हैं।

'कुरुक्षेत्र' पत्रिका की भाषायें

6452. श्री डी०के० पंडा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्र (सूचना और प्रसारण मन्त्रालय) की पत्रिका 'कुरुक्षेत्र' इस समय किन-किन राष्ट्रीय मामलों में प्रकाशित की जा रही है; और

(ख) क्या उक्त पत्रिका को उड़ीसा भाषा में भी प्रकाशित करने का प्रस्ताव है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) कृषि मन्त्रालय के सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग की ओर से "कुरुक्षेत्र" का प्रकाशन अब अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रकाशन प्रभाग द्वारा किया जा रहा है।

(ख) राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे 'कुरुक्षेत्र' में प्रकाशित सामग्री का अपनी उन पत्रिकाओं में उपयोग करें जो पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत निकाली जाती है। 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका को उड़ीसा या किसी अन्य प्रादेशिक भाषा में प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एक नये प्रेस आयोग के गठन का सुझाव

6453. श्री डी० के० पंडा : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन के अध्यक्ष के हाल के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें नये प्रेस आयोग की स्थापना किये जाने का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद द्वितीय प्रेस आयोग स्थापित न करने का निर्णय लिया गया।

Production in Industries

6454. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state the extent to which the production has increased as a result of the new policy of further utilisation of capacity announced in the case of 54 selected industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Devetopment (Shri Siddheshwar Prasad) : The liberalisations regarding fuller utilisation of manufacturing capacities in 54 selected industries have been announced only in January-February, 1972. It is too early to judge their impact on production.

प्रशासनिक ओर पुलिस प्रशिक्षण कालेजों के प्रशिक्षणार्थियों को नई राष्ट्रीय नीति से परिचित कराना

6455. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशासनिक और पुलिस प्रशिक्षण कालेजों के प्रशिक्षणार्थियों को समाजवाद के आदर्शों, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र और गुटनिरपेक्षता पर आधारित नये समान दर्जे की समाज की स्थापना करने की राष्ट्रीय नीति से अवगत कराया जाता है;

(ख) इस उद्देश्य से पाठ्यक्रम का पुनर्गठन और पुनरीक्षण करने के लिए क्या-क्या परिवर्तन किये गये हैं; और

(ग) क्या सामाजिक और आर्थिक मामलों के बारे में प्रत्येक विद्यार्थी के विचारों के सम्बन्ध में संस्था के प्रधान से किसी प्रकार की रिपोर्ट मांगी जाती है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी द्वारा चलाये जा रहे बुनियादी पाठ्यक्रम में भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों सहित अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय प्रथम श्रेणी सेवाओं के सीधी भर्ती वाले अधिकारी भाग लेते हैं । टैक्नीकल सेवाओं के लिए भी बुनियादी प्रशिक्षण देने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं । बुनियादी प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य परिवीक्षाधीन अधिकारियों को देश के संवैधानिक, आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे का आधारभूत ज्ञान कराना है । पाठ्यक्रम के विषय इस प्रकार हैं—प्रजातंत्र के असैनिक कर्मचारियों के कर्तव्य, प्रशासनिक नीति-शास्त्र, स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास, जन-कल्याणकारी राज्य की मूल धारणायें, असैनिक कर्मचारियों की सामाजिक जिम्मेदारी, मूल राजनीतिक धारणायें, भारत की विदेश नीति भारत का संविधान एवं सरकारी नीति-निर्देशक सिद्धाँत, बुनियादी आर्थिक विकास आदि । राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के पाठ्यक्रम-विषयों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उनका पुनरीक्षण किया जाता है ।

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान भी अनुभाग अधिकारी के स्तर तक की लिपिक वर्गीय सेवाओं में नये भर्ती हुये कर्मचारियों को बुनियादी प्रशिक्षण देता है । केन्द्रीय पुलिस संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों को राष्ट्रीय नीतियों से अवगत कराने के लिए लेक्चर दिए जाते हैं । हाल ही में पुलिस प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई हैं । यह समिति पुलिस संस्थानों में दिए जा रहे प्रशिक्षण की समीक्षा करती है ।

(ग) संस्थाओं के प्रधानों से कोई रिपोर्ट नहीं मंगाई जाती किन्तु सतत रूप से जोर इसी बात पर दिया जाता है कि अधिकारियों में ऐसें गुणों और विचारों का समावेश हो कि उनके अन्दर जनसाधारण के प्रति सेवा तथा कर्तव्यनिष्ठा की भावना का उदय हो । प्रायः संस्थाओं के प्रधान प्रशिक्षणार्थियों के कार्य तथा आचार पर अपने विचार उनकी गोपनीय रिपोर्टों में देते हैं ।

लघु उद्योग तथा खादी ग्राम उद्योग के लिये बाजार

6456. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों तथा खादी ग्राम उद्योगों के माल को बेचने के लिए निश्चित बाजार ढूंढने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लघु उद्योग क्षेत्र की वस्तुओं पर दी जाने वाली विपणन सहायता पिछड़े क्षेत्रों में निर्मित उत्पादों पर लागू होती है । कुछ महत्वपूर्ण अभ्युपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) केन्द्र व राज्य सरकारों के सामान खरीदने के कार्यक्रमों में लघु उद्योग एककों की भागीदारी;

(2) बड़े उद्योगों तथा लघु उद्योगों के बीच उन निविदाकरण (सब कान्ट्रैक्टिंग) का विकास;

(3) राज्य विकास निगम द्वारा विदेशों में माल बेचने में सहायता; लघु उद्योग क्षेत्र की योजनाओं के लिए राज्य निर्यात निगमों अथवा राज्य लघु उद्योग निगमों के माध्यम से निर्यात सम्बन्धी सहायता;

(4) लघु उद्योग क्षेत्र में बनी किसी विशेष वस्तु के लिये जांच सर्वेक्षण तथा मण्डी अनुसन्धान;

(5) टेकनालाजी में सुधार करके बाजार सम्बन्धी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

खादी और ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के प्रारम्भिक अवस्था में होने के कारण उपलब्धि का विशिष्ट निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

आत्म रक्षा तथा खेल कूद के प्रयोजनों के लिए गोला बारूद

6457. श्री एस० एन० मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आत्मरक्षा तथा खेलकूद प्रयोजनों और उन हथियारों के लिए जिनके लिए आयातित गोलियां उपलब्ध नहीं हैं; गोलियों की व्यवस्था करने हेतु कोई प्रयास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। भारत सरकार असैनिक लाइसेंस धारियों के प्रयोग के लिए अपनी लाइसेंस फैक्टरियों में निम्न प्रकार का गोला बारूद बनाते हैं :—

(i) कारतूस एस ए 12 बोर $2\frac{1}{2}$ इन्च

(ii) कारतूस आर०एफ० 22 इन्च लम्बे बोर के

(iii) कारतूस एस०ए० 8 एम०एम० /-315 इन्च

(iv) 32 इन्च रिवाल्वरों के लिए गोला बारूद

(v) 38 इन्च रिवाल्वरों के लिए गोला बारूद।

अन्य जीवन बोर्ड की सिफारिश के आधार पर इस समय असैनिक लाइसेन्स धारियों के प्रयोग के लिए 12 बोर एलजी/एस० जी० गोला बारूद देना बन्द कर दिया है।

ऐसे हथियार जिनके लिए आयात किए गए कारतूस उपलब्ध न हों कुछ प्रमाणित आयात करने वालों को सीमित मात्रा में ऐसा गोलाबारूद आयात करने का अधिकार दिया गया है।

इसके अतिरिक्त नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इण्डिया टारगेट शूटिंग के लिए कभी-कभी विशेष गोला बारूद आयात करता है और अपने सदस्यों में उस गोला बारूद को वितरित करता है। नेशनल राइफल ऐसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा आयात किया गया गोला बारूद सामान्यत: इस प्रकार है :—

12 बोर शाटगन

.22 पिस्तौल/राइफल

.32 पिस्तौल

.25 पिस्तौल

.38 पिस्तौल

3006 राइफल।

मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारी

6458. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रिमण्डलीय स्तर के मंत्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उप मंत्रियों को दिये गये निजी कर्मचारी वर्ग का ब्यौरा क्या है;

(ख) तीनों श्रेणियों के मन्त्रियों के निजी कर्मचारियों पर प्रति मास कितना खर्च होता है; और

(ग) क्या विभिन्न मंत्रियों के निजी कर्मचारियों पर होने वाले खर्च में कमी करने के बारे में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में ट्रैक्टर वर्कशापों की स्थापना

6459. श्री पी० गंगा देव : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के प्रत्येक खंड क्षेत्र में, विशेषकर उड़ीसा में ट्रैक्टर वर्कशापों की कमी के कारण लोगों को अपने ट्रैक्टरों की मरम्मत के संबंध में बहुत कठिनाइयां होती हैं;

(ख) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार की निगरानी में ट्रैक्टर वर्कशाप स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य को कब आरम्भ किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) 17 राज्यों में कृषि-उद्योग निगम स्थापित किए गये हैं और इन निगमों के मुख्य उद्देश्यों में से सभी खण्डों में, जिनमें पर्याप्त संख्या में ट्रैक्टर तथा अन्य उपकरण है, कृषि

मशीनों के लिए उचित मरम्मत सुविधाएं प्रदान करना भी एक उद्देश्य है। विद्यमान मरम्मत सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं और वास्तविक उपयोक्ताओं और फार्म मशीनरी की आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त स्थानों पर नये सेवा केन्द्र खोलने के उपाय भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार राज्य कृषि-उद्योग निगमों के माध्यम से बिक्री-पश्चात सेवा, मरम्मत की सुविधाएं, फालतू पुर्जों की बिक्री और कृषकों के कृषि कार्यों में प्रयोग के लिए किराये पर कृषि मशीनें देने के लिए केन्द्र स्थापित कर रही है। विभिन्न राज्यों के कृषि-उद्योग निगमों ने मशीनें किराये पर देने के कई केन्द्र पहले से ही स्थापित कर दिए हैं।

जहां तक उड़ीसा राज्य का सम्बन्ध है, इस राज्य के राज्य कृषि-उद्योग निगम ने 9 सेवा केन्द्र पहले ही स्थापित कर दिए हैं।

इंजीनियरिंग उद्योग को कच्चे माल की सप्लाई

6460. श्री राजदेव सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात उत्पादन के लिए इंजीनियरिंग उद्योग के कच्चे माल की आवश्यकताओं को देश के अन्तरिम साधनों अथवा आयात के द्वारा पूरा करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उद्योग का क्या दृष्टिकोण है; और

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ता वस्तु वाले उद्योगों के सम्बन्ध में ऐसा ही निर्णय किया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जहाँ तक इंजीनियरी उद्योगों का प्रश्न है सरकार ने हाल ही में एक योजना को स्वीकृति दी है जिसके अनुसार स्वीकृत निर्यात ठेकों के लिये आयातित इस्पात की कुल आवश्यकता सामान तैयार करने वाले इन्जीनियरी उद्योग के निर्यात के लिये माल तैयार करने के लिये उनकी इस्पात की कुल आवश्यकता का अनुमान करने के बाद दिया जायेगा। योजना के अनुसार मे० हिन्दुस्तान स्टील लि० देश में अनुपलब्ध मात्रा के इस्पात का आयात करेगा तथा उसे निर्यातक इंजीनियरी उद्योगों को देगा। उपभोक्ता उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल का जहां तक प्रश्न है 1972-73 की आयात नीति में इसके लिये नीति निर्धारित की गई है। उद्योगों की किस्म के आधार पर कि वे 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में आते हैं या नहीं आयात सुविधायें या तो पुनः संपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है अथवा वास्तविक उपभोक्ता की हकदारी के आधार पर दी जाती है। प्राथमिकताहीन उद्योगों की श्रेणी में आने वाले औद्योगिक एककों को जो अपने उत्पादन के 10 प्र०श० से अधिक का निर्यात करते हैं, कच्चे माल के आयात के सम्बन्ध में भी प्राथमिकता दी जाती है।

तस्करी और जासूसी गतिविधियों में लगे पंजाब सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यक्ति

6461. श्री राजदेव सिंह :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में लाई गई है कि पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यक्ति जासूसी और तस्करी की गतिविधियों में लगे हुए हैं;

(ख) क्या अधिक वित्तीय संसाधन होने के कारण वे बिना सजा पाये इस धंधे में गत वर्षों से लगे हुए हैं और उन्हें प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता प्राप्त है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस विषय पर सरकार का ध्यान समाचार पत्रों की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया था।

(ख) प्रशिक्षित पाकिस्तानी जासूसों और प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच कोई सम्बन्ध सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीतामढ़ी टेलीफोन केन्द्र, बिहार

6462. श्री हरिकिशोर सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी टेलीफोन केन्द्र, बिहार को अभी तक स्वचालित केन्द्र के रूप में नहीं बदला गया है,

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस केन्द्र को स्वचालित केन्द्र बनाने में कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हाँ।

(ख) आमतौर पर किसी मैनुअल एक्सचेंज को आटोमेमिक एक्सचेंज तभी बनाया जाता है जब वहाँ टेलीफोन कनेक्शनों की मांग 1000 से अधिक हो जाती है ताकि यह योजना आर्थिक दृष्टि से घाटे की न हो। इस समय सीतामढ़ी एक्सचेंज से टेलीफोन कनेक्शनों की माँग 300 से भी कम है।

(ग) उक्त एक्सचेंज को आटोमेटिक बनाना टेलीफोनों के बढ़ने और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध साधनों पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड के महा प्रबन्धक के विरुद्ध ज्ञापन

6463 श्री भूषण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड के अधिकांश डैलीगेटों द्वारा समिति के महा-प्रबंधक के विरुद्ध उन्हें एक ज्ञापन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : जी हां श्रीमन्। यह शिकायत की गई है कि समिति के महा-प्रबन्धक ने कुछ अनिय-

मितताएं की हैं, जैसे कि समिति के एक अधिकारी को अनुचित संरक्षण देना। जब्त माल को असल लागत पर खरीदना, समिति के एक निर्वाचित डायरेक्टर को टी० ए० की अधिक अदायगी, प्रतिनियुक्ति भत्ते को अनियमित रूप से लेना आदि।

(ग) समिति के प्रशासन मंडल को, जो समिति के दिन प्रति दिन के कार्य संचालन के लिए जिम्मेदार है, कहा गया है कि वह इन आरोपों की जांच करे और अपने विचार सरकार को भेजे ताकि इस मामले में निर्णय लिया जा सके।

Supply of Tractors at Low prices

6464. Shrj Jagannath Rao Joshi : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to State :

(a) the prices of the tractors during the last three years

(b) whether any scheme for supplying tractors at low prices is under consideration; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) A statement showing the selling price of indigenous agricultural tractors during the last three years is attached. (Placed in Library See No. L. T. 2054/72)

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

भूगत जल खोज कार्य

6465. श्री भानसिंह भौरा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक समिति भूगत जल खोज का कार्य भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के नियंत्रण से हटाकर केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड को हस्तान्तरित करने को सहमत हो गई है;

(ख) क्या इस बारे में विचारों में कोई मतभेद हैं; और

(ग) यदि हां, तो मतभेद किन-किन बातों पर है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) जी हां। समिति का यह सर्वसम्मत विचार था जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्रियों के स्थायी दल द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में मकान किराये भत्ते की दर

6466. श्री भानसिंह भौरा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रींय औद्योगिक विकास विभाग लिमिटेड, नई दिल्ली के कर्मचारियों को किस दर से मकान किराया भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या मकान किराया भत्ता दिया जाने की कोई अधिकतम सीमा है, और यदि नहीं. तो इसके क्या कारण है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के जिन अन्य निगमों के कार्यालय दिल्ली में हैं उनमें दिये जाने वाले मकान किराया भत्ते की तुलना में ये दर कितनी न्यूनाधिक हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मकान किराया भत्ता मूल वेतन का 25 प्रतिशत दिया जाता है ।

(ख) जी, नहीं । सरकारी उद्यमों को जारी किये गये मार्ग दर्शी सिद्धान्तों में इस प्रकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं है ?

(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम सितम्बर, 1968 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार मकान किराया भत्ता देता है । फिर भी यह हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० और इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा दिये गये भत्ते से कम है ।

Film Institute, Poona, Trained persons working in T. V. sent abroad.

6467. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to State the number of persons who got training at the Film Institute, poona and are at present working in the Television Studio, Delhi, sent abroad for higher training during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Information & Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : 18 persons trained in the Film & T. V. Institute, Poona are at present working In the Television Centre, Delhi. None of them has yet been sent abroad for higher training. As and when facilities for such training are available, however, the persons trained at the Film & T. V. Institute will be considered for deputation along with others working in the T. V. Centres.

Foreign Scholarships For Training in TV

6468. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Information & Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether several countries have awarded a number of scholarships for imparting training in Television but these scholarships are not being utilised; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Information & Broadcasting (Smt. Nandini Satpathy) : (a)&(b). Offers of scholarships for training of TV personnel received from institutions or broadcasting organisations in other countries are carefully considered and are availed of provided they fulfil the training needs of our television personnel and are not objectionable from considerations of national policy.

Residential Accomodation for Bombay T.V. Centre Employees

6469. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Information & Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are making any arrangements in Bombay for provinding residential accommodation to those employees of Delhi Televison Centre who will be transferred there when Television Centre starts functioning at Bombay; and

(b) whether the employees of Delhi Television Centre to be transferred to Bombay will be given the same pay as they are drawing Delhi or they will be given any additional allowance etc ?

The Minister of State in the Ministry of Information & Broadcasting (Smt. Nandini Satpathy):

(a) The TV staff at Bombay will be entitled to allotment of residential accommodation from the general pool as is admissible to other Central Government employees in Bombay.

(b) The staff for the TV Centre at Bombay will be entitled to pay on the same pay scales as in Delhi together with such allowances as may be admissible to Central Government servants posted there.

Pay Scales of Cameramen in Films Division and T.V. Centre

6470. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Information & Broadcasting** be pleased to state the reasons for so much of difference in the pay scales of Cameramen working in the Films Division and Television Centre under the same Ministry ?

Tke Minister of State in the Ministry of Information & Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy): The pay scales of Cameramen in the Films Division and the Delhi T.V. Centre are not comparable as the posts in these two organisations involve different duties and responsibilities.

विदेशों में भारतीय राष्ट्रिकों को भारत में उद्योगों की स्थापना करने के लिए विशेष सुविधायें देना

6471. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन भारतीय राष्ट्रकों को विशेष सुविधायें देने का निर्णय किया है जो विदेशों में अपने लम्बे प्रवास के उपरान्त भारत में बस कर यहां उद्योगों को आरम्भ करना चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो दी जाने वाली प्रस्तावित सुविधाए क्या हैं; और

(ग) किस तिथि से ऐसा किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) आयात व्यापार नियंत्रण नीति, भाग 1, 1972-73 (पैरा 122) में वे सुविधायें लिखी हैं जो विदेश में रहकर लौटने वाले भारतीयों पर लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तथा मशीनरी का आयात करने पर लागू होती है । प्रकाशन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है ।

प्रादेशिक विषमता और आर्थिक असंतुलन को दूर करना

6472. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **योजना** मंत्री पंजाब में प्रति व्यक्ति आय के बारे में 22 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1002 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रादेशिक विषमता और आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : देश में प्रादेशिक विषमताए तथा आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार ने जो विभिन्न उपचारात्मक उपाय अपनाए हैं उन्हें दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

क्षेत्रीय असमानताओं और असंतुलनों को दूर करने के लिए किए गये विभिन्न उपचारात्मक उपाय नीचे दिये गये हैं :—

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन करते समय विशेष समस्याओं वाले राज्य, असम, नागालैंड और जम्मू व काश्मीर की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करने के बाद केन्द्रीय सहायता के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध राशि का 10 प्रतिशत बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश इन छह राज्यों में, जिनकी प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम थी, वितरित किया गया है;

(2) नौ राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल) के संसाधनों के गैर योजना अन्तराल की अनुमानित राशि 795 23 करोड़ रुपये थी, इसकी पूर्ति केन्द्र द्वारा की जा रही है जिससे ये राज्य चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपने द्वारा जुटाए गये सभी अतिरिक्त संसाधनों को अपने विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करने में प्रयुक्त कर सकें;

(3) पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की एक उदार नीति विकसित की गई है। सबंधित प्रत्येक राज्य के विकास कार्यक्रम पर किया जाने वाला पूरा व्यय भारत सरकार द्वारा उठाया जा रहा है, पर यह व्यय उस राज्य के लिए निर्धारित कुल केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत होना चाहिए। मेघालय, असम, नागालैंड, जम्मू और काश्मीर (लद्दाख) तथा हिमाचल प्रदेश (लाहौल, स्पिती और किन्नौर जिलों में) इस मद पर किये गये व्यय का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है और 10 प्रतिशत को ऋण माना जाता है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी और सीमावर्ती जिलों, दार्जीलिंग (पश्चिम बंगाल) और नीलगिरी (तमिलनाडु) में केंद्रीय सहायता का स्वरूप 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण है।

(4) सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने के कारण नेफा सहित सभी केन्द्र शासित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के लिए धन की पूरी व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाती है। उनके गैर योजना व्यय में आई हुई कमी की पूर्ति भी केन्द्र द्वारा की जाती है;

(5) आन्ध्र प्रदेश सरकार को 45 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी जा रही है जिससे 31-3-1974 को समाप्त होने वाली अवधि में वह यह राशि तेलंगाना क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पर खर्च कर सके, यह राशि उस क्षेत्र के लिए किये गये योजना परिव्यय के अतिरिक्त होगी;

(6) पुनर्वास विभाग के तत्वावधान में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 50 करोड़ रुपये की लागत का एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है;

(7) असमानताओं को दूर करने के लिए प्रमुख पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति तेज कर रहे हैं। जिन जिलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उन्हें तथा वांचू समिति की रिपोर्ट के द्वारा निर्धारित किये गये मापदंडों के आधार पर राज्य सरकारों की सहायता से निर्धारित तथा घोषित कर दिया गया है। ऐसे क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र में लगाए जा रहे बड़े पैमाने पर उद्योग परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता दी जा रही है बशर्ते तकनीकी-आर्थिक आधार पर इनके

लगाए जाने की सम्भावना पाई जाये। लाइसेंस देने वाली समिति भी पिछड़े क्षेत्रों के आवेदनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है;

(8) चौथी योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 489 आदिम जाति विकास खण्डों के लिए 32.50 करोड़ रुपये नियत कर दिये गये हैं।

(9) असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, नागालैंड, मनीपुर, त्रिपुरा तथा नेफा के राज्यों के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया जा चुका है। उड़ीसा के पिछड़े जिले अर्थात् काला हांडी, बोलन्दगिरी एवं फूलबानी, पंजाब के पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्र, मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की प्रागैतिहासिक आदिम जातियों का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। एक अध्ययन टोली ने आदिम जाति क्षेत्र के विकास कार्यक्रम का सर्वेक्षण किया है। एक केन्द्रीय टोली ने आन्ध्र प्रदेश में आदिम जाति के लोगों का भी अध्ययन किया है।

(10) कुछ राज्यों में जिला योजनाएं तैयार की जा रही हैं जिनके फलस्वरूप पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का पता चल जायेगा तथा उन समस्याओं को हल करने के लिए उपाय निकालने में सहायता मिलेगी।

(11) उत्तर प्रदेश में एक पर्वतीय विकास बोर्ड का गठन किया जा चुका है पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों तथा बुन्देलखंड के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना कर दी गई है।

(12) तेलंगाना में विकास के कार्यक्रमों को तेज करने के लिए एक तेलंगाना विकास समिति तथा योजना क्रियान्विति समिति का गठन किया जा चुका है।

(13) वित्तीय तथा ऋण संस्थान से नए उद्योगों के लिए रियायती वित्त के लिए सारे देश में 225 औद्योगिक पिछड़े हुए जिले चुन लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों में पिछड़े हुए 9 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में से प्रत्येक राज्य में दो चुने हुए जिलों तथा शेष राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक चुने हुए जिले में केन्द्रीय सरकार एकदम सीधा अनुदान अथवा आर्थिक सहायता दे रही है जो कि उन नये एककों की स्थिर पूंजी के 1/10 के बराबर है जिसके प्रत्येक के कुल स्थिर पूंजी निवेश 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

(14) सीमा क्षेत्रों में, सीमा मार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत काफी पूंजी लगाई जा रही है।

(15) ग्रामीण जनसंख्या के आर्थिक रूप से गिरे हुए लोगों के लाभ के लिए तथा सूखे और बंजर क्षेत्रों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर विशेष कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं इन विशेष कार्यक्रमों का अनुमोदन तथा क्रियान्विति एक केन्द्रीय समन्वय समिति के निर्देशन में की जा रही है जिसके अध्यक्ष योजना आयोग के एक सदस्य हैं। अपर सचिव के स्तर के एक अधिकारी इस समिति के सदस्य-सचिव हैं। 46 लघु कृषक विकास अभिकर्त्ता परियोजनाएं, उपसीमांतक, कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के लिए 41 परियोजनाएं सूखा क्षेत्र में कृषकों के लिए 24 परियोजनाएं स्वीकार की जा चुकी हैं। 54 निरन्तर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण कार्यों के एकीकृत कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि

की व्यवस्था की गयी है ।

(16) 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की व्यवस्था के साथ ग्रामीण बेरोजगरी के लिए एक तूफानी योजना (क्रैश स्कीम) आरम्भ की गई है ।

(17) अभी हाल ही में एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गयी है जो कि पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता दे रहा है ।

(18) पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास को बनाये रखने तथा उसे गति प्रदान करने के लिए एक 16 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक स्कीम स्थानीय कच्चेमाल और कुशलता के आधार पर तथा स्थानीय युवा वर्ग को रोजगार देने में सक्षम, क्षेत्र के अनुकूल उद्योगों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले का त्वरित सर्वेक्षण करने से संबधित है । इस कार्यक्रम से विभिन्न राज्यों के मध्य व्याप्त विकास के स्तरों की असमानताएं घट सकती है ।

टेलीफंकेन इण्डिया लिमिटेड द्वारा रेडियो रिसीवरों और रिकार्ड प्लेयरों का निर्माण

6475. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफंकेन इण्डिया लिमिटेड को रेडियो रिसीवरों और रिकार्ड प्लेयरों के निर्माण के लिए विस्तार लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) क्या उनके द्वारा टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) क्या किसी अन्य फर्म ने रेडियो और रिकार्ड प्लेयरों के निर्माण के लिए विस्तार लाइसेंस देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) मैसर्स टेलिफंकेन इंडिया लिमिटेड को अप्रैल 1971 में रेडियो रिसीवरों की निर्माण क्षमता को 1.5 लाख से 3 लाख प्रतिवर्ष बढ़ाने का औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था । सितम्बर 1971 में उनको 40,000 नग रिकार्ड प्लेयर निर्माण हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस भी दिया गया था । सरकार के पास इस फर्म का रिकार्ड प्लेयरों की क्षमता को बढ़ाने हेतु कोई आवेदन पत्र रुका नहीं पड़ा है ।

(ख) फर्म का, टी०वी० सैटों के निर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंस जारी किये जाने का आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया है क्यों कि विदेशी इक्वीटी प्राप्त फर्मों द्वारा टी०वी० सैटों का निर्माण, हमारा उद्देश्य नहीं था ।

(ग) तथा (घ). रेडियो रिसीवरों तथा रिकार्ड प्लेयरों के निर्माण हेतु सरकार के पास संगठित क्षेत्र की किसी भी अन्य भारतीय फर्म का आवेदन पत्र रुका नहीं पड़ा है ।

Reorganisation of External Services Division of A. I. R.

6474. Dr. Laxmi Narain Pandey : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Chanda Committee in its report has recommended reorganisation of External Services of the All India Radio and the constitution of an Advisory Committee for considering the matter; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathi) : (a) Yes, Sir.

(b) Many of the recommendations made by the Chanda Committee in this regard have been accepted and implemented, while a few have not. Those implemented include provision of high-power transmitters, strengthening the staff, constitution of Advisory Committees, increasing area of specialisation and starting new services.

A. I. R. Educational Broadcasts

6475. Dr. Laxmi Narain Pandey: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to make broadcast of educational programme interesting and effective; and

(b) the names of the All India Radio Stations from where the said programmes are broadcast at present ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) In order to make educational programmes interesting and effective, they are presented in the form of features, illustrated talks, plays, interviews, spot-recordings, music and stories, backed, to a large extent, by student participation.

(b)
1. Ahmedabad
2. Allahabad
3. Bangalore
4. Bombay
5. Bhuj
6. Bhopal
7. Baroda
8. Calcutta
9. Cuttack
10. Calicut
11. Delhi
12. Dharwar
13. Hyderabad
14. Indore
15. Jaipur
16. Jullundur
17. Lucknow
18. Madras
19. Nagpur
20. Patna
21. Poona
22. Rajkot
23. Ranchi
24. Srinagar
25. Simla
26. Trivandrum
27. Tiruchi
28. Vijayawada

Foreign Missionaries in India

6476. Dr. Laxmi Narain Pandey : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of British, Canadian, Irish and Australian missionaries functioning in India; and

(b) the names of the States where they are active ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The number of British, Canadian, Irish and Australian missionaries in India as on 1st January, 1971 was as follows :—

British	—	—	1096
Canadian	—	—	356
Irish	—	—	367
Australian	—	—	218

(b) They are working in almost all the States and Union Territories except Nagaland, Andaman & Nicobar, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Laccadive, Minicoy and Amindivi and Manipur.

Inclusion of Industries in Priority List

6477. Dr. Laxmi Narain Pandey :
Shri M. S. Sivasamy :

Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the question of inclusion of some more industries in the priority list; and

(b) if so, the names thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad): (a) & (b). As at present, no proposals are under consideration of the Government to include any more industries in the list of priority industries either for the purpose of allotment of raw material and components or for the allocation of foreign exchange for capital goods imports.

Pak Razakars' Activities in Madhya Pradesh

6478. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) wheter the activities of some Pakistani Razakars have come to light in Madhya Pradesh recently; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard and the steps proposed to be taken in future from the point of view of security ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) & (b). Facts are being ascertained from the State Government.

Commemorative Stamp in Respect of Devi Ahillyabai Holkar

6479. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to issue commemorative stamps in the memory of reveren Devi Ahillyabai Holkar,

(b) whether some social organisations have also made a demand therefor;

(c) if so, the names of those organisation; and

(d) the time by which Government propose to issue the said stamps ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) The proposal was consi-

dered by the Selection Sub-Committee of the Philatelic Advisory Committee but the Committee did not recommend the proposal.

(b) Yes, Sir.

(c) The names of the organisations are given in the attached list.

(d) Does not arise at present.

Statement

1. Shri Kshatriya Dhangar Sewasangh, Indore,
2. Khasgi (Devi Ahilyabai Holkar Charities) Trust Allahabad (U.P.)
3. Khasgi (Devi Ahilyabai Holkar Charities) Trust, Rangmahal Chandwad (Nasik).
4. Ahilya Utsav Samiti, Sansthan Chhatri, Alampur.
5. Khasgi (Devi Ahilyabai Holkar Charities) Trust, Sansthan, Pushkar, District Ajmer, Rajasthan.
6. Devi Ahilyabai Utsav Samiti, Dasawamedh, Varanasi.
7. Ahilusutsav Samiti, Omkareshwar.
8. Punyashlok Shri Ahilyadevi Seva Mandal, Jaipuri, Distriet Poona.
9. Shri Devi Ahilyautsav, 176, Shri Kshetra, Rameshwaram, Tamil Nadu,

मई, 1971 से फरवरी, 1972 तक देश में हुए साम्प्रदायिक दंगे

6480. **श्री पप्पन गौडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1971 से फरवरी, 1972 तक की अवधि के दौरान देश में हुए साम्प्रदायिक दंगों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कारण प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक मामले में कितने व्यक्ति हताहत हुए; और

(ग) इस बारे में, अगर कोई जांच की गई, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त सूचना पर आधारित एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2055/72]

हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्श लि० द्वारा टेलीप्रिंटर मशीन का निर्यात

6481. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि० को टेलीप्रिंटर मशीनें सप्लाई करने के लिए विदेश से क्रयादेश प्राप्त हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त देशों के नाम क्या हैं और प्रत्येक देश ने कितनी-कितनी मशीनों के क्रयादेश दिये हैं ?

संचार मंत्री (हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2056/72]

बिहार में लघु उद्योगों के लिए धनराशि का उपयोग

6482. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में चौथी पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए आवंटित राशि के अधिकांश भाग का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जी, नहीं। 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के वर्षों की अवधि में 224.22 लाख रुपयों की कुल आवंटित राशि में से राज्य सरकार ने 219.72 लाख रुपयों का प्रयोग किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डाल्टनगंज और गढ़वा (बिहार) में बुक की गई टेलीफोन कालें

6483. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान डाल्टनगंज और गढ़वा (बिहार) से देश के विभिन्न भागों को कितनी टेलीफोन कालें बुक की गईं और प्रत्येक काल कितने दिन में मिल सकी; और

(ख) अगर कालों के मिलने में विलम्ब हुआ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) 1970-72 में डाल्टनगंज से 38,560 कालें बुक की गई जिनमें से 25,932 कालें लग गई। इसी दौरान गढ़वा से 6,379 कालें बुक की गईं जिनमें से 6,327 कालें लग गई।

(ख) तांबे के तारों की चोरी के कारण खुले तारों की लाइनों में गड़बड़ी होती है। इस से कालें मिलाने में विलम्ब होता है। अब तांबे के तारों को बदल कर ए० सी० एस० आर० तार लगाये जा रहे हैं। आशा है कि यह काम जून 1972 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

चौथी योजना में लघु उद्योगों के लिए बिहार को आवंटित राशि

6484. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने चौथी योजना में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए बिहार के लिए कितनी राशि आवंटित की है; और

(ख) अब तक कितनी राशि का उपयोग किया जा चुका है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्र सरकार ने बिहार राज्य को लघु उद्योगों की स्थापना के लिए, जिसमें

औद्योगिक बस्तियों की व्यवस्था भी शामिल है, 481.00 लाख रुपयों की राशि आवंटित की है।

(ख) मार्च, 1972 के अन्त तक 219.76 लाख रुपये खर्च किए जा चुके थे।

देश में अयस्कों की खोज करने और उनका विकास करने के लिए समेकित कार्यक्रम

6486. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अयस्कों की खोज करने और उनका विकास करने के लिए समेकित और समय-बद्ध कार्यक्रम प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना के आधार पर खनिज की खोज तथा विकास का वर्तमान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देश के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, वन, जल, व समुद्रीय संसाधनों के बारे में हमारी जो जानकारी है उसकी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और भावी खोज के लिए योजना बनाने के लिए योजना आयोग ने हाल में ही एक संचालन दल का गठन किया है। इन अध्ययनों के आधार पर, पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने में खोज और विकास के कार्यक्रमों को तीव्र और विस्तृत करने की मंशा है।

सेंसर बोर्ड का नया ढांचा

6487. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेन्सर बोर्ड के नये ढांचे के बारे में निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसे शीघ्र चालू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). फिल्म सेन्सर सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों में एक सिफारिश पूर्णकालिक सवेतन सदस्यों सहित एक स्वतन्त्र स्वावलम्बी केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड स्थापित करने की है। उम्मीद है समिति की सिफारिश पर निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

Hindi Daily 'Avantika

6488. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1428 on 29th March, 1972 regarding alleged sale of newsprint in blackmarket by Avantika' and state ;

(a) the reasons for which no legal action has been taken against the Hindi daily 'Avantika' published from Ujjain in regard bungling of Government paper duri. g 1969-70 and 1970-71 ;

(b) whether the issue raised in the letter as per the last line of part (b) of the above question have since been examined ;

(c) if not the reasons for not completing the inquiry even after lapse of such a long period ; and

(d) the issues raised in the letter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha (a), to (d) The allegations received against this daily concerning misuse of newsprint have been referred to the appropriate authorities for necessary action.

Vacancies in Centeral Buraeu of Translation

Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the category-wise number of officers and employees working in the Central Bureua of Translation at present ;

(b) the number of posts lying vacant in each category at present and, the time by which the vacant posts are likely to be filled up ; and

(c) whether applications were invited long ago for appointment against some technical posts lying vacant there and if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Departmenr of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) & (b). A statement giving the required informaiion is enclosed *[Placed in Library See. No. L.T. 2057/72]*

(c) Some of the technical posts for which applications were invited against direct recruitment quota have been filled on *ad-hoc* basis. The Recruitment Rules for the various posts have been finalised only recently and sent for publication. Action to fill these and other vacant posts on regular basis will be taken after the Recruitment Rules have been published.

10 प्रतिशत पूंजीगत राजसहायता के लिए राज्यों से आवेदनपत्र

6490. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री बेकारिया :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले वर्ष घोषित 10 प्रतिशत पूंजिगत लागत राजसहायता के अनुदान के लिए अधिसूचित पिछड़े वर्गों से, राज्यवार, कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं, और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ।

(ख) क्या उनके मंत्रालय में उक्त वित्तीय और अन्य सहायता के अनुदान के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का त्वरित निपटान करने हेतु कोई विशेष 'सैल' है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों के अन्य क्षेत्रों को राजसहायता मंजूर करने संबंधी योजना का विस्तार करने का है हालांकि पहले से ही अधिसूचित क्षेत्रों ने इसके लिए अधिक उत्साह प्रकट नहीं किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). 10 प्रतिशत केन्द्रीय एकमुश्त अनुदान अथवा आर्थिक सहायता योजना 1971 के अनुसार भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 26अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना में बताये गये ढंग से आर्थिक सहायता की स्वीकृति और बांटने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन करने हेतु राज्य स्तर पर एक समिति का

गठन किया जाना है। कई राज्यों ने बताया है कि आवेदन पत्र प्राप्त हो गये हैं और उनपर राज्य स्तर समितियों द्वारा विचार किया जा रहा है। राज्य वार विभिन्न सरकारों में पंजीकृत आवेदन पत्रों की संख्या संलग्न अनुबंध में दी गई है। औद्योगिक विकास मंत्रालय में कोई विशेष प्रकोष्ठ (सैल) नहीं है परन्तु पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों संबंधी मामलों पर तत्परता से कार्य करने के लिए हर कदम उठाये जा रहे हैं। 10 प्रतिशत केन्द्रीय आर्थिक सहायता में पात्र ज़िलों / क्षेत्रों की संख्या की वृद्धि के प्रश्न पर इस समय योजना आयोग में विचार किया जा रहा है।

विवरण

10 प्रतिशत केन्द्रीय एकमुश्त अनुदान अथवा आर्थिक सहायता योजना 1971 मार्च/अप्रैल, 1972 तक राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत आवेदन पत्रों का ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/केन्द्रीय शासित प्रदेश	पंजीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या
1.	मैसूर	27
2.	तमिलनाडु	23
3.	पांडिचेरी	37
4.	बिहार	106
5.	आन्ध्र प्रदेश	122
6.	गोआ, दमन और ड्यू	46
7।	मध्य प्रदेश	. 33
8.	गुजरात	30
9.	केरल	39
10.	प० बंगाल	5
11.	राजस्थान	—
12.	हिमाचल प्रदेश	—
13.	नागालैंड	—
14.	मीजोराम	—
15.	दादरा तथा नागर हवेली	—
16.	त्रिपुरा	—
17.	महाराष्ट्र	—
18.	उड़ीसा	—
19.	पंजाब	—
20.	लाकाद्वीप, मिनिकाय तथा अमीन द्वीप	—
21.	जम्मू तथा काश्मीर	—

22.	उत्तर प्रदेश	—
23.	आसाम	—
24.	अण्डमान तथा निकोबार	—
25.	हरियाणा	—
26.	अरुणाचल प्रदेश	—
27.	मणिपुर	—
28.	मेघालय	—
		468

चित्तूर-विजयवाड़ा और चित्तूर-विशाखापत्तनम ट्रंक टेलीफोन लाइनें

6491. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तूर और विजयवाड़ा एवं चित्तूर और विशाखापत्तनम के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइनें 1 अप्रैल, 1972 से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि ट्रंक लाइनों के इस प्रकार ठप्प हो जाने की घटनायें बहुत साधारण है; और

(ग) लाइनों के इस प्रकार के ठप्प हो जाने को रोकने और लाइनों में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) (क) और (ख) चित्तूर और विजयवाड़ा सर्किट में तांबे के तार की अक्सर चोरियां हो जाने के कारण यह सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहा है। चित्तूर और विशाखापनत्तनम के बीच कोई सर्किट नहीं है।

(ग) तांबे के कुछ तार को तांबा मढ़े तार से बदल दिया गया है ताकि तांबे के तार की चोरी की वारदातें कम हों। दूसरे इलाकों में, जहां चोरियां हुई हैं, मरम्मत का काम किया जा रहा है जो जून के शुरू में पूरा हो जाएगा। इसके बाद, उम्मीद है इन लाइनों के काम में सुधार होगा।

नौसेना, औद्योगिक और बड़े पैमाने पर मिट्टी हटाने के कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास

6492. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नौसेना, औद्योगिक और बड़े पैमाने पर मिट्टी हटाने के कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के कार्यक्रम के बारे में विचार किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा आयोग शान्तिमय उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग के सभी पहलुओं का विकास करने में लगा हुआ है। इस क्षेत्र के चालू कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप का विवरण परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन में विस्तारपूर्वक दिया गया है, जिसकी प्रतियां सदस्यों को प्रसारित की जा चुकी है तथा संसद के पुस्तकालय में भी उपलब्ध है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Declaration of Dr. Ambedkar. Birthday As Public Holiday

6493. Shri Ramavatar Shastri : Will the Ptime Minister be pleased to state:

(a) Whether followers of Valmiki (Scheduled Caste people) living in Delhi went to the residence of the Prime Minister on 14th April last and made a demand to declare the birthday of Dr. Ambedkar as public holiday, and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in The Minintry of Home Affair and in Department of Personnel : (Shri Ram Niwas Mirdha: (a) Some members of the Bhartiya Harijan Sangh. Delhi State, came to the residence of the Prime Minister on 14th April, 1972 and submitted a Memorandum demanding *inter alia* that the birthday of Dr. Ambedkar be declared a public holiday.

(b) The period of our struggle for national revival and freedom produced men and women of eminence in diverse fields of politics, art, literature, religion. etc. Dr. B. R. Ambedkar was one of them. Government feel that a more creative and constructive way of honouring the memory of these great men and women should be found rather than declaring public holidays. In our country the number of such holidays, is already large, even though, in pursuance of the recommendations of the Second Pay Commission, the number of public holidays was reduced from 23 to 16 in 1960. Government also feel that when our country ought to make every offort to develop and to face the present difficulties, increasing public holidays would not be the best way of honouring the great men of the past or of promoting national interests.

परियोजना सर्किल के महाप्रबन्धक का कलकत्ता स्थित मुख्यालय

6494. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना सर्किल के महाप्रबन्धक का मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया है और उसके अधीन बिहार, उड़ीसा, आसाम और पश्चिम बंगाल की परियोजनायें क्रियान्वित होनी हैं,

(ख) क्या कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय संचार निदेशक का कार्यालय भी परियोजना सर्किल के प्रशासनिक नियन्त्रण में है और परियोजना सर्किल एवं क्षेत्रीय संचार निदेशक के अधीन कर्मचारियों को भुगतान कलकत्ता कार्यालय से किया जाता है, और

(ग) क्या मितव्ययता के कारण परियोजना सर्किल के मुख्यालय को बिहार राज्य के किसी स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सकता ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : (क) जी हां।

(ख) क्षेत्रीय निदेशक, दूरसंचार, कलकत्ता प्रोजेक्ट सर्किल के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है। कर्मचारियों को उनकी यूनिटों के अध्यक्ष भुगतान करते हैं।

(ग) जी नहीं। पूर्वी क्षेत्र के प्रोजेक्ट सर्किल के मुख्यालय के लिए कलकत्ता अधिक उपयुक्त स्थान है।

अपने मकानों वाले अधिकारियों का डाक-तार विभाग के क्वाटरों के हकदार होना

6495. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग के नियमों के अनुसार ऐसे अधिकारी/कर्मचारी भी डाक-तार विभाग के सरकारी क्वार्टरों के हकदार हैं; जिन कर्मचारियों के अपने मुख्यालय वाले शहर में अपने नाम पर या परिवार के सदस्यों और/अथवा माता-पिता के नाम पर मकान हों;

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेशों का आधार क्या है; और

(ग) बिहार सर्किल में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनके अपने नाम, माता-पिता के नाम अथवा परिवार के सदस्यों के नाम पर उनके कार्य के शहर में मकान हों और उसके पास सरकारी क्वार्टर भी हों ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) भूतपूर्व निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय का तारीख 17 मई, 1966 का पत्र संख्या 3—28/1/65—ए०सी०सी० जो डाक-तार महानिदेशक के तारीख 1 जुलाई, 1966 के पत्र संख्या 2-72/63—एन० बी० के साथ भेजा गया था।

(ग) 30.

Illegal Bomb Explosions in the Country

6496. Shri Ishwar Chaudhri : Will the Minister of Home Affiars to pleased to state :

(a) the number of illegal bomb explosions in the country during 1970-71 and 1971-72 so far;

(b) the number of persons killed and the number of those injured as a result thereof; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the action taken by Government to check their recurrence ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) to (c): A statement containing the information received from the Governments of Haryana and the Union Territories of A. & N. Islands, Dadra & Nagar Haveli. L.M. & A Islands and Chandi garh Administration is attached. (Placed in Library *See* No. L.T.—2058/72)

Information in respect of the other State Governments and Union Territories, will be laid on the Table of the House on receipt.

Instructions have been issued to the State Governments to exercise strict control and vigilance on the sale, use and movement of potassium chlorate, which is the main ingredient of countrymade bombs. Besides, the State Police authorities are exercising vigilance to prevent such incidents.

Police Excesses Main Cause for Becoming Dacoits

6497. **Shri Ishwar Chaudhary :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether most of the surrendering dacoits in Madhya Pradesh have stated that Police excesses are the main reason for their becoming dacoits; and

(b) if so, whether Government have formulated any such scheme to ensure that Police do not indulge in acts compelling people to become dacoits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H, Mohsin) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

ट्रांजिस्टर द्वारा टेलीविजन सैटों का उत्पादन

6498. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रांजिस्टर युक्त टेलीविजन सैटों का उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) इन्डियन स्पेस रिसर्च आरगेनाइजेशन को एक यूनिट इलैक्ट्रानिक्स सिस्टम डिविजन ने ट्रांजिस्टर युक्त दृढ़ टी० वी० सैटों का विकास किया है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत, सरकारी क्षेत्र व्यवसाय को इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया ने भी ट्रांजिस्टर युक्त सैटों का विकास किया है और अपने प्रथम मुख्य उत्पादन के कुल टी० वी० सैटों का परीक्षण किया है। सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स इन्जीनियरिंग रिसर्च इस्टोट्यूट, (सोरो) पिलानी तथा टी० वी० सैटों के कुछ निर्माता ट्रांजिस्टर युक्त टी० वी० सैटों तथा कुछ मामलों में इन्टीग्रेटेड सर्किट्स के विकास में लगे हैं। यह आशा की जाती है कि देश में पूर्णरूप से विकसित ट्रांजिस्टर युक्त टी० वी० सैट उपभोक्ताओं को इस वर्ष के अन्त तक उपलब्ध हो जायेंगे।

वर्ष 1972 और 1973 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों और टेलीफोन केन्द्रों की संख्या

6499 **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 और 1973 के दौरान देश में खोले जाने वाले डाकघरों और टेलीफोन केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है।

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : जैसा कि अनुबन्ध में दिया गया है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2059-72)

औद्योगिक नीति का पुनरावलोकन

6500. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में औद्योगिक विकास की धीमी गति को देखते हुए औद्योगिक नीति सुनिश्चित करने में राज्यों के योगदान की वर्तमान नीति को सुचारू बनाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो नीति को सुचारू ब ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) वर्तमान प्रणाली में राज्य सरकारों से परामर्श की पर्याप्त व्यवस्था है। राज्यों के उद्देश्य निदेशक और केन्द्रीय अधिकारी पूर्ण लाइसेंसिंग समिति की सांवधिक बैठकों में मिलते हैं तथा उसमें औद्योगिक लाइसेंसिंग, व्यक्तिगत लाइसेंसिंग के मामले और नीति सम्बन्धी सामान्य प्रश्नों पर विचार विमर्श किये जाते हैं। देश में औद्योगिक प्रगति सम्बन्धी अन्य मामलों पर भी आवश्यक होने पर राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार किया जाता है। इन्हीं विचार विमर्शों के परिणामस्वरूप योजना आयोग ने 1968 में क्षेत्रीय असन्तुलनों के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए दो कार्यकारी दलों, की स्थापना की थी जिसमें एक वांचू कार्यकारी दल था जिसने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय और सरकारी सहायता देने तथा उद्योगों के केन्द्रीयकरण को हतोत्साहित करने की सिफारिश की तथा दूसरे दल (पाण्डे कार्यकारी दल) पिछड़े क्षेत्रों की पहचान का मापदण्ड निर्धारित किया था। इन कार्यकारी दलों की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से कुछ प्रोत्साहन देने की योजनायें तैयार की हैं। जिसमें देश के चुने हुए पिछड़े जिलों के लिए सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर अनुदान और आर्थिक सहायता देने की योजना भी सम्मिलित है।

त्रिपुरा राज्य को आवंटित किये गये प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी

6501. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **प्रधान**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवाएं आदि परीक्षा, 1970 के आधार पर त्रिपुरा राज्य संवर्ग में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कितने अधिकारी आवंटित किये गये हैं;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सिफारिश की थी, उनमें से कुछ को नियुक्त करने में त्रिपुरा राज्य सरकार ने अनिच्छा प्रकट की है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उन्हें वैकल्पिक पद देने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारतीय प्रशासन सेवाएं आदि परीक्षा 1970 के परिणामों के आधार पर त्रिपुरा सिविल सेवा श्रेणी II में सात उम्मीदवारों को आवंटित किया गया है, और त्रिपुरा पुलिस सेवा श्रेणी II में एक उम्मीदवार को। इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर त्रिपुरा की प्रथम श्रेणी सेवा में किसी भी उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया गया है।

(ख) त्रिपुरा सरकार ने सूचित किया है कि त्रिपुरा सिविल सेवा श्रेणी II के लिए आवंटित सात में से एक उम्मीदवार को नियुक्त कर दिया गया है, जबकि एक उम्मीदवार ने नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, तथा दो को नियुक्ति-प्रस्ताव भेजे गए हैं। शेष 3

उम्मीदवारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में, संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य सरकार के बीच पत्र व्यवहार हो रहा है, तथा त्रिपुरा सरकार, संघ लोक सेवा आयोग के विचार जान लेने पर उचित कदम उठाएगी।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित सिविल सेवा के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी

6502. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवाएं आदि, परीक्षा, 1970 के आधार पर कितने उम्मीदवारों का संघ राज्य क्षेत्रों में सिविल सेवा श्रेणी 2 का नियतन किया गया;

(ख) उनमें से कितने अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं और कितने अभी भी नियुक्त होने हैं; और

(ग) शेष उम्मीदवारों को नियुक्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारतीय प्रशासन सेवाएं आदि परीक्षा सन 1970 के परिणामों के आधार पर संघ राज्य क्षेत्रों की सिविल सेवाओं की श्रेणी II में 16 उम्मीदवारों को आवंटित किया गया है :—

दिल्ली-अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	
सिविल सेवा श्रेणी II......	5
त्रिपुरा सिविल सेवा, श्रेणी II.........	7
पांडिचेरी सिविल सेवा, श्रेणी II......	4
कुल	16

(ख) तथा (ग) दिल्ली-अण्डमान निकोबार द्वीप समूह सेवा, श्रेणी II में आवंटित हुए पांच उम्मीदवारों में से चार उम्मीदवार नियुक्त हो चुके हैं। पांचवें उम्मीदवार ने नियुक्ति-प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। पाण्डिचेरी सिविल सेवा श्रेणी II में आवंटित चार उम्मीदवारों में से एक को नियुक्त कर दिया गया है। तथा बाकी के तीन उम्मीदवारों ने नियुक्ति-प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है।

त्रिपुरा सरकार ने सूचित किया है कि त्रिपुरा सिविल श्रेणी II में आवंटित हुए सात उम्मीदवारों में से एक को नियुक्त कर दिया गया है, एक ने नियुक्ति प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है, तथा दो को नियुक्ति प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। त्रिपुरा सरकार ने यह भी सूचित किया है कि शेष तीन उम्मीदवारों की नियुक्ति के मामले में राज्य और संघ लोक सेवा आयोग के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है और त्रिपुरा सरकार, संघ लोक सेवा आयोग के विचार जान लेने के बाद उचित कदम उठाएगी।

1967 के पश्चात समाचार पत्रों के पृथक संस्करण

6503. श्री वेकारिया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 के पश्चात जिन समाचार पत्रों को विभिन्न स्थानों से पृथक संस्करण निकालने की अनुमति दी गई है उनकी संख्या कितनी है, उनके नाम क्या हैं, वे कहाँ-कहाँ से प्रकाशित होते हैं तथा नये संस्करणों की कितनी-कितनी प्रतियां बिकती हैं; और

(ख) प्रत्येक समाचार पत्र को वर्षवार कितना अखबारी कागज आवंटित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2060/72]

चन्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता बन्द कर देने सम्बन्धी सरकारी निर्णय के विरोध में बारी-बारी से भूख हड़ताल

6504. श्री एस० एम बनर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी जारी न रखने के निर्माण के विरोध में बारी-बारी से भूख हड़ताल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने में लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या उक्त मामला वित्त मंत्रालय को भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा): (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) से (घ) इसी विषय पर श्री फूल चन्द वर्मा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4423 के भाग (ग) के उत्तर में दिनांक 28 अप्रैल, 1972 को लोक सभा में, बीमा तथा व्यय विभाग के मंत्री बता चुके हैं कि यह मामला विचाराधीन है ।

Postal Stamps on Special Birds, Animals etc.

6505. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether Government had issued Postal Stamps on special birds of the country in the past:

(b) if so, whether Government now propose to issue postal stamps on some special animals such as historic lion, chetak horse and the world famous Indian dog called Harry in the near future; and

(c) if so, the time by which the stamps on the said animals are likely to be issued and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) A series of 4 stamps on Indian Birds was issued on 31.12.1968.

(b) & (c) Six stamps on Indiah wild Life depicting Rhino, Gaur, Himalayan Panda, Elephant, Tiger and Lion wree issued in 1962 and 1963. A stamp on Chital (Spotted dear) was also Issued on 15.3.67. Other animals will be considered when new issues on Indian wild life/animals are planned.

मंत्रियों, उपमंत्रियों और सचिवों को निःशुल्क टेलीफोन कानेक्शन देना

6507. **श्री समर गुह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री, मंत्रिमंडल के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों को उनके (एक) कार्यालयों और (दो) रिहायशी क्वार्टरों में कितने टेलीफोन कनेक्शन निःशुल्क दिये जा सकते हैं;

(ख) विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों संयुक्त सचिवों और उप-सचिवों को उनके (एक) कार्यालयों और (दो) निवासस्थानों पर कितने निःशुल्क टेलीफोन कनेक्शन दिये जा सकते हैं;

(ग) प्रत्येक मंत्री और विभिन्न सचिवों के कार्यालयों और निवास स्थानों में लगाये गये ऐसे निःशुल्क टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(घ) क्या निःशुल्क टेलीफोनों के अतिरिक्त उनके पास किराये के आधार पर और भी टेलीफोन हैं; और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री, मंत्री मंडल स्तर के मंत्रियों, राज्य-मंत्रियों, सचिवों, संयुक्त सचिवों और उपसचिवों को टेलीफोन कनेक्शन सम्बन्धित मंत्रालयों से मांग आने पर उनके कार्यालयों और निवास-स्थानों पर दिये जाते हैं। अतः इन सुविधाओं के नियमन के मामले में डाक-तार विभाग या संचार मंत्रालय कोई दखल नहीं देता।

(घ) किराये के आधार पर जनता को टेलीफोन कनेक्शन देने के जो सामान्य नियम हैं उन्हीं के मुताबिक उन्हें भी टेलीफोन दिए जाते हैं। ऊपर दिए गए मंत्रियों, सचिवों और अन्य सरकारी अधिकारियों को अपनी निजी हैसियत से दिए गए टेलीफोन कनेक्शन के लिए विभाग अलग आंकड़ नहीं रखता है।

थुम्बा स्थित अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के एक अधिकारी के मकान पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा जाना

6508. **श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के एक अधिकारी के मकान पर छापा मारा है और उसके मकान से राकेट केन्द्र का कोई इलैक्ट्रानिक उपकरण बरामद किया है;

(ख) यदि हां, तो उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कुछ अधिकारियों की सहायता से इस केन्द्र से मूल्यवान उपकरणों के बाहर ले जाने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) 19 अप्रैल, 1972 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय अनुसंधान संगठन के एक अधिकारी के घर पर छापा मारा था। उस अधिकारी को निलम्बित किया जा चुका है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस विषय में जांच कर रहा है।

दिल्ली प्रशासन में फालतू कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करना

6509. **श्री पन्नालाल बारूपाल :** क्या गृह मंत्री दिल्ली प्रशासन के फालतू कर्मचारियों को खपाने के बारे 24 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1400 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेल हुए कर्मचारियों (30) और जान-बूझ कर परीक्षा न देने वाले कर्मचारियों (197) की सेवाएं, वास्तव में समाप्त कर दी गई है;

(ख) क्या इन 30 कर्मचारियों के मामले में प्रतियोगी परीक्षा पास करने की शर्तों संबंधी भर्ती नियमों के उपबन्धों में ढील दी गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन दोनों स्थितियों को कैसे संगत बनाया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) भर्ती नियमों के उपबन्धों में ढील देकर, सभी तदर्थ भूतपूर्व निम्न श्रेणी लिपिकों को, उनकी अधिक आयु होने का ध्यान न करते हुए, प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा रही है ।

(ग) जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तथा सफल होंगे, प्रतियोगी परीक्षा में अपनी योग्यता के अनुसार नियमित आधार पर नियुक्त किये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए धन के नियतन में वृद्धि करने की मांग

6510. **श्री नरसिंह नारायण पांडे :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में धन के नियतन में वृद्धि करने की माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करने की योजना

6511. **श्री नरसिंह नारायण पांडे :**
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करने की एक योजना बनाई है और उसे केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नही उठते।

आकाशवाणी के समाचार रिपोर्टर और संसदीय रिपोर्टर

6512. श्री आर० के० सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के वेतन में वृद्धि के बारे में 15 मार्च, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के समाचार रिपोर्टरों (प्रादेशिक समाचार यूनिट) और संसदीय रिपोर्टरों (हिन्दी) की पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करने सम्बन्धी प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नंदिनी सतपथी) : स्टाफ आर्टिस्टों के लिए पदोन्नति के अवसरों के बारे में प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

आकाशवाणी के कलाकारों के संशोधित वेतन-मान

6513. श्री आर० के० सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कलाकारों को संशोधित वेतन-मान दिये जाने के सम्बन्ध में छान-बीन प्रणाली लागू की जा रही है; और

(ख) वेतन-मानों में संशोधन करने से प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नंदिनी सतपथी) : (क) जी, हां। उन श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए जिनके मामले में संशोधित स्केल मूल फीस स्केलों से पर्याप्त ऊंचे हैं।

(ख) संशोधित फीस स्केलों के अपनाने के परिणामस्वरूप वर्तमान तथा संशोधित स्केलों की औसत लागत के आधार पर अतिरिक्त खर्चा लगभग 35 लाख 70 हजार रुपए प्रति वर्ष होगा।

आकाशवाणी से समाचार भारती द्वारा भेजे समाचार बुलेटिनों का प्रसारित किया जाना

6514. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 और 1971-72 में समाचार भारती द्वारा कितने समाचार बुलेटिन भेजे गये तथा आकाशवाणी से प्रसारित किए गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : समाचार भारती द्वारा कोई समाचार बुलेटिन नहीं भेजा जाता। सम्भवतया माननीय सदस्य का आशय उन समाचारों से है जो समाचार एजेन्सी द्वारा भेजे जाते हैं। इन समाचारों का कोई स्थायी रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

क्षेत्रीय तथा अन्तर्राज्यीय असंतुलन

6515. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आर्थिक विकास में अब भी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राज्यीय असन्तुलन है;

(ख) क्या इन असन्तुलनों को कम करने के लिए सरकार द्वारा किये गये वित्तीय तथा अन्य उपायों का समूचे रूप में प्रभाव बहुत मामूली है और यदि हां, तो इन असन्तुलनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के 22 वर्ष बाद भी इस प्रकार के असन्तुलन बने रहने के क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में आर्थिक विकास में अन्तर्राज्यीय और क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करने या कम करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं; और

(ङ) अब तक किये गये उपायों का क्या ठोस परिणाम निकला है ?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) राजकोषीय और अन्य उपायों का प्रभाव मामूली रहा हैं या अन्यथा रहा है इसका निश्चिय करने वाले आंकड़े, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त हैं, परन्तु यह कहना सही है कि कतिपय राज्य/क्षेत्र आर्थिक सामाजिक विकास में अन्य राज्यों की अपेक्षा आगे है।

(ग) विभिन्न आंचलों और क्षेत्रों में असमानतायें होने के जिम्मेदार घटक भौतिक-भौगोलिक दशाओं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि,सामाजिक संरचना, बुनियादी आधार की उपलब्धि ऐतिहासिक तथा सामाजिक आर्थिक कारणों से सम्बन्धित है। पश्चिमी बंगाल का जहाँ तक संबंध है, कुछ समय पूर्व वहाँ व्याप्त राजनीतिक स्थितियों के कारण भी स्थिति बिगड़ी है।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2061/72]

(ङ) प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में जो उपाय बताये गये हैं उनको हाल के वर्षों में अपनाया गया है। अतः भौतिक दृष्टि से उनके प्रतिफलों का विश्लेषण करना अभी संभव नहीं।

केन्दीय रिजर्व पुलिस दल अधिनियम का कथित
रूप से शक्ति बाह्य ठहराया जाना

6516. **श्री बी० बी० नायक**
श्री त्रिदिब चौधरी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल उच्च-न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गये उस निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें संसद द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल अधिनियम बनाया जाना शक्ति बाह्य ठहराया गया है;

(ख) यदि हाँ तो उक्त निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल अधिनियम को मुख्यतः इस आधार पर शक्ति बाह्य घोषित किया है कि इसके लक्ष्य, कार्य क्षेत्र में और प्रयोजन को देखते हुये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम 1949 'पुलिस' से संबंध रखने वाला एक अधिनियम है जिसका विधि निर्माण पूर्णतः राज्य विधान मंडल का कार्य है अतः इस विषय पर कानून बनाना केन्द्रीय विधान मंडल की सक्षमता में नहीं था ।

(ग) केन्द्रीय सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध एक अपील करने के लिए कदम उठा रही है ।

सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्ट्रीट्यूट पिलानी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारी

6517. **श्री शिव नाथ सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्ट्रीट्यूट, पिलानी (राजस्थान) में 31 मार्च, 1972 को विभिन्न वर्गों के कुल कितने कर्मचारी थे;

(ख) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर विभिन्न अन्य वर्गों में अनुसूचिव जाति/जनजाति के कर्मचारियों का अनुपात क्या था;

(ग) क्या इस संस्था में आरक्षण कोटा नियत किया गया है; और भर्ती तथा पदोन्नति के मामलों में इसी के अनुसार इन जातियों के कर्मचारी वहां पर हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : 31 मार्च, 1972 तक सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी में कर्मचारियों की कुल संख्या 430 थी । चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं को छोड़कर अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों का विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीवार ब्यौरा और अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2062/72]

(ग) और (घ) : अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटा उल्लिखित स्तर तक नहीं रखा जा सकता क्योंकि पहली बात यह है कि संस्थान के समस्त क्लास-1 और क्लास-2 (वैज्ञानिक और तकनीकी) पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के हित में आरक्षण सम्बन्धी निर्धारित आदेशों के अन्तर्गत मुक्त हैं और समस्त वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर नियुक्ति वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नियम और विनियमों के अनुसार की जाती है और दूसरी बात यह है उपयुक्त उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना ।

आकाशवाणी केन्द्र, गोरखपुर

6518. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोरखपुर का आकाशवाणी केन्द्र निश्चित समयानुसार चालू कर दिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) तथा (ख) पहले के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परियोजना को पूरा करने में कुछ देरी हुई है। अब ट्रांसमिटर चालू होने के लिए जुलाई, 1972 में तैयार हो जायेगा। यह लखनऊ केन्द्र के कार्यक्रमों को रिले करेगा। गोरखपुर का स्टुडियो चालू होने के निमित्त 1973-74 के दौरान तैयार हो जायेगा।

Foreign Wives of Gazetted Officers in Central Government

6519. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the present number of gazetted officers working under the Central Government who have foreign wives;

(b) whether these officers include some such persons who married foreign ladies although they were having one wife living; and

(c) if so, the number thereof and the number of cases out of them in which prior permission of Government was obtained ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs and in Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों के विकास के लिये सहायता अनुदान

6520. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों में स्थापित या स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुसंधान प्राप्त करने के लिए कितने आवेदकों ने अपने नाम रजिस्टर कराये तथा उनके नाम क्या हैं और इन उद्योगों का जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस प्रयोजनार्थ आन्ध्र प्रदेश को अब तक कितनी राशि दी गयी है; और

(ग) इस राशि के वितरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : केन्द्र द्वारा 10 प्रतिशत एकमुश्त अनुदान या उपदान योजना, 1971 के अन्तर्गत, 120 प्रार्थियों ने राज्य सरकार से अपना पंजीकरण कराया है ऐसी सूचना मिली है। योजना की प्रयोज्यता और वितरण के तरीकों की विस्तृत जानकारी 26-8-1971 के राजपत्र में दी गई है। योजना के अनुसार, एक राज्य स्तरीय समिति का गठन आवेदनों की जाँच करने और निश्चित तरीकों से उनका वितरण करने के

लिए किया जाना है। राज्य सरकार ने आगे सूचना दी है कि कोई भी आवेदन वितरण के योग्य नहीं हुआ है, और इसलिये कोई वितरण नहीं किया गया है। नये औद्योगिक एकको या पर्याप्त विस्तार के लिए उपदान का भुगतान अचल पूंजी विनियोजन (भूमि, इमारत और मशीनरी) ऐसे एककों को किया जाता है जिनका अचल पूंजी विनियोजन 50 लाख रुपयों से अधिक नहीं है। ऐसे मामलों पर भी जिनमें 50 लाख रुपयों से अधिक का नियत अचल पूंजी विनियोजन है, गुणावगुण के आधार पर राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश से केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

समाचार पत्रों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण

6521. **श्री डी०के० पन्डा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय समाचार पत्र कर्मचारी संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने हाल में अपने दो दिन के नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में प्रेस की वास्तविक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए समाचार पत्रों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण करने तथा अन्य उपाय करने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक मांग क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) सरकार ने समाचार पत्रों में इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) अप्रैल, 1972 के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में हुए अपने दो दिन के अधिवेशन के बाद संघ द्वारा जारी किए गए नीति वक्तव्य में निम्नलिखित सुझाव दिए गए बताए गए हैं :—

(1) समाचार पत्र उद्योग में एकाधिकार प्रवृतियों को रोकने के लिए प्रैस आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित की जानी चाहिएं।

(2) समाचारपत्रों के स्वामित्व का विस्तार करने सम्बन्धी कानून को बड़े समाचारपत्रों के हितों द्वारा समाप्त करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

(3) समाचारपत्रों को यदि आवश्यकता हो तो कानून द्वारा तालाबन्दी करने, पत्रकारों और गैर पत्रकारों की छाँटी करने, उनके वेतन में कमी करने या उनकी सेवा-शर्तों में कोई प्रतिकूल परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(4) चालू वर्ष की नीति के अन्तर्गत अखबारी कागज के कोटे में 20% वृद्धि के हकदार होने से पूर्व सभी छोटे तथा मझोले समाचारपत्रों को पत्रकारों तथा गैर पत्रकारों के वेतन बोर्ड के पंचफैसलों को कार्यान्वित करना चाहिए।

(5) देश को अखबारी कागज के मामले में स्वावलम्बी बनाने की ओर कदम उठाए जाने चाहिए और अन्तिरम अवधि में आयात रुपये में भुगतान तथा समाजवादी देशों से किया जाना चाहिए।

(6) पृष्टानुसार मूल्य सूची जैसा कि प्रेस आयोग ने सिफारिश की थी, लागू की जानी चाहिए।

आकाशवाणी से तमिल नाडु सम्बन्धी प्रसारणों के लिए अधिक समय देना

6522. श्री एम० राजंगम : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होने वाले तमिल समाचार बुलेटिन में तमिलनाडु के बारे में अधिक जानकारी देने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नदिनी सतपथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मदुरै में रेडियो स्टेशन

6523. श्री एम० राजंगम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या मदुरै में रेडियों स्टेशन स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना श्रौर प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नदिनी सतपथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों के बारे में समाचार चित्र तैयार करना

6524. श्री एम० राजंगम : क्या **सूचना श्रौर प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में राज्य वार भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में कितने समाचार चित्र बनाए गए;

(ख) इस अवधि में तमिलनाडु राज्य के बारे में कितने समाचार चित्र बनाए गए और उनके नाम क्या है; और

(ग) तमिल नाडु के बारे में समाचार चित्र बनाने के भावी कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है ?

(क) **सूचना श्रौर प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीरसिंह)** : (क) फिल्म प्रभाग देश के सभी भागों की समाचारिक महत्व की घटनाओं को कवर करता है। कोई भी विशिष्ट न्यूजरील किसी विशिष्ट राज्य के लिए नहीं बनाई जाती। 1970 तथा 1971 के दौरान फिल्म प्रभाग ने 104 नियमित साप्ताहिक इंडियन न्यूज रिव्यू, न्यूजरीलों के 70 प्रादेशिक संस्करण तथा कुछ विशेष न्यूजरीलें निर्मित की। इन न्यूजरीलों में विश्व तथा देश के विभिन्न भागों के समाचारिक महत्व के विषय सम्मिलित थे।

(ख) तमिलनाडु राज्य से सम्बन्धित उन समाचारों एवं विषयों, जो 1970 तथा 1971 के दौरान फिल्म प्रभाग की न्यूजरीलों में शामिल किए गए थे, का एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2063/72]

(ग) फिल्म प्रभाग तमिलनाडु समेत देश के सभी भागों की समाचारिक महत्व की घटनाओं को अपनी न्यूजरीलों में स्थान देता रहेगा ।

देश में और पश्चिम बंगाल में उद्योगों में पूंजी निवेश

6525. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1971 से अप्रैल, 1972 तक पश्चिम बंगाल में उद्योगवार और महीने वार कुल कितनी पूंजी लगाई गई, और

(ख) दिसम्बर 1971 से अप्रैल, 1972 तक नये उद्योगों में उद्योगवार और महीने वार कुल कितनी पूंजी लगाई गई, और

(ग) महाराष्ट्र, गुजरात और तामिलनाडु में पूंजीनिवेश के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) निजी क्षेत्र के उद्योगों के निवेश के आंकड़े मिलने में पर्याप्त देरी लगती है क्योंकि कनियों के तुलनपत्रों का विश्लेषण करना होता है । अतएव, मांगे गये राज्यवार, उद्योगवार तथा माहवार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, जैसा कि वर्ष 1971-72 के वर्तमान सत्र के प्रारम्भ में संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है विभिन्न आर्थिक सूचनाओं से पता लगता है कि "वर्ष 1971-72 के दौरान निवेश में द्रुत गति से वृद्धि हुई है ।"

डनलप इण्डिया लिमिटेड का विस्तार

6526. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डनलप इण्डिया लिमिटेड ने मद्रास के निकट अम्बतूर स्थित अपने कारखाने का विस्तार करने के लिए आवेदन पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विस्तार योजना को एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को भेजे बिना स्वीकृति दे दी है; और

(ग) विस्तार योजना की रूप रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) पर्याप्त विस्तार ट्रकों तथा बसों के वार्षिक दो लाख टायर तथा ट्यूब बनाने के लिए होगा ।

मालपुरम जिले में पाकिस्तानी राष्ट्रकों की गिरफ्तारी

6527. श्री एम० एम० जोजफ :
श्री चन्दू लाल चन्द्राकर :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 24 अप्रैल, 1972 को मालपुरम जिले में कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रकों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली में अवैध शराब (हूच) की बिक्री बन्द करने के लिए कार्यवाही

6528. श्री एम० एम० जोजफ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने अवैध शराब (हूच) की बिक्री बन्द करने के लिए कोई समन्वित कार्यवाही करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2064/72]

दिल्ली में मोटर गाड़ियां चुराने के कारण व्यक्तियों की कथित गिरफ्तारी

6529. श्री एम० एम० जोजफ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1972 में दिल्ली में कुछ व्यक्तियों को मोटर गाड़ियां चुराने पर गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, वाहनों की चोरी के सम्बन्ध में अप्रैल, 1972 में दिल्ली में 11 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2065/72]

Arrest of Persons with Forged Passport at Dum-Dum Airport

6530. Shri Jagannatrao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether some persons having forged passports were arrested from Dum Dum Airport, Calcutta during the last week of April, 1972 ; and

(b) if so, the names of the persons so arrested and the action taken by Government against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) (a)&(b) The information is awaited from the Government of West Bengal and the same will be placed on the Table of the Sabha on receipt.

Alleged Recovery of Chinese Rocket Missiles from a Ditch in Balapara near Jalpaiguri (West Bengal)

6531. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Narsingh Narain Pandey :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Chinese rocket missiles were recovered from a trench/ditch in Balapara near Jalpaiguri in the last week of April, 1972 ; and

(b) if so, the arms so recovered and the steps proposed to be taken by Government in this regard in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) & (b) According to the information furnished by the Government of West Bengal, two China made Rocket Launchers, suspected to have been smuggled from Bangla Desh, were recovered on 30.4.1972 from a ditch at Balapara Teesta near Embankment in Jalpaiguri District.

Strict watch is being maintained in the border areas, and regular searches are being made to recover illicit arms.

Violations of Black out Rules in Delhi in December, 1971

6532. Shri Dhan Shah Pradhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether during the period of Indo-Pak war in December, 1971, black-out rules were violated in big way in Delhi ;

(b) if so, the number of persons challenged in this connection ; and

(c) the number of gazetted officers and other Government employees among them, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) As intimated by Delhi Administration, black-out rules were violated during the Indo-Pak conflict in December 1971. but not in a big way.

(b) 16 persons were challaned for violation of black-out rules and 2800 persons were challaned for violation of traffic restrictions.

(c) No separate record was kept of Government employees, gazetted or non-gazetted.

Recovery of Arms Including Foreign Make from Surrendering Dacoits

6533. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some arms and ammunition out of the arms and ammunition recovered from the surrendering decoits in Madhya Pradesh during April and May, 1972 were of foreign make ;

(b) if so, whether Government have tried to acertain the sources through which foreign arms and ammunition were procured by them ; and

(c) the nubmer and description of the foreign arms and ammunition so recovered ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) (a) Yes. Sir.

(b) Enquiries in this regard are in progress.

(c) Upto 13.5.72, 12 automatic rifles, 18 stenguns, 2 TMCs, 70.303 rifles and guns of other bores had been recoverd. A large number of them are foreign made.

केरल भूमिसुधार (संशोधन) अधिनियम और कानन देवन पर्वत (भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करना

6534. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल विधान सभा द्वारा सर्व सम्मति से पास किये गये उस संकल्प की प्रति प्राप्त हुई है जिसमें केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम और कानन देवन पर्वत (भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1971 को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कानन देवन हिल्स (भूमि के पुनंग्रहण) अधिनियम 1971 की वैधता का उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदन करने को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार से सलाह करके यह निर्णय किया गया है कि इस अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है। केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 और 1971 के समान संशोधित अधिनियम के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सलाह ली गई है और उनके अन्तिम विचारों की प्रतीक्षा है।

केरल सरकार द्वारा राज्य से बेरोजगारी मिटाने के लिये केन्द्रीय सहायता की मांग

6535. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में इंजीनियरों, स्नातकों, स्नातकोत्तरों और डाक्टरों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की माँग की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी है ?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में रोजगार के अवसरों को पैदा करने के सम्बन्ध में केरल सरकार द्वारा 1971 में प्रस्तुत की गई स्कीमों में से निम्नलिखित स्कीमें इंजीनियरों, स्नातकों और स्नातकोत्तरों को रोजगार उपलब्ध कराने से सम्बन्धित थी :

	लाख रुपये
(1) केरल राज्य इंजीनियरिंग तकनीशियन औद्योगिक सहकारी समिति	79.00
(2) क्रियाशील औद्योगिक ऐस्टेट	180.00
(3) स्नातकोत्तरों को रोजगार	100.00

1971-72 में औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार उपर्युक्त (1) और (2) स्कीमों के लिये और देशी मशीनरी की खरीदारी के लिए 48 लाख रुपया आवंटित किया गया था। किन्तु राज्य सरकार इसमें से केवल 15.70 लाख रुपये का ही उपयोग कर सकी।

सभी राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों को भेजे गये योजना आयोग के दिनांक 3 अप्रैल 1972 के पत्र के उत्तर में केरल सरकार ने कुछ ही दिनों पहले 1972-73 के लिए 3.79 करोड़ रुपये की राशि के विशेष रोजगार कार्यक्रम प्रस्तुत किये हैं, जिनकी योजना आयोग द्वारा अभी जांच की जा रही है। इनमें से कुछ प्रस्ताव ग्रामों में औषधालय और सहकारी औषधालयों से सम्बन्धित हैं, जो डाक्टरों और सह चिकित्सा कर्मचारियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। इसी प्रकार जल संसाधन सर्वेक्षण, औद्योगिक परीक्षण प्रयोगशाला, दुग्ध उत्पादन स्कीम, पशु-प्रजनन आदि से सम्बन्धित प्रस्ताव इंजीनियरों, पशु-चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करेंगे। इन स्कीमों के लिये उपलब्ध करायी जाने वाली राशि का निर्धारण स्कीमों की छान-बीन पूरी हो जाने के उपरान्त ही होगा।

पुरासल पेपर मिल्स लिमिटेड (केरल) का विस्तार

6536. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज पुनालूर पेपर मिल्स लिमिटेड पुरासल (केरल राज्य) के विस्तार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ भेजा गया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मैसर्स पुनालूर पेपर मिल्स लिमिटेड के 12,500 से 33,000 मीट्रिक टन क्षमता के पर्याप्त विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया है। उनका अग्रेतर 33,000 से 50,000 मीट्रिक टन का विस्तार सम्बन्धी दूसरा आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है।

केरल के पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों के लिए सहायता अनुदान के लिए आवेदन पत्र

6537. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायतानुदान प्राप्त करने हेतु कितने आवेदकों ने अपने नाम रजिस्टर कराये हैं;

(ख) इस प्रयोजन के लिए केरल राज्य को अब तक कितना धन दिया गया है; और

(ग) इस धन के वितरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) 10 प्रतिशत केन्द्रीय एकमुश्त अनुदान या राज सहायता योजना 1971 के अन्तर्गत केरल राज्य से अल्लेफी जिला इस राजसहायता के लिए चुना गया है और यह बताया गया है कि 39 आवेदकों ने अपना

नाम राज्य सरकार के पास पंजीकृत करा लिया है। योजना की प्रयोज्यता और वितरण करने के ढंग का ब्यौरा 26 अगस्त, 1971 की राजपत्र अधिसूचना में विस्तारपूर्वक दिया गया है। इस योजना के अनुसार आवेदनों की जांच करने के लिए और निर्धारित ढग से वितरण करने के लिए राज्य सरकार की एक समिति बनाई जानी है। राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि कोई भी आवेदन अभी वितरण करने योग्य स्थिति में नहीं हुआ है और कोई वितरण नहीं किया गया है।

केरल में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए धनराशि का नियतन

6538. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सर्किल के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक-तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि का नियतन किया गया है;

(ख) उपरोक्त नियतन में से कितनी धनराशि पहले ही व्यय की जा चुकी है; और

(ग) क्या महाडाकपाल, केरल सर्किल ने अतिरिक्त धनराशि की माँग की है और यदि हां, तो कितनी धनराशि के लिए ?

संचार मंत्री (श्रीमती हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) शुरू में 45.60 लाख रुपये नियत किए गए थे। बाद में इसके अलावा 22 लाख रुपये और नियत किए गए, जिसे मिला कर कुल रकम 67.60 लाख रुपये हो गयी थी।

(ख) 47.20 लाख रुपये की मंजूरी जारी की जा चुकी है और 22 लाख रुपये की अतिरिक्त रकमों की मंजूरी जारी की जा रही है।

(ग) जी हां, 1 करोड़ 90 लाख रुपये।

सेना के भूतपूर्व अधिकारियों की नागरिक सुरक्षा और होम गार्डस निदेशालय में भर्ती

6539. श्री सतपाल कपूर : क्या **गृह** मंत्री सेना के भूतपूर्व अधिकारियों की नागरिक सुरक्षा और होम गार्डस निदेशालय में भर्ती के बारे में 16 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2355 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अपेक्षित सूचना हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी समीक्षा की जा रही है। यह शीघ्र ही सभा पटल पर रखने के लिए संसदीय कार्य विभाग को भेज दी जायगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के नागरिक सुरक्षा संगठन में स्टाफ कार का उपयोग

6540 श्री सतपाल कपूर : क्या **गृह** मंत्री दिल्ली के नागरिक सुरक्षा संगठन में स्टाफ

कार के उपयोग के बारे में 16 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4953 के उत्तर में बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ़०एफ मोहसिन) : (क) जी हां। अपेक्षित सूचना अब एकत्रित कर ली गई है और 1-5-1972 को संसदीय काय विभाग को सभा पटल पर रखने के लिए भेज दी गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी

6541. श्री अम्बेश : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग और इससे सम्बद्ध कार्यालयों में क्षेणी 1,2,3 तथा 4 के कुल कितने पद हैं;

(ख) उक्त प्रत्येक श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग कार्य कर रहे हैं; और

(ग) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन सीधी भर्ती के लिए छूट प्राप्त पद कौन-कौन से हैं ?

प्रधानमन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग तथा इसके संघटक यूनिटों में पदों की संख्या तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

पद की श्रेणी	पदों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी I	3221	15	2
श्रेणी II	1337	9	—
श्रेणी III	9478	394	58
श्रेणी IV	2259	551	85

(ग) सभी पद।

प्रकाशन विभाग की तेलुगु में पुस्तिकाएं और सूचना-पत्रक

6542. श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन विभाग द्वारा तेलुगु में प्रकाशित पुस्तिकाओं और सूचना-पत्रकों की संख्या नगण्य ही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, नहीं। हिन्दीतर 11 भारतीय भाषाओं में निकाले गए 535 प्रकाशनों में से 45 तेलुगु के थे। तेलुगु के 6 और प्रकाशन इस समय छपाई की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद में फिल्म सेंसर बोर्ड की शाखा

6543. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय-समय पर अनेक अभ्यावेदन भेजे जाने के बावजूद हैदराबाद में फिल्म सेंसर बोर्ड का एक शाखा कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) आंध्र प्रदेश में वास्तव में बनने वाली फिल्मों की संख्या को देखते हुए हैदराबाद में केन्द्रीय सेंसर बोर्ड का एक अलग प्रादेशिक कार्यालय खोलने का औचित्य नहीं है।

श्री टी० प्रकाशन पन्थुलु की स्मृति में डाक टिकट

6544. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बारम्बार अनुरोध किया है कि स्वर्गीय श्री टी० प्रकाशन पन्थुलु की स्मृति में विशेष डाक टिकट जारी किया जाए,

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश के संसद सदस्यों ने भी इस के बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) श्री टी० प्रकाशन पन्थलु की स्मृति में 1972 में डाक-टिकट निकालने का निर्णय लिया गया है।

योजना आयोग द्वारा गोदावरी बांध और बम्साधारा परियोजनाओं की स्वीकृति

6545. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह वताने की करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने गोदावरी बांध परियोजना को समग्र रूप में और बम्साधारा परियोजना को अभी स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने योजना आयोग को पुनः अनुरोध किया है कि गोदावरी बांध योजना को समग्र रूप में स्वीकृति दी जाये; और

(ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त दोनों परियोजनाओं के लिए स्वीकृति देने में देरी के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

योजना आयोग द्वारा गोदावरी बांध और बम्साधारा परियोजना को क्रमशः दिसम्बर, 1971 तथा फरवरी, 1972 में स्वीकृति दे दी गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा नमक का उत्पादन

6546. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड ने नमक के उत्पादन में योजनाबद्ध रूप से प्रगति नहीं की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड ने नमक के उप-उत्पादों, विशेष रूप से सोडा ऐश के उत्पादन के लिए एकक स्थापित नहीं किए हैं;

(ग) क्या सांभर, राजस्थान में उक्त प्रकार का एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। नमक का उत्पादन ज्यादा या कम, निर्धारित लक्ष्य के अनुसार होता है। उत्पादन का लक्ष्य हर वर्ष, (1) नमक की संभावित मांग (2) रखे हुए स्टाक तथा (3) अनुमानित वर्षा को ध्यान में रख करके उत्पादन का मौसम शुरू होने से पहले निर्धारित किया जाता है।

(ख) सोडा ऐश का उत्पादन करने के लिए अब तक कोई कारखाना लगाया नहीं गया है। किन्तु हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड, सांभर की सहायक सांभर साल्ट लि० एक मार्गदर्शी संयंत्र के रूप में फेकामो टेबल साल्ट, सोडियम सल्फेट तथा कर्बाइट जैसे तीन उपोत्पाद बनाती है।

(ग) तथा (घ) प्रति वर्ष 66,000 मी० टन सोडा ऐश तथा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के बारे में सांभर साल्ट लि० का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

Re : Adjournment motion (Query)

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यान दिलाने वाली सूचना पर विचार करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। मैंने बंगाल में सूखे की स्थिति के बारे में स्थागन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं जब तक उनको नहीं बताता उनको खड़ा नहीं होना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : स्थगन प्रस्ताव से सम्बन्धित मामलों को प्रश्न काल के तुरन्त बाद ही उठाया जाता है। इस मामले में नियम 60 बिल्कुल स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : आप निदेश संख्या 2 पठित 1 न इसको उठाने के लिए अभी अपनी अनुमति भी नही दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने सभी शर्तों को पूरा किया है अतः आप अनुमति नही रोक सकते। क्या आप इस पर चर्चा की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में विचार कर रहा हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कार्य सूची के मद 9 के अनुसार कृषि मंत्री सूखे की स्थिति पर एक वक्तव्य देने वाले हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस का स्थगन प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध है। क्या आप इस पर चर्चा करने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

ध्यान आकर्षण सूचना के बारे में (प्रक्रिया)

Re : Calling Attention Notice (Procedure)

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा होगी।

Shri Ramavtar Shasttri (Patna) : Trise as a Point of Order. We have not riceived the copy of the statement which the hon. Minister is going tomake.

विदेश मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : मैं वक्तव्य देने के लिए तैयार हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मंत्रालय को प्रसन्न करने के लिए प्रक्रिया में जो परिवर्तन किया गय है वह वांछनीय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि विवरण सदस्यों को सप्लाई नहीं किया गया है तो माननीय मंत्री उसे सभा में पढ़ दें।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस बारे में स्पष्ट निदेश है कि विवरण की प्रतियां आधा घन्टा पहले सप्लाई की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना कल प्राप्त हुई थी। यह मंत्री महोदय को भेद दी गई थी। कभी-कभी जानकारी प्राप्त करने में मंत्री महोदय को देरी हो जाती है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : हमारी ओर से सदस्यों को प्रतियों सप्लाई न करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रतियाँ सप्लाई कर दी जाएंगी। उसके लिए आप कोई भी समय निश्चित कर सकते हैं।

श्री ज्योतिमर्य बसु : माननीय मंत्री को सूचना की प्रति साढ़े ग्यारह बजे भेज दी जाती है। इस बात को अब चौबीस घण्टे हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर जबकि विदेश मामलों पर जानकारी प्राप्त करनी हो, कुछ समय लग ही जाता है। परन्तु माननीय मंत्री ने अब बताया है कि विवरण तैयार हैं।

श्री ज्योतिमर्य बसु : मंत्री महोदय से समय पर जानकारी प्राप्त करना कठिन हो गया है। यह बड़े खेद औद शर्म की बात है।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसी भाषा का प्रयोग न करें।

श्री ज्योतिमर्य बसु : हम चाहते है कि विवरण की प्रतियां पहले से दे दी जायें ताकि हम लोग सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकें।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नंदयाल) : जब सदस्यों को समय पर विवरण सप्लाई नहीं किया जाता तब माननीय मंत्री इसको सभा में पढ़ते है। मंत्री महोदय के विरुद्ध टिप्पणियों को रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले लम्बे-लम्बे भाषण करने की भी अनुमति नहीं थी। एक प्रश्न ही पूछा जाता था। मामले को और अधिक जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : पहले प्रक्रिया यह थी कि माननीय मंत्री वक्तव्य पढ़ते थे और हम प्रश्न पूछते थे। इसके पश्चात हमें नोटिस आफिस से प्रतियां मिल जाती थी। फिर लगभग आधा घण्टे पहले हमें प्रतियाँ मिलनी आरम्भ हुई। एक निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि ध्यान दिलाने वाली सूचना को लिए जाने से आधा घण्टा पूर्व उसकी प्रतियाँ सदस्यों को मिल जायें।

श्री स्वर्ण सिंह : यदि यह चर्चा कुछ और समय जारी रही तो प्रतियां वितरित कर दी जायेंगी। इस प्रकार की स्थिति में जबकि हमें न्यूयार्क से जानकारी प्राप्त करनी है तो सदस्यों को इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि इसको 22 घण्टों के भीतर ही प्राप्त किया जाए। फिर भी हम इस समय के अन्दर जानकारी प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। परन्तु इस प्रकार की स्थिति के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इस प्रकार की स्थिति में 48 घण्टे का समय दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इसका हल यह है कि माननीय मंत्री के पास 9 बजे तक जो भी जानकारी हो वह सभा को दे दी जाए।

श्री एस० एम० बनर्जी : पहले यह प्रक्रिया थी कि जब कभी माननीय मन्त्री को अधिक समय की आवश्यकता होती थी तो वह अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जाकर उनसे अधिक समय के लिए अनुरोध करते थे और अध्यक्ष महोदय द्वारा उनको अधिक समय दे दिया जाता था।

अध्यक्ष महोदय : सभा द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। मेरे विचार में कुछ समय-सीमा होनी चाहिए।

श्री राज बहादुर : मेरा सुझाव है कि इस पर पर श म को पांच बजे चर्चा की जाए।

श्री के० नारायणराव (बोबिली) : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ। ध्यान दिलाने वाली सूचना का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि माननीय मंत्री सम्बन्धित विषय पर चर्चा दें। विवरण वितरित करने का उद्देश्य यह है कि सदस्यगण अनुपूरक प्रश्न पूछ सकें। मैं जानना चाहता हूं कि आप सभी मामलों में एक ही नियम अपनाने जा रहे है अथवा कुछ विशेषमामलों में आप छूट भी देंगे।

अध्यक्ष महोदय : विवरण तैयार करने में कितना समय लगेगा।

श्री स्वर्णसिंह : पांच बजे तक तैयार हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई अच्छी प्रथा नहीं होगी यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो हम इसको अपना लेते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस एण्ड औपथैलमिक ग्लास लिमिटेड तथा इन्स्ट्रूमैन्टेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सूचनायें

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : मैं

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

(एक) (क) नेशनल इंस्ट्रूमेंटस एण्ड औपथैलमिक ग्लास लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) नेशनल इंस्ट्रमेंटस एण्ड औपथैलमिक ग्लास, लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2042/72]

(दो) (क) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा, का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2043/72]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :-

(एक) तांबा (बिजली के केबल और तारों के निर्माण में उपयोग का निषेध) संशोधन आदेश, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक, 12 अप्रैल 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 283 (ड) में, प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2044/72]

(दो) बिजली के केबल और तार (नियंत्रण) संशोधन आदेश 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 12 अप्रैल 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 284 (ड०) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2045/72]

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : मैंने नियम 222 के अन्तर्गत विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दे रखी थी।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं अनुमति न दूं आप किसी मामले को नहीं उठा सकते।

श्री विक्रम महाजन : क्या मैं नियम को पढ़ूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। माननीय सदस्य जो कुछ कहेंगे उसको रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री विक्रम महाजन : * *

भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय प्रशानिक सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 6 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 540 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2046/72]

(2) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 541 में प्रकाशित हुये थे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2047/72]

भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम

भारतीय पुलिससेवा (वेतन) निगम का दूसरा संशोधन

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधि-

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
**Not recorded.

नियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक, 22 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 451 में प्रकाशित हुये थे। [ग्रन्थालय में रखीं गई। देखिये संख्या एल० टी० 2048/72]

(2) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 का वर्ष 1972 का दूसरा संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 452 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2049/72]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : मैं 'जन-संचार-माध्यमों का समन्वय' के संबंध में प्रसारण और सूचना माध्यम संबंधी समिति के प्रतिवेदन के भाग 2 में की गयी सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखती हूँ। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2050/72]

गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति

Committee on Private Members Bills and Resolution

14वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 14 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

Committee on Subordinate Lagislation

तीसरा प्रतिवेदन

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति के बारे में वक्तव्य

Statement Re : Drought Conditions in some States

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : 1. माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने देश के कुछ भागों में कथित सूखे और अकाल की स्थिति के बारे में 14 अप्रैल 1972 को एक वक्तव्य दिया था। जैसाकि उस अवसर पर मैंने बताया था, महाराष्ट्र, मैसूर और

आंध्रप्रदेश के कुछ भागों में अभी भी सूखा सम्बन्धी राहत उपाय चल रहे हैं। यहां पिछले वर्ष सूखे की स्थिति पैदा हो गयी थी। उड़ीसा में भी पिछले वर्ष तूफान तथा बाढ़ें आने से राहत कार्य चल रहे हैं। तूफान तथा बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्रों के अलावा, उड़ीसा के कुछ भागों में पिछली खरीफ की फसल के विफल होने के कारण कमी की स्थिति पैदा हो गयी है और तदनुसार राहत कार्य शुरू किए गए हैं। राजस्थान के कुछेक जिलों में कमी की स्थिति पैदा हो गयी है। राज्य सरकार ने राहत उपाय शुरू किए हैं और केन्द्रीय सहायता मांगी है। बिहार में संथाल परगना जहां पहाडिये रहते हैं, में कमी की स्थिति पैदा हो गयी और राज्य सरकार ने आवश्यक राहत उपाय किए थे। पश्चिमी बंगाल में पिछले वर्ष बाढ़ें आने से और मन्दी तथा सूखे का मौसम शुरू होने से राज्य सरकार ने पहले ही टैस्ट राहत कार्य शुरू कर दिये हैं और सूचित किया है कि आवश्यकतानुसार ऐसे और राहत कार्य शुरू किए जायेंगे। मुफ्त सहायता को वितरित करने का कार्य भी शुरू किया गया है। अत: जैसा कि भारत सरकार को सूचना मिली है सभी मामलों में राज्य सरकार ने आवश्यक राहत उपाय पहले से ही कर लिए हैं।

2. इन उपायों में रोजगार अवसर पैदा करने के लिए कार्य शुरू करना, भू-राजस्व स्थगित करना, मुफ्त सहायता बाँटना, पीने के पानी की सप्लाई, उचित मूल्य की दुकानें खोलना, कृषि, मरम्मत कार्य और पुनर्वास के कार्यक्रमों के लिए ऋण देना शामिल हैं।

3. सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय सहायता विहित कार्यविधि के अनुसार की जाती है और जहां आवश्यक होता है वहां स्थिति का जायजा लेने और खर्च की उच्चतम सीमा निर्धारित करने जो कि केन्द्र और राज्यों के बीच बांटनी होती है, के लिए केन्द्रीय दल नियुक्त किए जाते हैं। पिछले वर्ष केन्द्रीय दलों ने आँध्रप्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्यों का दौरा किया था। इन दलों की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी गयी थी। जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, केन्द्रीय दल गठित किया गया है और यह दल स्थिति का जायजा लेने के लिए बहुत शीघ्र राज्य का दौरा करेगा।

4. सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि देश में जहां कहीं कमी की स्थिति पैदा हुई है वहाँ उसका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं। स्थिति पर बराबर निगरानी रखी जा रही है।

5. देश में खाद्य स्थिति बराबर सुगम बनी हुई है और कमी वाले क्षेत्रों में सरकारी वितरण के लिए खाद्यान्नों के बारे में राज्यों की सभी उचित जरूरतें पूरी की गयी हैं और की जायेंगी।

6. मैंने सदन में कई बार बताया है कि सूखा तथा अकाल समेत दैवी विपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करने की प्रारम्भिक जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की होती है। फिर भी, केन्द्रीय सरकार अपने विभिन्न मन्त्रालयों के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ बराबर सम्पर्क बनाये रखती है और जैसी स्थिति पैदा होती है, सहायता सुलभ करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से सभी पग उठाये जायेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) इस पर हमें चर्चा की अनुमति दी जाये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हम समय निकालने का प्रयास करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : नियमों के अनुसार यदि सभी शर्तों को पूरा किया गया हो तो स्थगन प्रस्ताव को चर्चा के लिए लिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि अब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया (बोबिली) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री शिन्दे के वक्तव्य पर चर्चा होगी ?

अध्यक्ष महोदय : हम पहले इस बारे में कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करेंगे। मैं तो प्रत्येक मामले पर चर्चा के पक्ष में हूं। प्रश्न केवल उसके लिए समय निकालने का है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matte of Urgenrt Public Importance

कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को भारत द्वारा सहयोग न दिये जाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा की गई कथित टिप्पणियां।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : श्रीमान मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को भारत द्वारा सहयोग न दिये जाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा की गई कथित टिप्पणियां।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रस्ताव संख्या 307 (1971) के पैरा 6 के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद को और सूचित करने की दृष्टि से 12 मई 1972 को एक रिपोर्ट पेश की है। 29 जनवरी 1972 को पहले पेश की गई एक रिपोर्ट में महासचिव ने यह कहा था कि मुख्य सैन्य प्रेक्षक भारत और पाकिस्तान से आवश्यक सहयोग पाने की कोशिश कर रहा था ताकि भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य प्रेक्षक दल युद्ध विराम की देख-भाल करने के विषय पर महासचिव को अपनी रिपोर्ट देने का कार्य भली-भांति पूरा कर सके और पाकिस्तान सैन्य अधिकारियों के साथ बात-चीत संतोषजनक रीति से पूरी हो गई थी तथा भारतीय सैन्य अधिकारियों के साथ बात-चीत चल रही थी। अपनी ताजी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि जम्मू तथा कश्मीर में सयुक्त राष्ट्र सैन्य प्रेक्षण में संबद्ध कार्य की स्थिति वैसी ही है जैसी कि उनकी पहली रिपोर्ट में बतायी गई थी और इसका यह परिणाम हुआ है कि वह परिषद को इसके बारे में पूरी तरह सूचना नहीं दे सके हैं।

महासचिव ने यह भी कहा है कि "भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य प्रेक्षक दल का जो तन्त्र अपने दायित्व के क्षेत्र में युद्ध विराम प्रेक्षण के बारे में महासचिव को जो रिपोर्ट देता है, वह यदि दोनों पक्ष चाहें, तो उन्हें बराबर सुलभ किया जा सकता है"

1949 के कराची करार के अधीन भारत पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सैन्य प्रेक्षक दल को भारत-पाकिस्तान करार के परिणामस्वरूप जम्मू तथा कश्मीर में स्थिर की गई युद्ध विराम रेखा के अधीक्षण का काम सौंपा गया था। पाकिस्तान ने दिसम्बर 1971 में उसी युद्ध विराम रेखा का

उल्लंघन किया था और वह अब नहीं रही है। 17 दिसम्बर 1971 को एक नई युद्ध-विराम रेखा बनी, जो प्रधान मंत्री द्वारा युद्ध-विराम की इकतरफा पेशकश का परिणाम थी, इसे जनरल याहिया खां ने स्वीकार कर लिया था।

उक्त सैन्य प्रेक्षक दल को 1949 के करार के परिणामस्वरूप उस समय वर्तमान विशिष्ट युद्ध विराम रेखा के संबंध में एक खास काम करने के लिए सौंपा गया था। हम महासचिव की इस इच्छा की सराहना करते हैं कि उक्त सैन्य प्रेक्षक दल को अब भी एक पार्ट अदा करना है, तो भी यह बात साफ जाहिर है कि इस संबंध में कोई करार नहीं है। यह बात मुख्य सैन्य प्रेक्षक और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियों को पहले ही समझाई जा चुकी है।

1971 की हथियारबन्द लड़ाई से बहुत सी समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं और हमारी यह इच्छा है कि उन्हें दोनों पक्षों द्वारा तय किया जाये ताकि स्थायी शांति लाई जा सके।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा अपने मतभेदों को दूर करने के लिए सीधे ही ऊंचे स्तर पर बात-चीत चलाने की कोशिशों का हवाला दिया है जिसमें मरी तथा इस्लामाबाद में दोनों के विशिष्ट दूतों की हाल में हुई वे बैठकें भी शामिल हैं जिनके परिणाम-स्वरूप 30 अप्रैल को एक संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ था। चूंकि वह शिखर वार्ता निकट भविष्य में होने ही वाली है, हम आशा करते हैं कि युद्ध विराम का कठोरता से पालन किया जायेगा और इस तरह बैठक की सफलता के लिए समुचित वातवारण तैयार करने में सहायता मिल सकेगी और भारत तथा पाकिस्तान में स्थायी शांति स्थापित की जा सकेगी।

श्री हरि किशोर सिंह : जब संयुक्त राष्ट्र-संघ जैसा संगठन पक्षपातपूर्ण बर्ताव करता है अथवा स्थिति की वास्तविकता समझने में असमर्थ रहता है तो तथ्यों को स्पष्ट किया ही जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र-संघ पाकिस्तान द्वारा काश्मीर में किये गये आक्रमण के परिणामों को समाप्त करने में आसमर्थ रहा है तथा 13 अगस्त, 1948 का अपना संकल्प लागू नहीं कर सका हैं।

1965 में पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण की संयुक्त राष्ट्र-संघ निन्दा नहीं कर सका है। जब बंगला देश का प्रश्न उठा तो भी वह पंगु रहा तथा वियतनाम युद्ध के बारे में किसी भी स्तर पर वार्ता करने में वह समर्थ नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन किये जाने की और संयुक्त राष्ट्र संघ के दल ने कोई ध्यान नहीं दिया। देश में यह भावना उग्र रूप धारण कर रही है कि अमरीका तथा चीन संयुक्त राष्ट्र संघ पर हावी हो रहे हैं तथा वे इस उप-महाद्वीप में शान्ति नहीं देखना चाहते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने जो वक्तव्य दिया है कि काश्मीर के प्रश्न पर हमारे देश ने सहयोग नहीं दिया, तो उसे देखते हुए यह जानना असंभव नही है कि इन उल्लंघनों और उकसाने के बीच एक कड़ी है।

क्या यह सही है कि महासचिव का प्रतिवेदन काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक दल के प्रधान के प्रतिवेदन के आधार पर है जो प्रतिवेदन पाकिस्तान की शिकायत पर आधारित है?

क्या सरकार ने महा सचिव को अपनी प्रतिक्रिया के बारे में अवगत करा दिया है कि वह काश्मीर के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र के रवैये को और अधिक सहन नहीं कर सकती ?

क्या सरकार समझती है कि काश्मीर में प्रेक्षक दल की उपस्थिति से अब कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार महा सचिव से अनुरोध करेगी कि वह काश्मीर से प्रेक्षक दल को वापस बुला ले और यदि महा सचिव इसका नकारात्मक उत्तर देते हैं तो क्या सरकार अपनी ओर से दल से अनुरोध करेगी कि वह हमारे देश को छोड़ दे ?

श्री स्वर्ण सिंह : निस्संदेह संयुक्त राष्ट्र संघ में विभिन्न सरकारों के हितों में टकराव होता है परन्तु महा सचिव अथवा सचिवालय पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि महा सचिव को चार्टर के अनुसार कार्य करना होता है तथा सुरक्षा परिषद्, महा सभा और संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों द्वारा किए गए निर्णयों के अनुसार कार्य करना होता है ।

माननीय सदस्य ने जो विशिष्ट प्रश्न किये हैं उनका मैं संक्षेप में उत्तर दूंगा । महा सचिव द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन स्पष्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि इस विशेष समस्या पर उनकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र सैन्य प्रेक्षक दल द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन पर आधारित है जिनके साथ भारत सहयोग नहीं कर रहा है । परन्तु पाकिस्तान सहयोग कर रहा है । जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि हमें संयुक्त राष्ट्र-संघ से कह देना चाहिए कि हम उसका रवैया सहन नहीं कर सकते, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि हम बहुत सी बातों पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के रवैये से उकता सकते हैं परन्तु हमें संयम एवं निश्चय के साथ अपना दृष्टिकोण रखना होगा और यदि हम अपना दृष्टिकोण बार-बार रखते रहेंगे तो उसे अवश्य ही समझा जायेगा । संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों के बारे में मैं पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका हूँ । संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के सम्बन्ध में जैसा रवैया अपनाना बुद्धिमतापूर्ण बात नहीं है ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : The statement by the U. N. Secretary General at a time when our country's Summit meeting with Pakistan is to take place shortly, is quite unfair.

The U.N. Observers in Kashmir have not been sent for finding a way out but they are working as imperialists' spies in our country and they hinder in one way or the other the strengthening of our relations with neighbouring countries including Pakistan. Has the Government sent a communication to Mr. Bhutto. The President of Pakistan or do they wish to send that so long as the U.N. Observers are there in Kashmir, the problems of both the countries are not going to be solved and has he agreed to it that the Observer should leave ?

May I know whether Government propose to suggest to the UN Secretary General to ensure human treatment to the five lakh Bengalis in Pakistan fill this issues are resolved ?

In vew of the efforts of the imperialists aiming at hindering the bilateral talks with Pakistan by making if such statements do the Government propose to order the UN obse rves to leave Kashmir ?

Hare the Government protested against the statement given by the UN secretary General ?

श्री स्वर्णसिंह : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात ही है कि पाकिस्तान के साथ संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है और हम उसे पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे है । सामान्य वातावरण में हम पाकिस्तान सरकार के साथ प्रत्येक पहलू पर बातजीत करते हैं परन्तु दुर्भाग्यवश

वैसा वातावरण इस समय व्याप्त नही है। जब शिखर वार्ता होगी तो उस समय इस प्रश्न पर विचार-विमर्श किया जायेगा कि संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक रहने चाहिये अथवा नहीं।

दूसरा प्रश्न पाकिस्तान में पड़े हुए बंगालियों के बारे में है। यह मामला मुख्यत. पाकिस्तान और बंगला देश के विचार करने का मामला है। जब पाकिस्तान और बंगला देश के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता होगी तो इस मामले पर चर्चा की जायेगी।

श्री रामवतार शास्त्री : हमारी क्या भूमिका है ?

श्री स्वर्णसिंह : हमारा काम पहले अपने मामलों को देखने का है।

जहां तक संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों के वापिस जाने का सम्बन्ध है, मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि नये समझौते के बिना उनका कोई वहाँ काम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालव का यह कार्य होगा कि वह उनके सम्बन्ध में क्या कहता है।

अन्त में, माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव के वक्तव्य के विरुद्ध कोई विरोध प्रकट किया है। विरोध करने की कोई बात नही है। हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिये जहां अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारे दृष्टिकोण के विरुद्ध अनावश्यक ही विरोध बढ़े वैसा करना न तो बुद्धिमतापूर्ण है और नहीं हमारे राष्ट्रीय हित में है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी (जालौर) : 1965 में हमने एक त्रिपक्षीय करार किया जिसके अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान ने सोवियत संघ के हस्तक्षेप तथा सहायता से समझौता किया। उसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र के प्रेषकों की उपस्थिति समाप्त हो गई क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ उस समझोते में पार्टी नहीं था। 1949 में युद्ध विराम रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच एक करार द्वारा निश्चित की गई थी।

1965 के बाद से वहां संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक क्यों हैं। ताशकन्द में 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया तो संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

श्री समर सेन जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हमारे स्थायी प्रतिनिधि हैं, 12 मई को डा० वाल्धीम को लिखे पत्र के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार के लिये वांच्छनीय नहीं है कि युद्ध विराम रेखा के उल्लंघन के बारे में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ को सूचित किया जाये ? ऐसा यदि नहीं किया गया तो विश्व मंच पर जनमत हमारे विरुद्ध हो जायेगा।

क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ से कहेगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच नई युद्ध युद्ध विराम रेखा के संदर्भ ने संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों का कोई प्रयोजन नहीं है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने कुछ जानकारी एकत्रित की है परन्तु वह ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है। यदि उन्हें सही जानकारी होती तो वह ऐसे प्रश्न नहीं बनाते।

उन्होंने बार-बार कहा है कि त्रिपक्षीय करार हुआ था। ताशकन्द में कोई त्रिपक्षीय करार नहीं हुआ था। यह करार भारत तथा पाकिस्तान के बीच था। इस पर हस्ताक्षर ताशकन्द में किये गये थे।

मुझे पता नहीं कि उनको यह जानकारी कहाँ से मिली कि 1965 के करार के बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों की भूमिका समाप्त हो गई। यह सही नहीं है। 1965 में वापसी के बाद भी संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों ने आपनी सामान्य भूमिका जारी रखी। अब परिस्थिति भिन्न है। नई स्थिति में क्या भूमिका होनी चाहिए यह करार का मामला है जो अभी तक हुआ नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : मंत्री महोदय ने श्री समर सेन द्वारा महा सचिव को दी गई सूचना के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री स्वर्ण सिंह : हम अपने स्थायी मिशन के माध्यम से महा सचिव तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को नई स्थिति के बारे में अवगत कराते हैं और अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब दोनों देश द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए सहमत हो गये हैं। यह दोनों देशों के आपसी हित की बात है कि बाह्य एजेन्सियां इसमें कम से कम रुचि लें। मैं माननीय सदस्य के संतोष के लिये उन्हें सूचित करता हूं कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय को पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा के उल्लंघन किये जाने के बारे में सूचित कर रखा है।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda) : The statement by the U. N. Secretary General at this time is not without significant. Certain big powers who liberally helped Pakistan during December last when she attecked our Country, have a hand in the making of this statement.

This statement goes against the interest of India. Apart from that, I think this statement to a deliberate attempt to sabotage our summit talks which are going to take place shortly. May I know the steps the Government are going to take to ensure that the UN Secretary General will not vitiate the atmosphere by giving such statements ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे लिए यह पुष्टि करना या इन्तजार करना कठिन है कि दूसरे देश पाकिस्तान को उकसाते हैं परन्तु पाकिस्तान को भी अपने हितों को देखना है जो भारत के साथ करार करने में ही विदित है तथा दोनों देशों के हितों में है।

महासचिव के प्रतिवेदन की आलोचना पूर्णतया उचित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्चतम विशिष्ट व्यक्ति के लिए इतना कुछ कहना सही नहीं है क्योंकि वह राष्ट्रसंघ की भावना का प्रतिनिधित्व करता है मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे महासचिव पर आरोप न लगायें। यह कहना उचित नहीं है कि महासचिव पर प्रभाव डाला जाता है।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : It is true that the Government of India has taken the right step to settle their problems by bilaterial talks. But the point mentioned in the statement of the UN Secretary General are stated at a time when the U.S.A. and China are coming closer and the leaders of the various countries have given their statements, in the background of all these statements. If the Government is aware of the wicked design of those countries, the steps Government propose to take to lustorate the same ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सोचना सही नही है कि पाकिस्तान दूसरे देशों के उकसाने से अपने हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा। उसे उकसाया जा सकता है परन्तु जिसे उकसाया जाता है उसकी अपनी भी कोई समझ होती है। हमारे लिये पाकिस्तान की सामर्थ्य का अनुमान इस ढंग से लगाना उचित नहीं है।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याहन भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर चार मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minuts pass fourteen of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

वित्त विधेयक, 1972 जारी

Finance Bill 1972 Contd.

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : While supporting the Finance Bill I pay my gretitude to the hon. Minister for taking interest in developmental and social welfare programme even in the state of emergency in the country last year. I hope Government would take steps to remove disparity in the society.

Now I would like to draw the attention of the hon. Minister to the great secrificed made by our Jawans during the last war. Many Jawans laid their lives and many Jawnas lost their limbs. Many of them have been removed from the service. It has been observed that government have not rehabilitated such Jawans properly I therefore, suggest that government should pay more attention to their proper rehabilitation in order to gives them encouragment.

Regarding ceili ng on agaricultural land I suggest that vigorous stepes should taken by the government to implement land ceiling. It is correct that surplus land got likely to be after land ceiling can not be distributed among all the landless. But suply for that reason government should not drop the idea of land cailing, government should also set-upan efficient Administrative machinery for theimplementation of land celling have to check any circumscation of the land,

Likewise an efficient administrative machinery is required to implement ceiling of urban property otherwise the very purpose of ceiling would be completaly defeated. I am totally opposed to the clouse pertaining to exemption from fixation of ceiling and demand that it should be deleted. Industries like tea gardens, rubber plantation should be nationalised in view of the fact that these industries earn foreign exchange resulting in exploitation of workers and concentration of economic power in the hands of big industrialists. It is the duty of the government to ameliorats the economic condition of the peasants considerable disperity between the facilities available of inhabitants of urban and rural areas large number of peasants are drifting to big cities. It has been observed that 20 to 25 per cent of peasants do not have their own houses even after 25 years of independence. The people living in urban areas have been provided with so many facilities. I, therefore. suggest that government should create an atmosphere in which peasants should feel that they are also the citizans of the country and enjoy the same facilities and right which are enjoyed by the urban population.

So far as the removal of poverty in concerned poverty not an inanimate object which could be removed. The best way of removing poverty from the country is to make the necessities of life, that is food, cloths, medicines etc., available to the common men. If it is done poverty will be automatically banished from the country.

Regarding the enbankments proposed to be built between Buxer and koilwar on both sides of the Ganga the hon. Minister made a statement yesterday that the people whose houses would come inside the embankments would have to leave their houses for four months and have to live four-five miles away. It is a mead projects. According to the statement of the hon. Minister in number of beneficiances after completion of the embankments would be three lakh but he has not taken into consideration the number of those persons who would be displaced thereby construction of kosi enbakment has also coused difficulties to that area last year the people of Bihar had to face a disasrtrous flood which caused heavy last to them. I am sorry to abserve that government have not helped so many people to reconsturcts their houses.

Northern part of Bihar is the most backward area and I suggest that government should set up a development machinary to take up devel)pment work in the backward area.

Area of Chota Nagpur in rich in minerals like coal, iron etc. In the interest of National integrity I support the steps of the gove:nment for making the product of that area available to the people of all parts of the country through National projects. But It is also necessary to give proper participation to local people in the private and public projects in the matter of employment and trade.

I support this Bill and suggest that to make the schemes a success those government should assign the implementation of there so hance to there who are committed to them and who have full faith in them.

श्री समर गुह (कटाई) : बंगला देश की स्वतन्त्रता के कारण हमारे स्वतन्त्रता दिवस का महत्व और बढ़ गया है। यदि आज गांधी जी जीवित होते तो सम्भवतः वह पहली बार स्वतत्रता दिवस समारोह में भाग लेते। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी ने समारोह में भाग नहीं लिया था। उस दिन उन्होंने हरिजन में एक लेख लिखा था जो बाद में शब्दस: सत्य निकला। श्री अरविंदु ने भी 15 अगस्त 1947 को लिखा था कि हिन्दू-मुसलमानों का साम्प्रदायिक विभाजन अब देश का स्थाई राजनीतिक विभाजन होने की आशंका है उनके विचार से देश के विभाजन को रोका जाना असम्भव था।

सरकार स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती मनाने का कार्यक्रम वना रही है। गत 25 वर्षों में देश की जनता को राजनीतिक स्वतन्त्रता अवश्य मिली है किन्तु उसे आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं मिली राष्ट्रीय आय के वितरण के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि गरीब जनता की आय में और कमी हुई है। तथा धनी वर्ग की आय में अधिक वृद्धि हुई है। योजना आयोग के सदस्य श्री सिन्हा द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 17 प्रतिशत जनता का राष्ट्रीय आय में भाग 60 प्रतिशत रहा जबकि 83 प्रतिशत जनता का कुल भाग केवल 40 प्रतिशत रहा। राष्ट्रीय व्यवहारिक अर्थशास्त्र परिषद, जो सरकारी संस्थान हैं, के अनुसार हमारी राष्ट्रीय आय का लाभ केवल देश के 20 प्रतिशत लोग ही उठा रहे हैं। अतः यह सिद्ध हो गया है कि गरीब जनता गरीब होती जा रही है तथा धनी वर्ग और धनी होता जा रहा है।

1962 में योजना आयोग ने अनुमान लगाया था कि 1975-76 तक भारतीय जनता के सभी वर्गों के उपभोग का निम्नतम स्तर 20 रुपया प्रति मास होता किन्तु चोथी पंचवर्षीय योजना के अनुसार 20 प्रतिशत जनता के उपयोग का स्तर 20 रुपया प्रति मास से बहुत कम है तथा 1980-81 तक उनका यही स्तर रहेगा। 10 प्रतिशत जनता का उपयोग का स्तर 13.3 रुपया प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसी कारण चोथी योजना में निम्नतम उपयोग के लक्ष्य को त्याग दिया गया।

जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है 1950 में बेरोजगारी की संख्या 33 लाख थी, जो 1974 में बढ़ कर 171 लाख हो जाएगी। इतना ही नहीं 1979 के बाद बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 300 लाख होने की सम्भावना है तथा इनके लिये रोजगार के अवसर बनाने के लिए सरकार को 75,000 करोड़ रुपयों का परिव्यय निर्धारित करना होगा।

इस विकट समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को तुरन्त कोई कदम उठाना चाहिये। स्वतन्त्रता की रजत रयन्ती मनाते समय सरकार को इस समस्या पर विचार करना चाहिये तथा

समारोह के अवसर पर रोशनी खान पान आदि पर व्यर्थ का खर्च न करके ऐसे कामों पर धन खर्च करें जिससे गरीब जनता को कुछ आर्थिक राहत मिलेगी। गरीबी हटाने के लिए सरकार को 10 सत्रीय कार्यक्रम बनाना चाहिये जिससे जनता राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक स्वतंत्रता भी समझ सके।

(1) 200 रुपया से कम मासिक आय वाले परिवारों को राज सहायता प्राप्त भोजन दिया जाना चाहिए।

(2) ऐसे परिवारों का मुफ्त इलाज किया जाना चाहिये तथा 10,000 जनसंख्या के लिये एक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये।

(3) इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के सभी आवास हीन परिवारों को भूमि तथा मकान निर्माण सामग्री दी जानी चाहिये।

(4) 200 रुपया मासिक आय वाले परिवारों के सभी सदस्यों को प्रति वर्ष चार-चार जोड़ी वस्त्र राज सहायता प्राप्त पर मिलने चाहिये।

(5) देश में सभी बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये।

(6) 12 वर्ष की आय के सभी छात्रों को मुफ्त दूध मिलना चाहिये।

(7) सभी शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिये तथा दी गई राशि में से उनसे 30 प्रतिशत राशि उन्हें रोजगार मिलने पर 10 वर्ष की अवधि में वसूल की जानी चाहिये।

(8) भूमि की अधिकतम सीमा कानून को रजत जयन्ती वर्ष में पारित किया जाना चाहिये तथा बटाई पर खेती करने वालों के हितों की रक्षा होनी चाहिये और फालतू भूमि का उचित वितरण किया जाना चाहिये।

(9) नगरीय सम्पत्ति अधिनियम बनाना चाहिये तथा दर देकर व्यक्ति को मकान मिलना चाहिये तथा उन्हें मकान बनाने के लिए ऋण दिया जाना चाहिये जिसे 30 वर्ष में वसूल किया जाए।

(10) साधन हीन वृद्धों को पेंशन देना आरम्भ किया जाना चाहिये।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : वित्त विधेयक का समर्थन करने के साथ-साथ मैं कचार जिले की कुछ समस्याओं का उल्लेख करना चाहती हूँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र के बनने पर वहां जनता में आशा जागी है। किन्तु कचार जिले के लोगों के लिए कोई उल्लेखनीय विकास कार्य नहीं किया गया तथा उन्हें इस क्षेत्र में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गोहटी विश्वविद्यालय ने शिक्षा का माध्यम असमिया बनाने का निर्णय किया है इससे कचार जिले के विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाई होगी। क्योंकि उनकी भाषा बंगाली है। अतः मेरा अनुरोध है कि उन विद्यार्थियों के लिए बंगाली माध्यम रखा जाये अथवा सरकार को कचार में विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहिए। मुझे ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बंगाली में पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए गोहाटी विश्वविद्यालय को 25 लाख रुपयों का अनुदान दिया है।

1961 की जनगणना के आधार पर देश में साक्षरता की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है किन्तु आसाम में साक्षरता की प्रतिशता 29.19 से घट कर 28.81 रह गई है। मुझे इसके सही कारणों

का ज्ञान तो नहीं है किन्तु कहा जाता है गैर असमिया भाषी लोगों की आसाम घाटी क्षेत्र में गणना ही नहीं की गई। मैं अनुरोध करती हूं कि सरकार इस मामले की जांच करे।

कचार जिले में पाकिस्तानी घुसपैठियों के प्रवेश को रोकने तथा उनकी तोड़-फोड़ गतिविधियों को समाप्त करने के लिये सराहनीय कार्य किया है। हाल ही में उस जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ डकैतियां पड़ी हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में अधिक सतर्क रहे।

कचार जिले में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। गैर-असमिया भाषी लोगों को वहां रोजगार प्राप्त करने में भारी कठिनाई होती है। चाय उद्योग के अतिरिक्त वहां कोई उद्योग नहीं है। आसाम में चाय की किस्म में सुधार करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार को चाय उत्पादकों की सहायता करनी चाहिए। कचार में मजदूरों की छंटनी की जा रही है। तथा उन्हें कोई वैकल्पिक रोजगार भी नही दिया जा रहा। अतः मेरा सुझाव है कि भूमि की अधिकतम सीमा लागू करने पर प्राप्त होने वाली भूमि को भूमिहीन लोगों में बाँटा जाना चाहिए।

खेद है अभी तक कचार रजीनल इंजीनियरिंग कालेज की अभी तक स्थापना नहीं हुई है। कहा जाता है इसका कार्यालय शिलांग में है। मेरा अनुरोध है कि उक्त कालेज की स्थापना चौथी योजना में होनी चाहिये।

सिल्चर मैडिकल कालेज के विद्यार्थियों को पूरी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। प्रस्तावित वरक परियोजना के कारण आसाम और मनीपुर में उत्पादन समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। इस परियोजना के पूरे होने पर उस क्षेत्र का विकास हो सकेगा तथा वहां की जनता को बिजली प्राप्त हो सकेगी।

कचार में प्रस्तावित कागज मिल की शीघ्र स्थापना होनी चाहिये तथा स्थानीय जनता को उस में रोजगार दिया जाना चाहिये।

अन्त में मेरा सुझाव है कि चीनी, कपड़ा, दाल आदि के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण मध्य वर्ग को कठिनाइयां हो रही हैं। अतः मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये उपाय किये जाने चाहियें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वर्ष 1950-51 में प्रत्यक्ष कर से आय 47.1 प्रतिशत थी। तथा अप्रत्यक्ष कर से 52.9 प्रतिशत। अब 1972-73 में कुल राजस्व 5,348.77 करोड़ रुपये है, कर से प्राप्त राजस्व 4,228.50 करोड़ रुपया है तथा प्रत्यक्ष कर 26.5 प्रतिशत है और अप्रत्यक्ष कर 73.5 प्रतिशत है। इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि सरकार किस प्रकार जनता की खाल खींच रही है।

1950-51 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की राशि 67.54 करोड़ रुपये थी तथा 1972-73 में यह बढ़कर 2,330 करोड़ रुपये हो गई है। इसके अतिरिक्त 1950-51 में विकासेतर कार्यों पर व्यय की राशि 291.5 करोड़ थी जो 1970-71 में बढ़कर 2,159.5 करोड़ रुपये हो गई। इससे सरकार का रवैया स्पष्ट ज्ञात होता है।

जहाँ तक विदेशी ऋण का प्रश्न है देश दिन प्रतिदिन अधिक ऋणी होता जा रहा है। 1950-51 में अमरीका का 91.72 करोड़ रुपये का ऋण था जो अब 1 72-73 में 4,772.14 करोड़ रुपये है। यह बजट एकाधिकार को बढ़ावा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सरकार

राष्ट्रीय आय को पुनः धनी वर्ग में वितरित करना चाहती है तथा आम जनता को उनके जीवन के लिये आवश्यक वस्तुएं देने से भी इंकार करती है। अतः गरीबी हटाने का कार्य इस प्रकार सरकार एक सदी में भी पूरा नहीं कर सकती।

लोक लेखा समिति ने अपने 43 वें प्रतिवेदन में कहा है कि सीमा शुल्क की राशि घटती जा रही है जबकि सीमा शुल्क विभाग का व्यय बढ़ता जा रहा है। विभाग को यह ज्ञात नहीं है भारत में कितने माल की तस्करी होती है। प्रधान मंत्री कभी कभी समाचार पत्रों में ऐसे वक्तव्य देती हैं जिससे जनता समझे कि उन्हें वास्तव में ऐसे मामलों से बहुत दुख होता है।

श्री चन्द्रशेखर ने राज्य सभा में एक बिड़ला फर्म पर कर अपवंचन का आरोप लगाया था जिसके परिणाम स्वरुप उसकी जांच कराई गई तथा श्री के० आर० गणेश ने लोक-सभा में बताया कि उस जांच के परिणाम स्वरूप उस फर्म से 30·40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर वसूल किया गया। केवल एक फर्म की जाँच से इतने अधिक कर की चोरी का पता लगाया गया, इससे देश में कर अप वंचन की कुल राशि का अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तव में सरकार स्वयं उन्हें प्रोत्साहन देती है।

शाहडोल स्थित ओरिएंट पेपर मिल को 6 रुपया प्रति टन के भाव से बांस बेचा जा रहा है जबकि उसका बाजार भाव 200 रुपये से 300 रुपये प्रति टन है। इन सारी बुराइयों का मूल कारण वह काला धन है जो कर की चोरी से जोड़ा जाता है। इसी से देश की राजनीतिक-आर्थिक शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

वांचू समिति ने दिसम्बर, 1970 में विमुद्रीकरण, नकदी और जेवरात की अधिकतम सीमा निर्धारित करने तथा पूंजी पर कर लगाने की सिफारिश की थी किन्तु सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार करने की बजाय समिति के सदस्यों पर यह दबाव डाला कि प्रतिवेदन प्रस्तुत न किया जाए तथा अन्तरिम प्रतिवेदन की सामग्री का अन्तिम प्रतिवेदन में कोई उल्लेख न किया जाए। इनका कारण यह है कि एक विशिष्ट पार्टी देश में जमा काले धन का उपयोग करना चाहती थी तथा उसने गत दो चुनावों में असंख्य काले धन का उपयोग किया। (व्यवधान) उस मार्ग की मेरे पास एक फोटोस्टेट कापी है जो श्रीमती इन्दिरा गांधी का पाँच भाषाओं में 8 लाख पोस्टर छापने के लिये श्री गोयंका सरस्वती प्रिंटिंग प्रैस को दिया गया था। यह चुनाव के दौरान किया गया था। यदि आप चाहें तो मैं इसे सभा-पटल पर रख सकता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी या उनकी पार्टी इस प्रकार बड़े-बड़े एकाधिकार प्राप्त उद्योग पतियों से भारी धनराशि लेती हैं। मैं इसे सभा-पटल पर रखना चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे आप मुझे दीजिए।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : महोदय। इन्होंने कांग्रेस पार्टी और उनके नेता की निन्दा की है। नियम 353 के अन्तर्गन्त कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी सदस्य के लिये ऐसा नहीं कर सकता। अतः उनकी यह टिप्पणी कार्यवाही से निकाल देनी चाहिये। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को संसद से अपने विचार प्रकट करने चाहिए। वाद विवाद के दौरान यदि ऐसी कोई बात आती है तो अध्यक्षपीठ कुछ करने में असमर्थ है। सभा में सरकार पक्ष भी विद्यमान हैं तथा सरकार अपनी बारी में इसका खण्डन कर सकती है।

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : उचित यह था कि श्री बासु अध्यक्ष की अनुमति लेकर इस बात का उल्लेख करते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूँ ।

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : यदि माननीय सदस्य ने वित्त विधेयक तथा उससे सम्बन्धित मामलों की चर्चा की होती तो उचित था किन्तु उन्होंने केवल इस का.ी को प्रस्तुत करने की योजना बनाई हैं । (**व्यवधान**)

इसे सभा पटल पर रखने कि यह सिद्ध नहीं होता कि यह सही भी है । अतः माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है वह उचित है । सम्भव है किसी ने यह कार्य प्रधान मंत्री से परामर्श लिये बिना ही किया हो । अतः उनका यह आरोप निराधार है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप की पार्टी ने गत चुनावों में काला धन इकट्ठा किया है (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अचानक इस सभा के माननीय सदस्यों पर या प्रधान मंत्री और मंत्रियों पर इस प्रकार आरोप लगाना अनुचित है । माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है तथा सरकार को उसका खण्डन करने का अधिकार है अब मैं इस दुविधा में हूँ कि क्या करूं ।

वित्त मन्त्री ने इसका खण्डन किया है । उन्होंने कहा है कि ये सब काल्पनिक बातें हैं । यह बात रिकार्ड में है । सभापति द्वारा उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकालने की अपेक्षा सरकार द्वारा उनका खण्डन किया जाना अधिक उपयुक्त हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कम्पनियों द्वारा अनुदान दिये जाने पर मनाही है, अथवा नहीं । पोस्टरों के लिए 5 लाख रुपये कहां से दिये गये ? हम इसका स्पष्ट उत्तर चाहते हैं ।

श्री सी० एन० स्टीफन (मुक्तुपूजा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हर एक माननीय सदस्य को कुछ नियमों के अनुसार संरक्षण प्राप्त है । माननीय सदस्य के भाषण द्वारा नियम 252 (ii) का उल्लंघन करके एक सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया गया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह सरकार तथा शासक दल पर सीधा आरोप है ।

मैं समझता हूं कि भाषण की स्वतन्त्रता के साथ सदस्यों के आरक्षण की भी व्यवस्था है। वित्त विधेयक पर चर्चा करते समय ऐसी बातें कही जाती हैं जिनका उक्त विधेयक से दूर का भी सम्बन्ध नही होता । यदि इस पर सदन में विरोध न होता तो ठीक रहता । नियमों का दोहरा उल्लंघन किया गया है अतएव हम आपसे आरक्षण चाहते हैं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : आपने ठीक बात कही है कि जब कुछ आरोप लगाये जाते हैं तब सभापति द्वारा उसके खण्डन करने के स्थान पर उनका सरकार द्वारा खण्डन किया जाना अधिक उपयुक्त है । यह मामला अत्यन्त गम्भीर है अतएव सरकार को चाहिये कि वित्त मन्त्री द्वारा किए गए खण्डन की पुष्टि को प्रमाणित करे । यदि लगाये गये आरोप गलत सिद्ध नहीं होते तो हम अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं । ऐसे प्रत्यक्ष आरोपों का मन्त्री द्वारा खण्डन ही पर्याप्त नहीं अपितु उनके खंडन करने वाली सामग्री को संसद के सम्मुख रखा जाना चाहिए ।

श्री विक्रम महाजन : आपको मेरी आपत्ति को स्वीकार कर लेना चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी विचित्र स्थिति है। श्री महाजन ने सभापीठ का ध्यान उस नियम की ओर दिलाया है कि यदि कोई सदस्य किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाता है तो उसे उसकी पूर्व सूचना देनी होगी। परन्तु यदि वह 'व्यक्ति' इस सभा का सदस्य है तो स्थिति स्पष्ट नहीं है।

दूसरे मैं नहीं चाहता कि देश में यह धारणा बने कि सरकार लगाये गये आरोपों का खंडन करने के लिए सभापीठ का सहारा ले रही है।

मैं चाहूँगा कि सरकार ही इसका खंडन करे। उन्होंने कह दिया है कि यह निराधार है। अब श्री बसु को और बातों की ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री विक्रम महाजन : आपने हमें ठीक नहीं समझा। हम आरोपों को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हैं।

श्री पी० वैंन्कटासुब्बया : मेरा एक व्यवस्था का नया प्रश्न है। आपने 'व्यक्ति' की परिभाषा करते हुये बताया कि "जो इस सभा का सदस्य नहीं है।" इससे बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरे निर्णय को चुनौती देते है ?

श्री पी० वैंन्कटासुब्बया : मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आपसे पुनर्विचार के लिए निवेदन करता हूं। क्योंकि इससे कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध आरोप लगा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पुराने सदस्य हैं। अपनी बात पर आग्रह मत करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में समाजवाद और भूमि की अधिकतम सीमा के वारे में बड़े बड़े वायदे किये थे।

कृषि मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में जो 10-18 एकड़ का उल्लंघन किया गया है उसे सरकारी स्रोतों से संचित भूमि जो दो फसलें पैदा कर सके' तक सीमित रखा गया है। सीमा सम्बन्धी कानून सभी प्रकार के स्वामित्व; भूमि भवन उद्योगों पर लागू होने चाहिए। भूमि स्वामियों को अपनी भूमि को स्थानाँतरित करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है।

एकाधिकार गृहों को और भी लाइसेंस दिये गये हैं। श्री बी० आर० मोहन की फैक्टरी ने लाइसेंस दी गई क्षमता से अधिक बीयर का उत्पादन किया है। उन्हें कांग्रेस ने राज्य सभा का सदस्य बनाया तथा श्री संजय की मोटर कार कम्पनी का चेयरमैन भी बनाया गया है।

हाल के दरभंगा में हुए चुनाव पर 60 लाख रुपये व्यय किये गये जोकि एक ही व्यक्ति ने दिये है।

यूनियन कार्बाइड में एक केन्द्रीय मंत्री के लड़के को बड़ी पदवी दी गई है।

विदेश मंत्री ने एक पद कैटरिंग की उपाधिकारी महिला को दिया है। उसके लिए विज्ञापन क्यों नहीं दिया गया।

चुनाव के दौरान इन कांग्रेस वालों को हवाई जहाजों द्वारा लाने ले जाने पर भारतीय वायु सेना ने जनता का कितना धन व्यय किया ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हुगली पुल कार्य वहाँ के मंत्री के निकटस्थ मित्र को दिया गया है। सारा दल एकाधिकार एवं काले धन पर निर्भर कर रहा है । मैं इसे सभा पटल पर रखता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे दें । मैंने सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं दी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इसे अच्छी प्रकार देखें । श्री चव्हाण ने कलकत्ता टेलीफोन किया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य समाप्त नहीं करते तो इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

Shri Bishwanath (Deoria) : While supporting the Finance Bill, I want to draw his attention towards the social system prefered to be introduced. Eighty percent of our population lives in villages. Their produce is sent to cities and middlemens expolect their in these transactions. You should bring out such legislation as would enable the producers get a fair price for their produce and the consumer may get his requirement at reasonable prices.

The capitalists have monopoly on agricultural produce and the products of Industrial Section. These people are given more and more licences. This attitude is against the admitted policy of the congress party.

Their has been a deciline in per capita income of Uttar Pradesh. This decline has been continuing in U.P. during every successive plan. In the first time plans Government spent 694 crores of rupees of which net even 1 crore was spent in U.P.

In the first three plans the centre intrested 1838 crores of rupees of which U. P. get 3.8 percent whereas the population of the state is 17 per cent. The state is, today backward in every sphere.

Sugar cane is the main produce of U.P. At present it is on the decline. Although the Mills are earning a lot of profit, yet the cane-growers get low prices for sugar-cane. The Government should look into it.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह संतोष की बात है कि एकाधिकार गृहों के महत्वपूर्ण प्रश्न पर इस सभा के लगभग मतैक्य हैं । इधर के सभी सदस्य एकाधिकार गृहों को अधिकार में लिये जाने के पक्ष में है । आश्चर्य इस बात पर है कि वित्त मंत्री को इस बारे में घोषणा करने में क्या अड़चन है ।

मुझे उम्मीद नहीं कि सरकार ऐसा करेगी । सरकार ने उन व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करने से भी इन्कार कर दिया है जो करों की अदायगी में पीछे हैं । मेरा सुझाव है प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रीगण उन पार्टियों में सम्मिलित न हों जिनका नेतृत्व इन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन पर आय कर बकाया है ।

सरकार की इस नीति के कारण कुछ मंत्रालयों के निजी सचिव रातों रात लाखों के स्वामी बन गये हैं ।

केरल के एक निजी सचिव के क्रिया कलाप की जांच हो रही है। उसका राजधानी पिक्चर्ज, दिल्ली तथा करनाटक कार्पोरेशन से भी सम्बन्ध है। उक्त कम्पनी को 90 लाख रुपया के मूल्य का स्टेनलेस स्टील का कोटा दिया गया है।

वित्त मंत्री द्वारा नागर वाला के मामले पर पर्दा डालने से ,हमारे संदेह और भी बढ़ जाते हैं। यदि वह ऐसे ही करते रहे तो उनकी सत्य निष्ठा पर संदेह प्रकट किया जाने लगेगा। इस बारे में न तो स्टेट बैंक ने और न हीं सरकार ने उस घटना का संतोषजनक उत्तर दिया है।

भारी जनमत प्राप्त करने के पश्चात सरकार ने दो बजट प्रस्तुत किये हैं। ये दोनों ही गरीबों के विरुद्ध हैं और गैर-समाजवादी है।

बजट द्वारा कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं की गई जिससे वित्तीय पद्धति का सामाजीकरण किया जा सके। सम्पदा शुल्क तथा सम्पत्ति कर अप्रभावकारी हैं। यह उपाय पूंजीवाद को धक्का न लगा कर उसका पोषण ही करते हैं।

ब्रिटेन में 1937 में राष्ट्रीय आय का 8.8 प्रतिशत पुनः वितरित किया गया था जबकि 1947 में वह 13.1 प्रतिशत हो गया।

इस समय हमारी 50 प्रतिशत जनता को राष्ट्रीय आय का 21 प्रतिशत उपलब्ध होता है और 5 प्रतिशत जनता को 22 प्रतिशत मिलता है। इस असमानता का शीघ्र उन्मूलन किया जाना चाहिए।

हमारे देश में करों का आधार वित्तीय परिलब्धियां ही हैं। भौतिक परिलब्धियों को उसमें प्राय नहीं लिया गया, जिसे कि लिया जाना चाहिए।

औद्योगिक उत्पादनों के घटने के साथ साथ करों से राजस्व की आय भी घटती रही है। उसे बढ़ाने के लिये उत्पादन का बढ़ाया जाना आवश्यक है।

यदि हम 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रमों को क्रियन्वित करना चाहते हैं तो हमें औद्योगिक उत्पादन को प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से बढ़ाना चाहिए।

श्री धरनीधर दास (मंगलदायी) : हमने जनता को 1971 और 1972 के निर्वाचनों में समाजवाद के लिये अभिवचन दिया है। जनता ने कांग्रेस को समाजवाद को कार्यन्वित करने का निदेश दिया है। समाजवादी देशों के समान हमें भी भारत को महान शक्ति बनाना चाहिए।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

राष्ट्रीय आयोजन एवं समाजवाद को अपनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि धन के कुछ ही हाथों में इकट्ठा होने को रोका जा सके। बिड़ला की सम्पत्ति 1947 में 40 करोड़ थी जो 1967-68 में 515 करोड़ रुपए हो गई। जबकि देश में 2 करोड़ लोग $10\frac{1}{2}$ पैसे प्रतिदिन पर निर्बाह कर रहें है। देश की 60 प्रतिशत जनता को 20 रुपए मासिक मिल पाता है।

अतः हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि देश समाजवादी कार्यक्रम लागू करने तथा समाजवादी अर्थ व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहा है जबकि हमें हर सूरत में ऐसा करना चाहिए था।

जहां तक असमानताओं का प्रश्न है उसे क्षेत्र-वार देखने से पता चलता है कि वर्ष 1955 में जहां राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 280 रु० थी उसमें ग्रामीण क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय 185 रु० थी और शहरी क्षेत्र की 411 रु० थी।

प्रादेशिक असमानता भी देश में बहुत बढ़ी है जिसके फल स्वरूप पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से असम में एक प्रकार की क्रान्ति की भावना पैदा हो रही है। क्योंकि वहां उद्योगों का विकास पूंजीवादी ढंग से हो रहा है, वर्ष 1964 में असम में देश के कुल कारखानों का दो प्रतिशत भाग था जिसका 90 प्रतिशत भाग गैर सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत पूंजीपतियों के अधिकार में था और इन्होंने 49% की दर से लाभ कमाया। यह वह समय था जब कि असम की प्रति व्यक्ति औसत राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से भी कम थी। पूंजीवादी औद्योगिक विकास के कारण यह अब और भी कम हो गई है। अतः यह पूंजीवादी विकास देश में समृद्धि को नहीं बल्कि निर्धनता को ही बढ़ायेगा।

अतः मेरा सुझाव है कि देश से क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक असमानता को दूर करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने के लिये हमें एक समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, सभी सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिये, और गैर सरकारी क्षेत्र को जोकि इस समय देश की औद्योगिक अर्थ व्यवस्था का दो तिहाई और कुल अर्थ व्यवस्था का तीन-चौथाई भाग है, को संकुचित किया जाना चाहिये। इसी प्रकार हम देश से गरीबी हटा सकते हैं तथा यहाँ समृद्धि ला सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं वित्त मंत्री को सांय 4.40 पर बुला रहा हूं और अभी 12 सदस्यों ने बोलना है। यदि वे थोड़ा-थोड़ा समय लें तो हम सभी की बात सुन सकते हैं।

श्री पी० वैंन्कटा सुब्बया (नन्दयाल) : मंत्री महोदय भाग्यशाली हैं कि वह एक ऐसा बजट पेश कर सके जिसका अधिक विरोध नहीं किया गया। परन्तु यह इस लिये भी हुआ कि उन्होंने कुछ समय पूर्व तो एक अनुपूरक बजट पेश कर दिया जिससे उन्हें काफी कर राजस्व मिल गया और यह नियमित बजट भी उन्होंने इस रूप में पेश किया कि सभी को स्वीकार्य रहा। साथ ही यह बजट भी इस लिये इस रूप में आया कि देश के बंगला देश को मुक्ति संग्राम में योगदान देना पड़ा एक साथ अनेक प्राकृतिक विपत्तियां भी देश पर आई।

इसी संदर्भ में वान्चू समिति का प्रतिवेदन आया जिसमें काला धन सम्बन्धी विवरण ने सब को चौंका दिया। इस समिति के अनुसार देश में प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये की राशि पर कर की चोरी होती है। समिति ने कुछ उपचार भी सुझाए हैं। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि आज काले धन के जोर पर चल रही एक प्रकार की समानान्तर अर्थव्यवस्था से कितना खतरा है। मेरे विचार से पूंजीपतियों द्वारा पैदा की गई यह समस्या गत दो विश्व युद्धों द्वारा उत्पन्न समस्याओं से भी अधिक जटिल हैं। हमने बंगला देश तथा पश्चिमी मोर्चों पर राजनैतिक युद्ध तो जीत लिया परन्तु देश में भारी पूंजीवाद तथा नौकरशाही के कारण अपना वित्तीय मोर्चा नहीं जीत सके। यद्यपि यह समस्या कोई अकस्मात तो पैदा नहीं हुई परन्तु गत बीस वर्षों में जब कभी भी इस सम्बन्ध में कानून बनाया गया तो उसमें बड़े बड़े व्यापार-गृहों को लाभ पहुंचाने के लिए उनमें जान बूझकर कुछ त्रुटियां रखी गई। इसका एक उदाहरण यह है कि बड़े-बड़े व्यापारियों ने अपना काला धन कृषि क्षेत्र में लगा दिया जिसके परिणामस्वरुप देश की कृषि

अर्थ व्यवस्था को भी आघात पहुँचा है क्योंकि इससे लोगों में यह धारणा बन गई है कि कृषि क्षेत्र में धन लगाना लाभप्रद है। और इसी कारण लोग समझने लगे हैं कि किसान बहुत अमीर है और उन पर कर लगना चाहिये। इस प्रकार इन बड़े-बड़े व्यापारियों ने कृषि अर्थ व्यवस्था को अधिकाधिक हानि की है।

देश में कृषि के पश्चात हथकरघा उद्योग का स्थान है। ये बड़े-बड़े व्यापारी इस क्षेत्र में भी घुस आये हैं और उन्होंने विद्युत-चालित करघे लगा कर उत्पादन शुल्क पर रियासत का अनुचित लाभ उठाकर सरकार को उत्पाद शुल्क की भारी राशि से वंचित रखा है। इससे न केवल ग्रामीण अर्थ व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई बल्कि हजारों हथकरघा बुनकर भी बेरोजगार हो गये है।

बेरोजगारी का सब से अधिक अभिशाप पिछड़े क्षेत्रों में है। यद्यपि वहाँ के लिए अनेक योजनायें सोची गई परन्तु सभी विपरीत सिद्ध हुई और इन क्षेत्रों की दशा ज्यों की त्यों रही। आज भी हजारों गावों में पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। मेरा सुझाव है कि योजना आयोग तथा भारत सरकार जिन क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र स्वीकार करे उन के लिए निर्धारित धन-राशि को प्रभाव पूर्ण और उपयोगी ढंग से कार्य में लगाये।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि सरकार काफी राजस्व कमाने के लिए तम्बाकू विकास बोर्ड का गठन करे। आज किसान लोग विदेश व्यापार मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय के बीच इस संबंध में व्याप्त प्रतिद्विन्द्वता से बहुत परेशान रहे है। उन्हें अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तम्बाकू से हमें विदेशी मुद्रा की आय भी होती है और इस लिए इसके लिए हमें संबर्द्धन बिक्री तथा अनुसन्धान संबंधी उपाय करने चाहिए। अतः अनावश्यक औपचारिकताओं से बचते हुए तुरन्त ही तम्बाकू विकास बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। राज्य व्यापार निगम इस समय बाजार में आया है जब कि हमारे तम्बाकू के मूल्य बहुत गिर चुके थे। राज्य व्यापार निगम सीधे ही उत्पादकों से तम्बाकू खरीदे और इसकी मंडी को ठीक दिशा दे।

भूमि सुधार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वस्तुतः भूमि की अधिकतम सीमा के संबंध में भूमि सुधार के गलत अर्थ नहीं लगाये जाने चाहिए। ये दोनों कार्य तभी सफल हो सकते हैं जब कि किसान से फालतू भूमि लेकर उसे ऐसे लोगों में समान रूप से बाँटा जाये जो हृदय से सघन कृषि उत्पादन करना चाहते हैं। कृषि उत्पादन की गति को तीव्र बनाये रखने के लिए तथा भूमिहीन किसान को समान रूप से भूमि का वितरण करने के लिए समुचित कानून बनाये जाने चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्त्तुपुजा) : इस समय हम वित्त विधेयक पर विचार कर रहे हैं। वित्त मंत्री महोदय ने पिछला बजट प्रस्तुत करते समय कहा था कि देश की जनता ने इस सरकार को समाजवाद, आर्थिक विकास की तेज प्रगति तथा सामाजिक न्याय के लिए अपना बहुमत दिया है और सरकार इन्हीं भावनाओं को लेकर अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करेगी। इस कथन को 12 महीने गुजर चुके हैं और मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने क्या क्या उपाय किये हैं जिनमें उन्होंने सामान्य बीमा के प्रबंध को अपने हाथ में लेने वित्तीय समस्याओं को मार्गदर्शी निदेश देने, ऋणों को इक्विटी में बदलने, प्रबंध में श्रमिकों को शामिल करना, राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार आदि कार्यों का जिक्र किया है। ये बड़े अच्छे हैं।

गत वर्ष हमारे सम्मुख अनेक समस्यायें आई और हमने उनका सफलता से मुकाबला भी किया परन्तु क्या हम वे उद्देश्य और वायदे पूरे कर सके है जो हमने अपनी जनता के सामने रखे थे ? हम स्वयं इस बात को जानते है कि हम किस दिशा की ओर कहां तक पहुंचे हैं। वित्त मत्री ने कहा कि आज हमारे कार्य यह है कि हम अपनी सभी नीतियों का पुनीर्नरूपण कर, उन को प्रभावपूर्ण और क्रियात्मक बनाए तथा पूरे दृढ़ संकल्प के साथ हम उन्हें ठोस कार्यक्रमों में परिणित करें और उन्हें क्रियान्वित करे। वस्तुतः यही कार्य हमारे सामने करने का था। परन्तु आज इस बजन से 15 महीने बाद भी हम अभी भ्रमपूर्ण स्थिति में पड़े हैं। हमें अभी यही नहीं पता चल रहा है कि हम किस दिशा में और कहां जा रहे हैं। क्या हम जानते है कि हमें किस प्रकार का सामाजिक न्याय चाहिए। प्रत्येक प्रकार के समाज को अपने अनुसार सामाजिक न्याय चाहिए। मेरे विचार से जनता ने हमें अपना समर्थन केवल उत्पादन में वृद्धि तथा सामाजिक न्याय के लिये नहीं दिया था। उन्होंने देश के शोषणकर्त्ताओं को हटाने के लिये हमें अपना समर्थन दिया था। और वस्तुतः चुनावों में हमारी विजय शोषणकर्त्ताओं के विरुद्ध जनता की बिजय थी। अब हमें देखना है कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कितना आगे बढ़े हैं।

आज हमें देखना है कि क्या हमने एकाधिकार मिश्रित अर्थव्यवस्था, भूमि सुधार, काला धन तथा भ्रष्टाचार की समस्याओं से निपटने के लिए कोई स्पष्ट नीति निर्धारित की है। क्या इन सभी समस्याओं के लिए गैर-सरकारी अर्थव्यवस्था को दोषी ठहराया जा रहा है। हमें बताया जाता है कि सरकारी क्षेत्र की असफलताओं, काले धन का बढ़ना, प्रबन्धों में श्रमिकों को शामिल न किया जाना यह सब कुछ निजी क्षेत्र तथा एकाधिकार प्राप्त लोगों के भ्रष्ट प्रभाव के कारण हो रहा है। तो फिर क्या हमने उन से निपटने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाई है ?

आज-कल मंत्रीगण बाहर जाकर भाषण देते हैं तो कहते हैं अमुक लोग अमुक बात के विरुद्ध है। क्या हम इस बात को स्पष्ट रूप से मानते हैं कि कौन किस बात के विरुद्ध है। मेरा निवेदन है कि हमें अपने लक्ष्यों और नीतियों को पूरी तरह स्पष्ट करना चाहिए, भ्रष्टाचार, काला धन, एकाधिकारवाद, आदि को समाप्त करने के लिए क्या हम ठोस कार्यवाही करना चाहते है ? हमें साफ साफ शब्दों में यह प्रकट करना चाहिए। क्या सरकार यह नहीं पता लगा सकती कि काला धन किन किन तरीकों से उपयोग में लाया जाता है और फिर वह उन्हें रोके ? यह सच है कि लोग समझते है कि सभी समस्यायें रात भर में हल नहीं हो सकती परन्तु फिर भी इन बुराईयों को रोकने के लिए कुछ प्रयास तो स्पष्ट रूप से किए जाने चाहिये ताकि लोगों को विश्वास हो कि कुछ हो रहा है।

उपरोक्त शब्दों के साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि हमने काफी कुछ किया है, वह बहुत संतोषजनक भी है। मेरा अनुरोध तो यह है कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कार्यवाही करनी चाहिए इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : यद्यपि वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्होंने इस विधेयक के माध्यम से केवल आठ पदों पर मामूली परिवर्तन किया हैं तथापि वस्तुतः उन्होंने बड़े बड़े परिवर्तन किये हैं। इस विधेयक में खाद्य, वस्त्र, निवास, शिक्षा तथा चिकित्सा जैसी मानव की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए अधिकतम धन की व्यवस्था की गई है। शिक्षा और रोजगार की

ओर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। आज हमारे देश में 150 से 200 लाख लोग बेरोजगार हैं और यदि उनकी बेरोजगारी की समस्या तुरन्त हल नहीं की गई तो देश में शांति बनी नही रह सकती।

इस बार कराधान का रूप दूसरा है इस कराधान से चालू वर्ष में 1700 करोड़ रुपयों के नये पूंजी निवेश का अनुमान है। इस से उत्पादन तथा कुल राजस्व में काफी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त हमें अपनी आर्थिक वृद्धि की दर में कम से कम तीन या चार प्रतिशत की वृद्धि करनी ही होगी।

वांचू समिति के अनुसार कराधान की अधिकतम सीमा 75 प्रतिशत होनी चाहिए जब कि वर्तमान अधिकतम सीमा 97.75 प्रतिशत है। आज काले धन के कारण हमें 470 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हो रही है। वाँचू समिति का विचार है कि अधिकतम सीमा घटाकर 75 प्रतिशत कर देने से जहाँ राजस्व में 45 करोड़ रुपये का घाटा होगा वहां कालेधन के बाहर आ जाने से 470 करोड़ रुपये का नये राजस्व भी प्राप्त होगी।

आज नियमित क्षेत्र पर सभी पदों पर सर्वाधिक कर लगे हुए हैं। वर्तमान कर कानूनों से विकसित क्षेत्र पर सबसे अधिक कर लगाया गया है।

यदि हम हिसाब किताब लगा कर देखें तो पायेंगे कि आप के साथ सम्पत्ति की अधिकतम सीमा पहले से ही निर्धारित है। उदहरणार्थ 8 प्रतिशत सम्पत्ति कर वाली 5 लाख रुपये से आपकी सम्पत्ति 12 वर्ष तक भी 5 लाख रुपये ही रहेगी।

कुल उत्पादन का 94 प्रतिशत भाग गैर सरकारी क्षेत्र से आता है। यदि गैर सरकारी क्षेत्र इतना उत्पादन न करता तो हालत यह होती कि सरकारी क्षेत्र की स्थापना करने तक भी राजस्व प्राप्त न होता। वस्तुत. आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सरकारी क्षेत्र में लगाये गये अपने 4500 करोड़ की राशि की क्षति-पूर्ति करें।

मुद्रा स्फीति तथा अवमूल्यन के संदर्भ में हमें उत्पादन वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धा पर भी विचार करना होगा। आज स्टाक धारियों में जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट आदि के नाम सर्वप्रथम आते हैं। दूसरे शब्दों में वित्त मंत्रालय ने उद्योग गृहों को हटा दिया है अथवा उन्हें दूसरा स्थान दिया गया है। इस असन्तोष का कारण वित्त मंत्रालय के पास जानकारी की कमी ही कहा जाना चाहिए।

लेखा परीक्षक का अपना अलग महत्व है और इसके लिये एक विशिष्ट सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। उसके अस्तित्व को यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए।

उत्पादन को बढ़ाने के लिए विद्युत के उत्पादन में वृद्धि भी अनिवार्य है। हमें इसके लिए अधिक व्यवस्था करनी चाहिए और यहां तक कि आवश्यकता पड़ने पर विद्युत प्रजनन सेटों का आयात भी किया जा सकता है। कुछ भी हो ग्रामीण विद्युतीकरण की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। इस सीमा को निर्धारित करते समय यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखी जानी चाहिए कि विभिन्न तरीकों से सिंचित भूमि में उत्पादन भी विभिन्न मात्रा में होता है और इसी दर से सीमा नियमित की जानी चाहिए।

यह कहना गलत है कि किसान कर नहीं दे रहें हैं। वस्तुतः परोक्षकरों के रूप में वे लोग अत्याधिक कर दे रहे हैं। इस पर और अधिक कर लगाने की गुँजाइश शेष नहीं है।

अन्त में मैं कहूँगा कि हमें एक अच्छा जमा भण्डार बनाना चाहिए जो कि ऐसे समय में काम आए जबकि हमारी अर्थव्यवस्था में कोई गड़बड़ी पैदा हो।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : यहाँ अधिकांश सदस्यों ने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर जोर दिया है। आसाम में तीन बार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है परन्तु यदि खेतों में जायेंगे तो पायेंगे कि वहां एक भी भूमि-हीन किसान को भूमि नहीं दी गई है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में इतिहास गवाह है कि यहां समूची भूमि पहले आदिवासियों की थी परन्तु अब मैदानों में उनकी सारी भूमि साहूकारों और जमींदारों ने हथिया रखी है। बिहार में भी पटना से रांची तक खेतों में कार्य करते हुए लोगों से पूछें तो वे डरते-डरते यही बतायेंगे कि उक्त भूमि तो उनकी अपनी है। अतः प्रश्न वस्तुतः वहां भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का नहीं है बल्कि भूमि को भूमिहीन वास्ताविक कृषकों को देने का है जो कि पहले स्वयं इस भूमि के मालिक थे इन क्षेत्रों में गरीब लोगों को 5, 10 या 50 रुपये ऋण देकर ही साहूकारों तथा जमींदारों ने उनकी जमीनें हथिया लीं। अतः हमें इस सँदर्भ में गम्भीरता से कार्यवाही करनी चाहिए।

कहा गया हैं कि बड़े बड़े व्यापार गृहों तथा एकाधिकारियों को नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। परन्तु ये लोग हैं कितने ? केवल 70 या 75 फिर हम क्यों न इन्हें कस डालें और जिन लोगों से भूमि इन्होंने हथिया रखी है उन्हें वापस भूमि दिला दें ? परन्तु स्थिति यह है कि हम इन एकाधिकारियों और बड़े बड़े व्यापारियों के विरुद्ध बोलने या कुछ करने से डरते हैं। हममें इतना उत्साह ही नहीं है। कि हम उनके विरुद्ध कुछ करें और अमीरी व गरीबी का वर्तमान अन्तर को कम करें।

सचमुच ही आज एसी स्थिति है कि अमीर और अधिक अमीर, और गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। अब पहले जैसी स्थिति नहीं है जबकि हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि की उचित व्यवस्था न करें। हमारे कबायली क्षेत्र में उत्पादन की दर केवल 5 पौंड प्रति बीघा है और आपने अन्तिम सीमा निर्धारित की है 18 एकड़ की। तो इससे कितना उत्पादन मिलेगा ? अब आप अवश्यक पदार्थों के मूल्यों का अनुमान लगाकर तुलना कीजिये तथा बतलाइयें कि इससे किस प्रकार गरीबों की सहायता होगी ? वस्तुतः तो आप अमीरों और एकाधिकारियों की सहायता कर रहे हैं।

भूमि का तो खैर हुआ सो हुआ परन्तु चाय बागान तथा काफी के बागों के बारे में तथा फलों के बगीचों का क्या हल निकाला ? उनके स्वामी बड़े सशक्त हैं। उनके लिये हमने अनेक अधिनियम बनाये परन्तु उनमें से कोई भी क्रियान्वित नहीं हुआ। हर अधिनियम में कोई न कोई कमी रह जाती है और वे लोग बचे रहते हैं।

हम लोग यहां संसद में तो समाजवाद के नारे लगाते है पर इसके बाहर जाकर बड़े बड़े लोगों की बातें करते हैं। संसद से बाहर निकलकर किसी को भी गरीब का ध्यान नहीं रहता। हमें उनके लिए वस्तुतः ही कुछ करना चाहिए और जो कानून हम यहां पारित करते हैं हमें उनको

क्रियान्वित करना चाहिए। हम लोग यहां विधेयक को पारित तो कर देते हैं परन्तु यह सुनिश्चित करने वाला कोई नहीं कि यह क्रियान्वित भी हुआ अथवा नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और साथ सरकार से अनुरोध भी करता हूँ कि सरकार इसे पारित कराने के पश्चात क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करें।

Shri Achal Singh (Agra) : I support the Finance Bill. For the last 20 years we have been seeing a deficit Budget. I have repeatedly requested the Prime Minister to have surplus budgets, if not now. at least from 1973-74.

Our 80 public undertakings with an investment of Rs. 4000 crores are not earning any profits whereas we are required to pay crores of rupees as interest on this money. On the other hand, ten private undertakings are making large projects. Hence efforts should be make to improve the working of the public undertakings so as to make them profitable.

There is a lot of black money and also inflation in our country resulting in very high prices. Doctors, lawyers, Government officials, excise inspectors and many other persons with some powers make huge amounts of money by fair and unfair means but do not pay income tax. So the Government should pave way for the black money to come out in circulation. In this connection the report of Wanchoo Committee should be give serious thought.

U.P. is a backward state and its per capita income is on the decline. Specially Agra is a very backward area having no industry even after 25 years of Independence. I appeal that some industries should be set up there.

We are going to celebrate the Silver Jublee of our 25 year old Indepence. I suggest that the Independence Day should be celebrated in such a way as to impose maximum enthusiasm and courage among our people.

Our people these days are getting addicted to fashion and also to smoking, drinking and seeing movies as a result of which their living has become expensive. I suggest a check on it. I want that there should be a uniform dress in the country as has been in China some time ago. Stress should also be put on simple living so as to eliminate the distinction between the rich and the poor.

शहरी सम्पत्ति की अत्यधिक सीमा निर्धारित करने से ही अमीर और गरीब के बीच विद्यमान अन्तर कम नहीं हो सकता। यदि हम अमीर और गरीब के बीच विद्यमान अन्तर को कम करना चाहते हैं तो हमें कुछ अन्य तरीके अपनाने होंगे। मृत्यु शुल्क इतना लगाया जाना चाहिए जिससे कि मरने वाले के उत्तराधिकारी 5 लाख से अधिक की सम्पत्ति न ले सकें।

आयात व्यापार से थोड़े से लोग भारी मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार द्वारा आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। राज्य व्यापार निगम तथा अन्य सरकारी संस्थाओं को व्यापार गृहों की तरह चलाया जाना चाहिए जिससे वे अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके।

यह ठीक है कि गांवों में अधिकाँश गरीब लोग रहते हैं परन्तु वहां पर अब पर्याप्त संख्या अमीर की भी है। अनेक बड़े बड़े व्यापारियों ने गांवों में फार्म बना लिए हैं। अतः ऐसे लोगों पर कृषि आयकर लगाया जाना चाहिए।

मैंने राँची में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिये जाने के लिए अनेक बार लिखा है। राष्ट्रीयकृत बैंक अपने कर्मचारियों को यह भत्ता पहले ही दे रहे हैं। सरकार द्वारा रांची में अपने कर्मचारियों को परियोजना भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सभापति महोदय : श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा

श्री पी० के० घोष : **

सभापति महोदय : उनकी किसी भी बात को नहीं लिखा जायेगा।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तमा (खमाम): सभी लोग इस बात के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं कि वह चुनाव में दिये गये वचनों को पूरा करती है कि नहीं।

लगभग सभी राज्यों ने भूमि सम्बन्धी कानून बनाये हैं। कुछ लोग जिन्हों ने सदा इसका विरोध किया है अपने प्रयासों में विफल रहे हैं। मेरे अपने राज्य में भी भूमि सम्बन्धी एक अध्यादेश जारी किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 15 में लड़के और लड़कियों को समान अधिकार देने की बात कही गयी है। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 को समाप्त करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करें ताकि लड़के और लड़कियों को समान अधिकार मिल सकें।

मुझे आशा है कि सेवाओं में भर्ती के लिये महिलाओं के साथ जो विभेद बरता जाता है उसको समाप्त किया जायेगा।

रिजर्व बैंक ने राज्यों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि निकाले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इस प्रश्न पर पुनः विचार करें क्योंकि राज्यों को सूखे तथा बाढ़ के कारण बहुत हानि उठानी पड़ी है।

Shri Ramavtar Shastri (Patna): There is an acute shortage of drinking water in Bihar. The hot winds are adding fuel to the fire.

It has come to my notice that Thermal Power Station which was to be established in Katihar is now being established somewhere in Bengal. 'Katihar Bund' was observed on the 11th May in protest. I would request the Government to drop the idea of shifting the Thermal Power Plant from Katihar in Bihar to Bengal. These are the two matters to which & wanted to draw the attention of Government with the hope that the Government will look into them sympathetically.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : आमतौर पर संसद सदस्यों ने वित्त विधेयक का समर्थन किया है। वाद-विवाद के दौरान अनेक राष्ट्रीय समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया है। मैं उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

डा० राव ने ग्रामीण तथा शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बाद में प्रश्न उठाया था। जहां तक सामान्य दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, मैं उनसे सहमत हूं। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में भी पूछा था। हमें इस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करनी है। एक बात निश्चित है कि सरकारी क्षेत्र के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। हमारा सबसे पहला उद्देश्य एकाधिकारियों को बढ़ने से रोकना है। इस उद्देश्य को पारित करने हेतु एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक अधिनियम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनको ऋण दिया जाता है और उनके शेयर खरीदे जाते हैं और इस प्रकार एकाधिकारों पर नियंत्रण रखा जा रहा है तथा उनको कमजोर बनाया जा रहा है। स्वयं प्रधानमन्त्री ने कहा है कि हम किसी भी

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

चीज का राष्ट्रीयकरण करने से नहीं हिचकिचायेंगे यदि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में हो। इस संबंध में बैंकों सामान्य बीमा तथा कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का उदाहरण दिया जा सकता है। राष्ट्रीय हितों को देख कर ही राष्ट्रीयकरण के लिए प्राथमिकता निर्धारित की जानी है। महत्वपूर्ण साम्यवादी देश भी इस बात का दावा नहीं कर सकते कि उनके देश में शत प्रतिशत समाजवाद स्थापित हो गया है। अतः हमें भी इस बारे में वास्तविक रवैया अपनाना चाहिए। हमें देश में समाजवाद लाने के साथ-साथ लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं को भी मजबूत बनाना है। मैं डा० राव से अनुरोध करूंगा कि वह हमें इस मामले में विशिष्ट सुझाव दें जो कि देश के लिए लाभदायक हो।

हमने ग्रामीण तथा शहरी सम्पत्ति की अत्यधिक सीमा निर्धारित करने का लोगों को वचन दे रखा है। इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। डा० राव ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य-क्रम के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था। हमें उनके कार्य का मूल्यांकन करना है। केवल उनका राष्ट्रीयकरण कर देना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी देखना है कि वे ठीक ढंग से कार्य करें इनके कार्यकरण के बारे में तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों के उत्तर में हमने अनेक बार संसद-सदस्यों को आंकड़े दिये हैं। उनकी शाखाओं की संख्या में वृद्धि की जा रही है। हमारा लक्ष्य बैंकों की जमाराशि को बढ़ाना है। हम उन क्षेत्रों में जिनमें बैंक की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं बैंकों की शाखायें खोल रहे हैं। उद्योग के उपेक्षित क्षेत्रों में भी हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है क्योंकि इससे हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब बैंकों की शाखायें गाँवों में खोली जा रही है और इस प्रकार बैंक वहां की स्थिति से स्वयं को परिचित करा रहे हैं। अतः इस समय कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इस मामले में हमें कार्मिक संघों का सहयोग प्राप्त करना है। हमें भर्ती तथा प्रशिक्षण के बारे में नई नीतियों को अपनाना होगा। इसके साथ-साथ हमें नई प्रकार की संस्थाये बनाने पर भी विचार करना होगा। बैंकिंग आयोग ने सामान्य प्रश्न पर विचार किया था। कृषि आयोग द्वारा स्थापित की गई एक समिति ने भी इस मामले पर विचार किया था। उन्होंने कुछ सिफारिशें भी की है। हम इन पर विचार करेंगे।

राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य यह है कि समाज के छोटे व्यक्ति तथा छोटे किसानों को ऋण सुविधायें उपलब्ध हों। इन लोगों की हम सहायता करना चाहते हैं।

जहाँ तक कराधान का सम्बन्ध है मै बताना चाहता हूँ जहां आपका समूचा स्तर कम होगा वहां प्रत्यक्ष कराधान भी कम ही होगा अतः अविकसित देश में राजस्व का मुख्य साधन अप्रत्यक्ष कराधान ही होता है।

मैं इस बात पर पूरी सावधानी से ध्यान दे रहा हूं कि अप्रत्यक्ष करों का मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अतः मैंने ऐसे मदों पर कर नहीं लगाया है जिससे मूल्यों में वृद्धि हो। अप्रत्यक्ष करों में जो परिवर्तन किया गया है उससे, एक अध्ययन के अनुसार, वस्तुओं के थोक मूल्यों में 5 से 6 प्रतिशत की ही वृद्धि होगी। बजट के पेश होने से लेकर अबतक वस्तुओं के थोक मूल्य आमतौर पर स्थिर ही रहे हैं। वास्तव में मूल्यों की वृद्धि समूचे विश्व की समस्या है और विकासशील देशों को तो इसका सामना करना ही पड़ रहा है। तुलनात्मक तौर पर भारत में मूल्य स्तर कम ही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने वित्तीय मामलों में केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध का प्रश्न उठाया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। सातवीं अनुसूची में राज्यों को कराधान की शक्ति दी

हुई है। यह सच है कि राज्यों को कराधान की जो शक्तियां दी गई हैं वे पर्याप्त नहीं है। संविधान में इस स्थिति को स्वीकार किया गया है। परन्तु इसी कारण प्रत्येक पांच वर्ष वित्त आयोग इस मामले पर विचार करता है। भारत सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों को सदा पंचाट के रूप में माना है। अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की राशि राज्य सरकारों को दी जाती है। कृषि सम्पत्ति से वसूल होने वाले सम्पदा शुल्क की राशि भी राज्यों को दी जाती है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रथम योजना में राज्यों को 386 करोड़ रुपये दिये गये थे जबकि तीसरी योजना में उनको 1549 करोड़ रुपए दिए गये हैं। चौथी योजना में यह राशि बढ़कर 4266 करोड़ रुपए हो जायेगी।

जहां तक राज्यों को केन्द्रीय सहायता दिए जाने का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय विकास परिषद में इस बारे में एक फार्मूला बनाया जाता है उसी के अनुसार राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस परिषद में राज्यों के मुख्य मन्त्री भी होते हैं। अगस्त, 1971 में छपे रिजर्व बैंक के बुलेटिन से पता चलेगा कि अधिकतर राशि पर राज्यों का ही नियन्त्रण है। केन्द्रीय सरकार की भी अपनी समस्यायें हैं। हमें आपस में इकट्ठे बैठकर इन समस्याओं को हल करना है। प्रति वर्ष योजना आयोग के साथ मुख्य मन्त्रियों की बैठक होती रहती है।

एक माननीय सदस्य ने राज्यों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि निकाले जाने का भी उल्लेख किया था। वह एक रोग है जिसे हमें समाप्त करना होगा।

घाटे की अर्थव्यवस्था तो अनिवार्य प्रतीत होती है, उससे बचा नहीं जा सकता, हां इसे नियन्त्रित रूप से किया जायेगा। यदि राज्य सरकारों के समक्ष कोई समस्याएं हैं तो उनकी ओर ध्यान दिया जायेगा। इस बारे में पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता दी जायेगी यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसी रूप में इस पर विचार किया जायेगा तथा राष्ट्रीय हित में ही इसका हल निकाला जायेगा। छटे वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकारों को ऋण देने सम्बन्धी नीति पर भी विचार किया जायेगा।

कर प्रस्तावों के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। वास्तव में यह दावा कभी भी नहीं किया गया कि एक वित्त विधेयक के द्वारा ही गरीबी को हटाया जा सकेगा। सरकार वित्तीय तथा कराधान ढांचे के पुनर्वितरण वस्तुओं के प्रश्न को महत्वपूर्ण समझती है। वित्त विधेयक तथा अन्य सरकारी निर्णयों में इस बात का ध्यान रखा जायेगा। पिछले दो बजटों में तथा वर्तमान बजट में हमने इस बात का प्रयास किया है कि कराधान का अधिक प्रभाव समाज के अभिजात वर्गों पर अधिक पड़े।

कुछ सदस्यों ने काले धन के प्रश्न को उठाया है। वांचू समिति की रिपोर्ट में इस समूचे प्रश्न पर तथा कर प्रणाली के पुनर्गठन पर विचार किया गया है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं जिनके कारण हमें अपने नीति सम्बन्धी निर्णयों का पुनरीक्षण करना होगा। अतः इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना है। काले धन की समस्या बहुत ही विशाल समस्या है और इसे हल करना भी आसान नहीं है।

काले धन का पता लगाने के लिए मारे गए छापों और जब्त किए गए माल के बारे में भी उल्लेख किया गया है यह कहा गया है कि इन छापों के द्वारा भी पिछले कुछ वर्षों में केवल 7 करोड़ रुपये की राशि ही जब्त की जा सकी है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि यह काला

धन जमा की गई राशि नहीं है। यह धन परिचालन में है। निरन्तर उपयोग में आने के कारण इसके द्वारा और धन भी पैदा किया जा रहा है। यह कोई स्थिर धन नहीं है। अतः हमें ऐसे उपाय करने हैं जिनके द्वारा इस काली अर्थ व्यवस्था को नियन्त्रित किया जा सके।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। सरकार ने वांचू समिति की रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं करी है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रकार की रिपोर्टें प्रकाशित नहीं की जाती। देश आपात कालीन स्थिति से गुजर रहा था। उस रिपोर्ट में करैंसी को बदलने की बात थी परन्तु जब आपात स्थिति हो, देश संकट में से गुजर रहा हो, इस प्रकार की कार्यवाही को सोचना भी अदूरदर्शिता है। इस प्रकार के विचार मात्र से दी देश भर में अविश्वास की भावना व्याप्त हो जाती।

काले धन की समस्या को हल करने के लिए वांचू समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। इसके हल के लिए देश के विख्यात अर्थ शास्त्रियों के विचार जानने के प्रयास किये जा रहे हैं। वांचू समिति की अन्तरिम रिपोर्ट की एक सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया था और प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है। इस सम्बन्ध में और भी अनेक उपाय किये जाने हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री भट्टाचार्य, मंत्री के भाषण के बीच में आप को हमेशा बाधा नहीं डालनी चाहिये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : श्री ज्योतिर्मय बसु ने एकाएक कुछ दस्तावेज पेश किये। वास्तव में इस दस्तावेज का कांग्रेस दल अथवा प्रधान मंत्री से किसी तरह का सम्बन्ध नहीं है। जहां तक हमारे दल का सम्बन्ध है चुनाव-प्रचार के लिए जो कुछ भी प्रकाशित किया जाता है इसके लिए क्रास्ड चैक द्वारा अदायगी की जाती है।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : इस बात को इधर उधर की बातों से नहीं टाला जा सकता। चुनाव प्रचार के लिए प्रकाशित लाखों इश्तहारों का खर्चा एक उद्योग पति ने वहन किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जो फोटोस्टैट प्रति लाया हूं, उसको प्रभावित करने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। डन्कन ब्रादर्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक सी० आर० पी० गोयनका ने कांग्रेस के चुनाव सम्बन्धी पोस्टरों के लिए लगभग 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : गोयनका डन्कन ब्रादर्स के अध्यक्ष हैं। उन्हें धन से भरे थैलों के साथ मंत्री से दूसरे मंत्री के घर जाते देखा गया था।

सभापति महोदय : शांति शांति। इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे पास एक अन्य फोटोस्टैट प्रति है···

सभापति : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा। आप इसे अध्यक्ष को प्रेषित करें तथा उनकी अनुमति प्राप्त करें। आपने सुबह जो कहा था वित्त मंत्री उसका उत्तर दे रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नियम 376 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मैंने एक दस्तावेज की फोटोस्टैट प्रति पेश की है जिससे सिद्ध होता है कि सी० आर० पी० गोयनका ने कांग्रेस चुनाव···के लिए धन दिया।

श्री राज बहादुर : उसमें यह नहीं लिखा कि······(व्यवधान) यह कोई रसीद नही है।

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपने प्रातः जो आरोप लगाये उनका उत्तर माननीय वित्त मंत्री दे रहे हैं। आप उससे सहमत हों अथवा न हों उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। (**व्यवधान**)

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : आपने विनिर्णय दिया था श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा कही गई बातें कार्यवाही वृतान्त में नहीं जाएंगी। अब नियम 376 के अधीन व्यवस्था के प्रश्न की जो बात उन्होंने की है वह भी कार्यवाही वृतान्त में नहीं जानी चाहिये।

सभापति महोदय : सुबह श्री बसु ने जो कुछ कहा था उसे उपाध्यक्ष की अनुमति से सभा के कार्य वृतान्त में रखा गया है। उन्होंने अब जो कहा है वह उसके लिए मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य ने एक फोटोस्टैट प्रति के आधार पर कुछ आरोप लगाए हैं। यह बहुत गम्भीर आरोप हैं। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाना चाहिये।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था की कोई बात नहीं है। वित्त मंत्री इस आरोप का उत्तर दे रहे हैं अतः यह मामला यहीं पर समाप्त हो जाता है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक कांग्रेस दल का सम्बन्ध है दल ने सारे प्रकाशनों के लिए चैक द्वारा अदायगी की है (**अन्तर्बाधा**)

श्री एच० एन मुखर्जी : दस्तावेज के आधार पर आरोप लगाए गए हैं। दस्तावेज की जांच के पश्चात ही उत्तर दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : आप इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं तथा दल के नेता भी हैं। जब कोई आरोप लगाया जाता है तो मंत्री उत्तर देते हैं और बात समाप्त हो जाती है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : जब दस्तावेज के आधार पर कोई गंभीर आरोप लगाया जाता है और दस्तावेज की जांच के बिना यह कह दिया जाए कि यह आरोप असत्य है तो यह समझा जा सकता है कि आरोप प्रत्यक्ष रूप से सही है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इसमें स्पष्ट व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय वित्त मंत्री को यह बताना चाहिये कि सात-आठ लाख रुपये की यह राशि कहाँ से आई। माननीय वित्त मंत्री के इस कथन से यह निराधार है हम सन्तुष्ट नहीं हो सकते।

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैंने उत्तर दे दिया है। यदि आप उससे सन्तुष्ट नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे पास फोटोस्टैट प्रति है।

सभापति महोदय : यदि आप मेरी अनुमति के बिना बोलते रहे तो मैं इसे कार्यवाही वृतान्त में नहीं जाने दूंगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सरीमपुर) : इससे अच्छा है कि आप संसद को भंग कर दें ।***

श्री ज्योतिर्मय बसु ***

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए केन्द्रीय सरकार को वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion wes adopted

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार प्रारम्भ करेंगे । खण्ड 2 पर कोई संशोधन नहीं अतः मैं इसे मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 (धारा 2 का संशोधन)

श्री नरेन्द्रकुमार सांघी (जालौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूँ । वित्त विधेयक में पहली बार लाटरियों, पहेलियों, दौड़ों, ताश के खेलों तथा इस प्रकार के अन्य खेलों में होने वाली जीत की राशि पर कर लगाया गया है । मेरा संशोधन यह है कि लाटरियों, पहेलियों, दौड़ों आदि पर तो कर लगे परन्तु ताश की खेलों व अन्य खेलों आदि पर कर नहीं लगाया जाना चाहिये । इसी प्रकार स्कूल-कालेजों अथवा कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा चन्दा इकट्ठा करने के लिए कुछ लाटरियां चलाई जाती हैं उन्हें भी कर मुक्त किया जाना चाहिये । इस विधान को लागू करने में भी कठिनाई होगी अतः इस संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैंने माननीय सदस्य का संशोधन देख लिया है । यदि इसे स्वीकार किया गया तो उससे और भी अड़चनें उत्पन्न हो सकती हैं । मैं अनुरोध करता हूँ कि इस पर बल न दिया जाये ।

सभापति महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 9 मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 9 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

***कार्यवाही वृतान्त में नहीं रखा गया

***Not recorded

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

श्री नरेन्द्रकुमार सांघी : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूँ। सरकारी कर्मचारियों और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को मिलने वाले उपदान की 24,000 रुपये तक की राशि अभी तक आय कर से मुक्त है। मेरा संशोधन यह है कि सेवा निवृत सेवा से त्यागपत्र देने 'अधिवर्षता' प्राप्त करने या सेवा से निकाले जाने पर मिलने वाली उपदान राशि को भी आयकर से मुक्त रखा जाय। इस सम्बन्ध में 'अधिवर्षता' शब्द को स्पष्ट किया जाए इसके साथ ही संशोधन में यह भी कहा गया है कि कर्मचारी की पत्नि, उसके उत्तराधिकारियों को जो छूट मिलती है वह कर्मचारी के अविवाहित होने की दशा में उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को भी वह छूट दी जानी चाहिए।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे मत के अनुसार 'सेवा-निवृति' शब्द बहुत ही व्यापक है और 'अधिवर्षता' भी इसके अन्तर्गत आ जाता है माननीय सदस्य के संशोधन में दूसरी बात के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह संशोधन आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

सभापति महोदय : मैं अब संशोधन 10 को मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 4 विधेयक में जोड दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

सभापति महोदय : 5 तथा 6 पर कोई संशोधन नहीं है अत: मैं खंड 5 तथा 6 मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 तथा 6 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 5 तथा 6 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 5 and 6 were added to the Bill

खंड 7

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैं प्रस्तुत करता हूं कि।

"पृष्ठ 7, पंक्ति 30,—

"धारा 7 के द्वारा" शब्दों के पश्चात

" [उसके खंड के (क) के उप-खण्ड (ii) से भिन्न]" शब्द पुरस्थापित किये जायें (संख्या 17)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 7, पंक्ति 30,—

"धारा 7 के द्वारा" शब्दों के पश्चात

"उसके खंड (क) के उप-खंड (ii) से भिन्न" शब्द पुरःस्थापित किए जाएं" (संख्या 17)।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 7. संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7, as amended, was added to the Bill

खंड 8 से 13 विधेयक में जोड़ दिये गए

Clauses 8 to 13 were added to the Bill

खंड 14

श्री यशवंतराव चव्हाण : मै प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10—

पंक्तियां 16 से 21 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियाँ पुरःस्थापित की जाएं—

धारा 80 क का संशोधन : 14. आयकर अधिनियम की धारा 80 क में, उप-धारा (3) में "धारा 80 टी०" शब्द, आंकड़ों और अक्षर के **स्थान पर**" धारा 80 टी० अथवा धारा 80 टी० टी०" शब्द आँकड़े और अक्षर पुरःस्थापित किए जाएं" (संख्या 18)

इस संशोधन की आवश्यकता, धारा 80 क को नई संख्या दिये जाने के कारण उत्पन्न हुई है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"पृष्ठ 10—

पंक्तियां 16 से 21 के **स्थान पर** निम्नलिखित पंक्तियां पुरःस्थापित की जाएं—

धारा 80 क का संशोधन : 14. आय कर अधिनियम की धारा 80 क में उप-धारा (3) में आए "धारा 80 टी०" शब्द, आंकड़ों, और अक्षर के **स्थान पर** "धारा 80 टी० अथवा धारा 80 टी० टी०" शब्द आँकड़े और अक्षर पुरःस्थापित किए जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 14, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड ख, संशोधित रूप में, विधेयक से जोड़ दिया गया ।
Clause 14, as amennded, was added to the Bill

खण्ड 15 से 21 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 15 to 21. were added to the Blil

खण्ड 22

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 12, पंक्ति 25,—

"आयकर अधिनियम की धारा 80 यू० के पश्चात" के स्थान पर निम्नलिखित पुरः स्थापित की जाए—

"आयकर अधिनियम की धारा 80 यू० के पश्चात और घ० अन्य कटौतियां शीर्षक से पूर्व" (संख्या 19)

पृष्ठ 12, पंक्ति 27—

"80 वी" के स्थान पर '80 टी० टी०" पुरःस्थापित किया जाय" (संख्या 20)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 12, पंक्ति 25—,

"आयकर अधिनियम की धारा 80 यू० के पश्चात" शब्दों के स्थान पर निन्नलिखित पुरःस्थापित किया जाए—

"आयकर अधिनियम की धारा 80 यू० के पश्चात और घ०—अन्य कटौतियाँ शीर्षक से पूर्व"

पृष्ठ 12, पंक्ति 27—

"80 वी०" के स्थान पर "80 टी० टी०" पुरःस्थापित्त किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 22, संशोधित रूप में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 22, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 22, as amended was added to the Bill

खण्ड 23 से 27 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 23 to 27 were added to the Bill

खण्ड 28

सभापति महोदय। खण्ड 28 के लिए भी शिवनाथ सिंह का एक संशोधन है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

Deduction of 2% of amount and from the payments to be made to Contractors is a very good provision. It happens that many a contractor does not pay Incometax after receiving payment. But I request that above explanation should be added to the provision. I feel there should be a distinction between a contractor and supplier contractors earn more profit whereas margin of profit of the suppliers is much less they should, therefore, be exempted from this deduction of 2%, otherewise it would cause their hard ships to them.

श्री यशवंत राव चव्हाण : मेरे विचार के अनुसार इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम नई धारा 194 के शब्दों को देखें तो मालूम होगा यह धारा पदार्थ अथवा [illegible] के सप्लायर्स पर लागू नहीं होगी। अत: इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 28 के संशोधन संख्या 1 को मतदान के लिए रखता

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ

The Amendments No. 1 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 28 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 28 was added to the Bill

इसके पश्चात लोक सभा गुरूवार, 18 मई, 1972, 28 वैशाख 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned to meet at Elevan of the Clock on Thursday, May 18, 1972 Vaisakha 28, 1894 (Saka).

Sumer Printing Press, New Delhi-18